खण्ड २ — अंक २८
२९ मार्च, १९५६, (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९५१, ९५३, ९५४, ९५६ से ९५९, ९६३, ९६५, ९६८, ९७४, ९७५, ९७८, ९८०, ९८२, ९८४ से ९८६, ९८९ से ९९१, ९९३, ९९६ और ९६० ... ... ९२१–४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९५०, ९५२, ९५५, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७३, ९७६, ९७७, ९७९, ९८१, ९८३, ९८७, ९८८, ९९२, ९९४, ९९५ और ९९८ से १००० ९४१–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५० से ५५६ और ५५८ से ६०२ ९४८–६७

दैनिक संक्षेपिका ९६८–७०

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

गुरुवार, २९ मार्च १९२६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलवे रियायती भाड़े

*९५१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में किन-किन अवसरों पर रियायती टिकट जारी किये गये और प्रत्येक अवसर पर कितना रियायत दी गई; और

(ख) इन अवसरों पर कितने यात्रियों ने इस रियायत का लाभ उठाया ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). विशेष अवसरों पर सिर्फ वापसी टिकट के किराये में रियायत की जाती है। जो सूचना मांगी गई है उसका बयान सभा पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५७**]

श्री श्रीनारायण दास : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है या सरकार के पास कोई इस तरह की शिकायत पहुंची है कि दशहरा और दिवाली के अवसरों पर कुछ स्टेशनों पर रियायती टिकट नहीं भेजे गये इसलिये यात्रियों को लौटकर वापस घर जाना पड़ा ?

श्री शाहनवाज खां : इसकी अभी तक तो कोई शिकायत हमारे नोटिस में नहीं आई है। मैं माननीय सदस्य को यह बतला देना चाहता हूं कि दशहरा, दिवाली और क्रिसमस की हालीडेज़ (छुट्टियों) के लिये पिछले वर्ष में १,७५,२५८ टिकट खरीदे गये और उनसे फायदा उठाया गया।

श्री श्रीनारायण दास : क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि क्या पूर्वोत्तर रेलवे में लहरिया सराय स्टेशन से कुछ मुसाफिर इसलिये लौट गये कि उनसे स्टेशन मास्टर ने कहा कि हमारे पास रियायती टिकट नहीं आये हैं। मैं समझता हूं कि यह शिकायत सरकार के पास आई होगी और मैं अपील करूंगा कि इसकी जांच करायी जाये।

श्री शाहनवाज़ खां : जो आनरेबल मेम्बर ने फरमाया है उसकी तहकीकात जरूर की जायेगी

श्री श्रीनारायण दास उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका कथन है कि इस प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं आई है, और वह इस के बारे में पूछताछ करेंगे ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या अब यात्रियों में रियायती टिकटों से लाभ उठाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह पूछना चाहते हैं कि क्या रियायती टिकटों की मांग बढ़ रही है ।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : इसकी मांग तो सदा रही है और अब भी है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या सांस्कृतिक तथा कलात्मक प्रदर्शनों के लिये जाने वाले दलों को टिकट में रियायत दी जाती है, और यदि हां, तो क्या पूरी रियायत दी जाती है अथवा आधी ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : कलाकारों के दलों को रियायत दी जाती हैं ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या पूरी रियायत दी जाती है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : उन्हें आधी रियायत दी जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आधी रियायत दी जाती है । यह बात इस सभा में कई बार बताई जा चुकी है । मैं नहीं जानता कि इस प्रकार की जानकारी जो कि माननीय सदस्यों के लिये आवश्यक है, उन्हें किस प्रकार से दी जा सकती है । यदि पर्यटन सम्बन्धी कोई साहित्य है तो उसे पुस्तकालय तथा हॉल में रख दिया जाये ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जैसा आपने स्वयं कहा है इस प्रकार की जानकारी इस सभा में कई बार दी जा चुकी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार की पुस्तिकायें भी सभा पटल पर रख दी जायें । यदि माननीय सदस्य उन्हें पढ़ने की परवाह न करें तो वह दूसरी बात है ।

केन्द्रीय ज्योतिष सम्बन्धी वेधशाला

***९५३. श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री २९ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ज्योतिष सम्बन्धी वेधशाला स्थापित करने के सम्बन्ध में सभी बातों का अध्ययन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित वेधशाला के स्थान आदि के बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो अभी तक इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अभी नहीं, श्रीमान् जी ।

(ख) तथा (ग). सभा-पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५८**]

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि सन् १९४५ से इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है और क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या अड़चनें हैं कि अभी तक निर्णय नहीं हो पा रहा है ?

श्री राज बहादुर : जी, यह सत्य है कि प्लानिंग कमेटी सन् १९४५ में नियुक्त हुई थी । उसकी सिफारिशें काफी बाद में आयीं और इस सिफारिश की कि कहां से तारामंडल को ठीक तरह से देखा जा सकता है और कहां इसको स्थापित किया जाना चाहिये जांच हो रही है । इसके बारे में मैं पहले भी उत्तर दे चुका हूँ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : विवरण में कहा गया है कि अगली पंचवर्षीय योजना में इसके लिये कुछ रकम रखी गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह रकम कितनी है और कुल खर्च का क्या अनुमान है ?

श्री राज बहादुर : कुल खर्च का अनुमान ४० लाख है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए बीस लाख रुपया रखा गया है। इस प्रश्न का उत्तर भी मैं पहले दे चुका हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय मंत्रियों के लिये एक सुझाव देना चाहता हूं। इस बारे में बार-बार पूछा जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन से उपबन्ध रखे गये हैं। क्यों न प्रत्येक मंत्रालय के विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रख दिये जायें ? माननीय मंत्रियों से यह आशा नहीं की जा सकती है कि उन्हें सभी बातों के बारे में ब्योरे याद हों।

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ब्योरे पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं और वे माननीय सदस्यों के पास हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि क्या यह केन्द्र पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है या नहीं।

†**श्री ए० पी० जैन** : ब्योरों का अभी तक निर्णय नहीं हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो उन्हें यहां पर कैसे दिया गया है ?

†**श्री ए० पी० जैन** : अस्थायी रूप से।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा तो वह अस्थायी जानकारी ही दे दी जाये।

†**श्री राज बहादुर** : जहां तक इस बात विशेष का सम्बन्ध है, मैं ने अस्थायी ब्योरे बता दिये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं चाहता कि किसी राज्य विशेष अथवा क्षेत्र विशेष के बारे में ब्योरे देने में ही सभा का सारा समय लग जाये। सारे देश से सम्बन्ध रखने वाली महत्वपूर्ण नीति अथवा मामलों के बारे में प्रश्न पूछे जायें।

†**श्री वेलायुधन** : माननीय मंत्री ने बताया है कि ये ब्योरे अस्थायी हैं। क्या यह अस्थायी निर्णय है और यदि हां, तो क्या इसका अन्तिम प्रारूप पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री ए० पी० जैन** : निश्चय ही अस्थायी निर्णयों का अन्तिम प्रारूप पर सारा प्रभाव पड़ता है।

बानिहाल सुरंग

†***९५४. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू और काश्मीर राज्य में बानिहाल सुरंग के निर्माण पर अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : सितम्बर १९५५ के अन्त तक २८·६७ लाख रुपये।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या बानिहाल सुरंग जब पूरी हो जायेगी तो उस पर किया गया कुल खर्च अनुमानित खर्च से बढ़ जायेगा और यदि हां, तो कितना ?

†**श्री अलगेशन** : सुरंग का अनुमानित खर्च लगभग ३ करोड़ है। मैं कह तो नहीं सकता परन्तु मुझे आशा है कि कुल खर्च इस सीमा के अन्दर ही होगा; मैं कह नहीं सकता कि यह खर्च कितना बढ़ जायेगा।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या यह निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार हो रहा है और यदि नहीं, तो क्या कारण है कि यह कार्य पिछड़ गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : यह किसी हद तक निर्धारित समय के अनुसार ही हो रहा है; हां, कहीं-कहीं पिछड़ गया है। यंत्र प्राप्त करने में कुछ देर लग गई है। इसके अतिरिक्त ऋतु की अवस्था भी कुछ सीमा तक इस देर के लिये जिम्मेदार है। सामान की प्राप्ति में भी कुछ देर हो गई थी। हम अब प्रारम्भिक स्थिति में हैं और मुझे आशा है कि निर्धारित किये गये समय के अन्दर ही यह कार्य पूरा हो जायेगा।

†**श्री वेलायुधन** : क्या माननीय मंत्री ने समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार को देखा है कि इस बानिहाल सुरंग में का कुछ भाग गिर गया है, और कि यह निर्धारित विवरणों के अनुसार नहीं बनी है, और इसके बारे में काश्मीर सरकार पर कई आरोप लगाये गये हैं ?

†**श्री अलगेशन** : यह मामला इस नई सुरंग के बारे में नहीं है; यह तो उस पुरानी सुरंग के बारे में है जो कि ऊंचे स्तर तक जाती है। उस सुरंग में कई स्थानों पर खराबी आ गई है, अब उनकी ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री पांडे, श्री शर्मा।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या वह सामग्री जिसकी आवश्यकता है ····

†**श्री बी० डी० पांडे** : मैं वही प्रश्न पूछना चाहता था। यह पुरानी सुरंग थी ····

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उनका नाम लिया था, परन्तु वह अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।

†**श्री बी० डी० पांडे** : मुझे इस बात का अफसोस है।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा, मैं भविष्य में नाम ज़ोर से पुकारा करूंगा।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : माननीय मंत्री ने कहा है कि सामग्री की अनुपलब्धि के कारण कुछ देर हो गई थी। क्या वहां पर प्रयुक्त किया जा रहा सामान स्वदेशी है अथवा किसी और देश से मंगाया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : दोनों प्रकार का सामान है।

रेलवे प्लेटफार्म

†*६५६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वेच्छा से किये गये श्रम के सहयोग से सरकार रेलवे प्लेटफार्म बनवाने में कहां तक सफल हुई है; और

(ख) इस प्रकार के प्लेटफार्म के निर्माण पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) उत्तर तथा पश्चिम रेलवे को स्वेच्छापूर्वक मिट्टी का काम करने के प्रस्ताव मिले हैं और ये क्रमशः १४ तथा ३ स्टेशनों पर प्लेटफार्म बना सकी हैं। उत्तर रेलवे के दो और स्टेशनों पर भी स्वेच्छा से काम करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और जब काम की स्वीकृति मिल जायेगी तो उनका उपयोग किया जायेगा।

(ख) उत्तर तथा दक्षिण रेलवे द्वारा स्वेच्छा से किये गये मिट्टी के काम के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर क्रमशः ५७,६०४ रुपये तथा ३६,६७७ रुपये खर्च किये गये हैं।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या स्वेच्छा से किये गये श्रम से प्लेटफार्मों के निर्माण के अतिरिक्त कोई और निर्माण कार्य भी कराया गया है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : अभी तक तो यही काम कराया गया है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या इस काम के लिये जो श्रमिक आ रहे हैं वे प्रवीण हैं अथवा अप्रवीण ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज़ ख़ां** : मिट्टी का काम करने वाले श्रमिक अधिकतर अप्रवीण ही होते हैं ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या माननीय मंत्री जी उन स्टेशनों की सूची सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जहां कि यह कार्य किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य चाहते हैं कि उन १४ और ३ स्टेशनों की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाये और उन्हें किसी भी स्टेशन का ज्ञान नहीं है ।

†**श्री शाहनवाज़ ख़ां** : सूची रख दी जायेगी ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच नहीं है कि प्लेटफार्मों को ढकना प्लेटफार्मों के बना देने की अपेक्षा अधिक आवश्यक है, और क्या सरकार प्लेटफार्म बनाने का काम प्रारम्भ करने से पूर्व प्लेट फार्मों को ढकने के प्रश्न पर अच्छी प्रकार से विचार करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या स्वेच्छापूर्वक काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्लेटफार्मों को ढकवाने के प्रश्न पर ?

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्या मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न ही पूछें, वैसे तो बड़े अच्छे-अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, परन्तु जहां मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध है वे संगत नहीं हैं । अगला प्रश्न ।

अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग

†*९५७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ६ मार्च, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य और कृषि संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग के पांचवे सत्र का भारत में आयोजन करने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : यह निर्णय किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग का पांचवां सत्र १२ नवम्बर से १७ नवम्बर, १९५६ तक कलकत्ता में किया जाये । राष्ट्रीय चावल आयोग जो कि मुख्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग के आगामी सत्र के लिये तैयारी करने और योजनायें बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, की प्रथम बैठक १७ तथा १८ अप्रैल, १९५६ को होगी ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या सारा खर्च हमारी सरकार द्वारा वहन किया जायेगा अथवा कुछ भाग अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग द्वारा भी वहन किया जायेगा ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : इसका कुछ भाग अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग द्वारा भी वहन किया जायेगा ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : कितने सदस्यों की भारत में आने की आशा है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : इस अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के २६ सदस्य हैं । मेरे पास इन सभी देशों की सूची है ।जसमें आस्ट्रेलिया, बर्मा, कम्बोडिया, श्रीलंका, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, एक्नाडोर, मिस्र आदि हैं ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या भारत सरकार इस अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग से पहले मंजूरी लेकर तब विदेशों को चावल भेजती है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख**: इस आयोग तथा खाद्य और कृषि संगठन का वास्तविक आयात अथवा निर्यात से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीफोन लाईनें

†*९५८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अभी भी टेलीफोन लाइनें लगाने के लिये किसी विशेष प्रकार का सामान विदेशों से आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रकार का सामान; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत के कब तक स्वावलम्बी बन जाने की आशा है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) हैमिल्टन ट्यूबें, टेलीफोन के तार, तांबे के वेल्डतार तथा तांबें के तार और लोहे के तार खींचने के लिये आवश्यक ताँबा-पिण्डक ।

(ग) इस सम्बन्ध में हर प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है परन्तु इसमें कुछ समय लगेगा ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : १९५५ में हमने कितना सामान बाहर से मंगवाया था ?

†**श्री राज बहादुर** : १९५४–५५ में हमने ३२,००० हैमिल्टन ट्यूब, लगभग ३५० मील लम्बे टेलीफ़ोन के तार, ९०० टन ताम्बे के वेल्ड तार (यह वार्षिक औसत है) तथा १००० टन लोहे के तार मंगवाये थे ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : हमने यह सामान किस-किस देश से मंगवाया है ?

†**श्री राज बहादुर** : बहुत से देशों से, मैं उनके नाम इस समय बताने में असमर्थ हूं ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या हमने ये तार भारत में ही बनाना प्रारम्भ कर दिया है ?

†**श्री राज बहादुर** : हम उन्हें आंशिक रूप में मंगवाते हैं । तांबे के वेल्ड तार आयात किये गये पिण्डकों से बनाये जाते हैं और तांबे के सख्त तार भी विदेशों से आयात किये गये तांबे के पिण्डकों से बनाये जाते हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : हम इस आयात को कब तक घटा सकेंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : वह तो तांबे के पिण्डकों के संभरण पर निर्भर करता है । जितनी जल्दी हम देश में तांबे के पिण्डकों के सम्बन्ध में स्वावलम्बी होंगे, उतनी ही जल्दी हम यहीं पर तांबे के तार बना सकेंगे और इसके सम्बन्ध में स्वावलम्बी बन जायेंगे । यहां पर तो तांबे की उपलब्धि का प्रश्न है ।

केन्द्रीय वधशाला समिति

†*९५९. **श्री वोडयार** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाट-व्यवस्था और निरीक्षण निदेशालय ने यह सिफारिश की है कि एक केन्द्रीय वधशाला समिति नियुक्त की जाये जो इस बात का अध्ययन करे कि भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त वधशालाओं का आयोजन किस प्रकार किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और समिति कब कायम हो जायेगी; और

(ग) गोश्त उद्योग में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)**: (क) जी, हां ।

(ख) अभी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विभिन्न राज्यों में गोश्त निरीक्षण के विद्यमान प्रभापों तथा अन्य सम्बन्धित विषयों की जांच करने के लिये पिछले वर्ष एक तदर्थ समिति बनाई गई थी। इस समिति के प्रतिवेदन के शीघ्र मिलने की आशा है।

†**श्री वोडयार** : वधशालाओं को स्वच्छ रखने के लिये कितने राज्यों ने योजनाएं प्रस्तुत की हैं ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री भक्त दर्शन : इस प्रश्न में "भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए" शब्दों का प्रयोग किया गया है तो क्या मैं जान सकता हूं कि इसका मतलब यह है कि जो वहां स्लाटर हाउस (वधशाला) में जानवर मारे जायेंगे, वे अहिंसात्मक ढंग से मारे जायेंगे ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : अहिंसा की रीति से जानवर कैसे मारे जा सकते हैं, इसकी जानकारी तो हमें नहीं है।

†**श्री वोडयार** : क्या विदेशी विशेषज्ञों ने यह सुझाव भी दिया है कि ये वधशालाएं अन्य स्थानों से अलग बनाई जायें ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : विदेशियों से मुझे कोई सुझाव नहीं मिला है। इस समिति की नियुक्ति का सुझाव तो हमारे ही हाट-व्यवस्था और निरीक्षण निदेशालय ने अपने प्रतिवेदन में दिया था। यह प्रतिवेदन हमें १५ जनवरी, १९५६ को दिया गया था।

गांवों से मिलाने वाले मार्ग

†*९६३. **श्री आर० के० गुप्त** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों से मिलाने वाले मार्ग बनाने के लिये अब तक विभिन्न राज्यों को कितना अनुदान दिया गया और उन्होंने कितने का उपयोग किया; और

(ख) इन अनुदानों के साथ यदि कोई शर्तें लगाई गई हैं तो क्या ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५९**]

श्री आर० के० गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस साल के लिए कितनी-कितनी रक़म किन-किन राज्यों को दी गई है ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस साल में तो कोई खास रकम इस काम के लिये तय नहीं की गई है। अक्तूबर सन् १९५३ में ६० लाख रुपया तीन साल के लिये इयरमार्क किया गया था और वह चलता रहा।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि यह जो ६० लाख रुपये इस काम के लिए दिये गये थे, उसमें से बहुत कम रक़म अब तक राज्य सरकारें खर्च कर पाई हैं और क्या इसके बारे में कोई विशेष प्रयत्न किया जा रहा है ताकि वे इस रक़म का और अधिक उपयोग कर सकें ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह बात सही नहीं है। बहुत हद तक यह रक़म खर्च हो चुकी है। पार्ट ए० स्टेट्स ने इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। पार्ट बी० और पार्ट सी० स्टेट्स की तरफ़ से अलबत्ता इस दिशा में थोड़ी कमी रही है।

†**श्री नटराजन** : प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाये गये सभी उपागमन मार्ग कच्चे हैं। क्या सरकार ने उन मार्गों को पक्का करने के लिये और पुलियां बनाने के लिये कोई धनराशि आवंटित की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज़ खां** : गांवों की सड़कों की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है और परिवहन मंत्रालय ने यह राशि तो केवल इसलिये आवंटित की है कि राज्यों को इस महत्वपूर्ण काम पर अधिक ध्यान देने के लिये प्रोत्साहन मिले ।

†**श्री टी० एन० सिंह** : क्या राज्य सरकारों की, विशेष रूप से भाग (क) राज्यों की, उपागमन मार्गों के निर्माण सम्बन्धी अधिकाधिक मांगें पूर्णतः पूरी कर दी गई हैं, और यदि नहीं तो कितने प्रतिशत पूरी नहीं की गई हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : भाग (क) राज्यों के सम्बन्ध में जो राशियां अलग रखी गई थीं उनका अधिकांशतः उपयोग कर लिया गया है । जो राशियां आवंटित की गई थीं उनके अलावा और कोई धन नहीं दिया गया है ।

दिल्ली परिवहन सेवा

†*९६५. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली परिवहन सेवा (डी० टी० एस०) के कारखाने (वर्कशाप) में कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन सेवा (डी० टी० एस०) के कारखाने (वर्कशाप) और डिपो में कर्मचारियों की कमी है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) ७१२ ।

(ख) बसों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण कारखाने (वर्कशाप) में कर्मचारियों की कमी पड़ गई है ।

(ग) प्राधिकारी-मंडल कारखाने (वर्कशाप) में कर्मचारियों की संख्या पूरी करने की प्रस्थापनाओं पर विचार कर रहा है । अन्तरिम कार्यवाही के रूप में कुछ अतिरिक्त कर्मचारी रखे जाने की मंजूरी दे दी गई है ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारिओं की एवजी में काम करने के लिये अन्य व्यक्ति रखे जाने का उपबन्ध है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : उपबन्ध तो है; परन्तु इस सम्बन्ध में मैं तत्काल कोई जानकारी नहीं दे सकता ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या मंत्रालय को डी० टी० एस० के लिये पर्याप्त संख्या में कर्मचारी भर्ती करने के विषय में किन्हीं विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : छुट्टी के एवजी कर्मचारियों की भर्ती करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या १९५५ में डी० टी० एस० को लाभ हुआ और यदि हां, तो कितना ? यदि कोई नुक्सान हुआ, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : इसका मूल प्रश्न से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । वैसे थोड़ा लाभ हुआ था; परन्तु मैं इस समय लाभ की राशि नहीं बता सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटर गाडी कर

†*९६८. **श्री राधा रमण** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने मोटर गाड़ी कर जांच समिति की सिफारिश के अनुसार मोटर गाड़ी कर की सीमा निश्चित करने की प्रस्थापना पर विचार किया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : सब राज्यों में मोटर गाड़ियों पर करों की उच्चतम सीमा निश्चित करने की प्रस्थापना पर सरकार बहुत दिनों से विचार करती रही है। प्रस्थापना पर अन्तिम बार चर्चा परिवहन मंत्रणा परिषद् की बैठक में फरवरी १९५६ में हुई थी, जबकि राज्यों के प्रतिनिधियों ने यह इच्छा प्रकट की थी कि उन्हें इस सुझाव पर विचार करने के लिये अधिक समय दिया जाये।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार ने इन सिफारिशों के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों से राय मांगी है तथा क्या इस सम्बन्ध में उनसे कोई जवाब आया है ?

†**श्री अलगेशन** : जैसे कि मैं ने बताया इस प्रश्न पर कई बार परिवहन सलाहकार परिषद् की बैठकों में चर्चा हुई है। स्वभावतः राज्य इस बात के लिये उत्सुक है कि उनकी करारोपण शक्तियों पर कोई उपरि सीमा निर्धारित न की जानी चाहिए। कर जांच आयोग ने भी इस प्रश्न पर विचार किया तथा अपनी कुछ प्रस्थापनाएं प्रस्तुत कीं। यह सब कुछ परिवहन सलाहकार परिषद् की फरवरी में हुई अन्तिम बैठक के बाद हुआ। एक सुझाव यह भी दिया गया कि दूसरे राज्यों द्वारा जो उपरि सीमा रखनी चाहिये वह मद्रास कर के ७५ प्रतिशत तक होनी चाहिये। इस पर विचार करने के लिये उन्होंने समय मांगा।

†**श्री राधा रमण** : सरकार ने मोटर गाड़ी कर जांच समिति की किन अन्य सिफारिशों पर विचार किया तथा उन्हें स्वीकृत किया ?

†**श्री अलगेशन** : इस प्रश्न का क्षेत्र बहुत विस्तृत है।

†**श्री बी० डी० पांडे** : क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि मोटर गाड़ियों पर कर बहुत ज्यादा है तथा यह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है ? चूंकि छावनी बोर्डों, नगर समितियों आदि ने केन्द्रीय सरकार को निर्देश किये बिना कर की हर तरह की राशि वसूल की है, इसलिये क्या सरकार देश भर में उन दरों का प्रशमीकरण करेगी ?

†**श्री अलगेशन** : जी, हां। कई प्राधिकार हैं जो मोटर गाड़ियों पर कर लगाते हैं जैसे चुंगियां आदि; परन्तु संविधान के अधीन इस तरह की शक्ति उन में निहित है। हम उनके साथ केवल तर्क वितर्क कर सकते हैं तथा यह हम परिवहन सलाहकार परिषद् की बैठकों में तथा अन्यथा करते रहे हैं।

†**श्री राधा रमण** : क्या कर जांच आयोग ने गाड़ियों के सम्बन्ध में कर-सीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया है ?

†**श्री अलगेशन** : जी, हां। उन्होंने इस पर विचार किया तथा राय दी कि इस पर परिवहन सलाहकार परिषद् में चर्चा होनी चाहिये। उनकी राय में मद्रास कर बहुत अधिक है तथा वह चाहते थे कि कर की उपरि सीमा उस से कम रखी जाये।

बुद्ध जयन्ती

†*९७४ **श्री वीरस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुद्ध जयन्ती के अवसर पर ग्रांड ट्रक एक्सप्रेस तथा अन्य डाक गाड़ियों को सांची पर रोका जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : जी हां, यदि वहां के लिये इतना यातायात हुआ

†**श्री वीरस्वामी** : क्या यातायात होने पर ग्रांड ट्रंक ऐक्सप्रेस तथा अन्य डाक गाड़ियां सांची पर मई मास के प्रारम्भ से रोकी जायेंगी ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : बुद्ध जयंती के समारोह पर उन्हें रोका जाएगा।

†**श्री वेलायुधन** : क्या बुद्ध जयन्ती में जाने वाले यात्रियों को कोई रियायत दी जायगी ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : विदेशी पर्यटकों को रियायत दी जाएगी।

†**श्री वीरस्वामी** : इस बात की दृष्टि में कि मुसाफिरों को सांची पहुंचने के लिये इस ओर भीलसा पर तथा दूसरी ओर भोपाल पर उतरना पड़ता है, उन्हें सीधे सांची पहुँचने के लिये वहां पर गाड़ियां क्यों नहीं रोकी जातीं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : उत्तर यह है कि आवश्यकता महसूस होने पर गाड़ियां रोकी जायेंगी क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं है कि बुद्ध जयंती वर्ष भर एक विशिष्ट स्थान पर ही मनाई जायगी। यह कुछ दिन के लिये हो सकता है। निर्धारित दिनों पर अवश्य ही गाड़ियां रोकी जा सकती हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

कांडला पत्तन

†***९७५. श्री तेलकीकर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो रेल की लाइन कांडला पत्तन को उत्तर से मिलाती है उसके निर्माण पर कितना रुपया व्यय हुआ है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : कांडला पत्तन उत्तर में मुख्य रेलवे लाइन से कांडला-दीसा रेलवे लाइन द्वारा मिलाया गया है। इस लिंक लाइन में कुल ६·३५ करोड़ रुपया खर्च हुआ है।

†**श्री तेलकीकर** : क्या मैं इस लाइन से होने वाली औसत मासिक आय जान सकता हूँ ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री टी० एन० सिंह** : इसके निर्माण के सिलसिले में कुछ पदाधिकारियों के आचरण की जाँच की गई थी। क्या मैं जान सकता हूं कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : माननीय सदस्य का आशय कदाचित् उन पदाधिकारियों से है जिनके विरुद्ध इस समय जांच की जा रही है। वे सौराष्ट्र के हैं, किन्तु यह जांच लगभग समाप्त हो चुकी है तथा कुछ मामले अब भी संघ लोक-सेवा आयोग (यूनिअन पब्लिक सर्विस कमिशन) के विचाराधीन हैं।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या पत्तन पर स्थापित किये जाने वाले आधुनिक उपकरण भी इस राशि में सम्मिलित हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : प्रश्न रेलवे लाइन से सम्बन्धित था, पत्तन से नहीं।

पटसन के परिवहन के लिये माल-डिब्बे

†***९७८. श्री पी० जी० सेन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्निया ज़िला, बिहार, के पटसन केन्द्रों को पर्याप्त संख्या में वेगन न मिलने के कारण, इस सीज़न में स्थानीय पटसन के मूल्य में २ रु० से ३ रु० प्रति मन की गिरावट आ गयी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि पूर्निया के फोरबस गंज तथा बनमोखी केन्द्रों को गत वर्ष कितने वेगन दिये गये थे और इस वर्ष अब तक कितने दिये गये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) रेलवे मंत्रालय यह बताने की स्थिति में नहीं है कि वास्तव में किन कारणों के मूल्यों में कथित गिरावट आयी । लेकिन यह सच है कि सन् १९५५–५६ में पूर्निया ज़िले के केन्द्रों से कलकत्ता क्षेत्र के लिये पटसन का लदाव पहले के वर्ष की अपेक्षा कम हो गया जिसका मुख्य कारण यह था कि गंगा नदी की अनिश्चितता की स्थिति के कारण उसके पार के माल ढोने के स्थानों पर संचालन कार्य कठिन हो गया । घाट के शनैः-शनैः स्थायीकरण के साथ कलकत्ते की मिलों के लिये जूट के लदान में कुछ वृद्धि हुई है तथा इसमें और भी सुधार होने की आशा है ।

(ख)	१–८–५४ से २६–२–५५ तक	१–८–५५ से २६–२–५६ तक
फोरबसगंज	४,२०४	२,७३७
बनमोंखी	१,४०८	३९८

†**श्री पी० जी० सेन** : २०–२–१९५६ के 'इंडियन नेशन' में प्रकाशित हुआ था कि पटसन के माल को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि इसके बावजूद भी कि वगनों की पर्याप्त संख्या नहीं दी गई थी, अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जहां तक पटसन के परिवहन का प्रश्न है, यह कलकत्ते तथा बिहार की मिलों को भेजा जाता है । जहां तक बिहार की मिलों का प्रश्न है, वैगनों के मामले में कोई कठिनाई नहीं हुई है । किन्तु कलकत्ता क्षेत्र की पटसन मिलों के सम्बन्ध में वैगनों की कठिनाई हुई है । यह, जैसा मैंने बताया, माल ढोये जाने की कठिनाई, नदियों की अनिश्चितता तथा अपूर्व बाढ़ के कारण हुआ और ये चीज़ें रेलवे मंत्रालय के नियंत्रण के बाहर की थीं ।

†**श्री बी० के० दास** : सभासचिव ने बतलाया कि परिवहन की स्थिति में गत वर्ष कुछ खराबी आ गई थी । क्या यह सच नहीं है कि गत वर्ष से पहले के वर्ष में भी स्थिति ठीक नहीं थी, और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि भविष्य में स्थिति सुधारने के लिये क्या पग उठाए जा रहे हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : सब से महत्वपूर्ण कदम जो हम उठा रहे हैं वह मोकामे पुल का निर्माण है ।

†**श्री एल० एन० मिश्र** : क्या मंत्री जी को पता है कि इन स्टेशनों पर प्रति दिन बड़ी संख्या में वैगन जाते हैं जो कोसी परियोजना के लिये सामान ले जाते हैं, किन्तु वापसी में ये खाली लौटते हैं ? यदि ऐसा है तो क्या रेलवे मंत्रालय ने इन वैगनों का उपयोग करने की सम्भावनाओं पर विचार किया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है तथा खाली वैगनों का हम जितना प्रयोग कर सकते हैं करते हैं ।

पोस्टल कैश सर्टीफिकेट

*९८०. **डा० सत्यवादी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के डाक घरों में विभाजन पूर्व के पोस्टल कैश सर्टीफिकेटों की कितनी राशि पड़ी हुई है;

(ख) क्या ऐसे सर्टीफिकेटों के मालिकों को अन्तिरिम भुगतान करने के लिये सरकार ने कोई निश्चय किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पाकिस्तान से भारत में स्थानान्तर किये गये ऐसे डाक सार्टिफ़िकेटों के दावे, जिनकी निर्धारित तारीख़ तक रजिस्ट्री की जा चुकी थी तथा जिनका भारत में स्थानान्तरण नहीं हुआ है-- उनकी रक़म १ मार्च, १९५६ को १,३६,३८,०९३ रुपये थी।

(ख) जी, हां।

(ग) इस सम्बन्ध में एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रक्खा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६०]**

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस मामले में आखिरी फैसला करने के लिये पाकिस्तान से कोई बातचीत हुई है, और अगर हुई है तो उसका क्या नतीजा निकला है ?

श्री राज बहादुर : बातचीत कई मर्तबा हुई है। लेकिन अन्तिम नतीजा तो अभी तक नहीं निकला है।

डा० सत्यवादी : जो लोग किसी कारण से अपने पोस्टल सर्टीफिकेट का क्लेम (दावा) जून सन् १९४९ तक दाखिल नहीं कर सके और जिन्होंने पहली स्कीम से भी फायदा नहीं उठाया, क्या अब भी उनके लिए इस किस्म का फायदा उठाने का कोई रास्ता है ?

श्री राज बहादुर : जो रास्ता अब तक अख्तियार किया जा चुका है मैं उसके बारे में विवरण दे सकता हूं। शुरू में यह तै किया था कि अगर किसी सार्टीफिकेट होल्डर को पहचाना जा सके तो उसे ५०० रुपये तक के भुगतान की रियायत दी जायेगी। इससे ज्यादा रक़म के लिये इंडैम्निटी बांड और ज़ामिनों की ज़रूरत होती थी। यह स्कीम ३० जून सन् १९४८ तक चली। उसके बाद यह स्कीम ख़त्म हो गई। इसके अलावा १ अप्रैल सन् १९५२ से ३५ महीनों तक रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री (पुनर्वास मंत्रालय) ७५ रुपये से १०० रुपये तक की रकमें देती रही। यह स्कीम ३० जून सन् १९४९ तक चलती रही।

वायु मार्ग

†*९८२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री १७ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन वायु मार्गों को वायुयान के लिये पर्याप्त मुसाफिर उपलब्ध न होने के कारण बन्द कर दिया गया था, उन्हें फिर से चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : अपेक्षित सूचना दर्शाते हुए एक विवरण मैं लोक-सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६१]**

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूँ कि इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन द्वारा जिन अन्य तीन सेवाओं का निर्णय किया गया है उन्हें कब चालू किया जायगा ?

†**श्री राज बहादुर** : चालकों की अपेक्षित कमी पूरी होते ही तथा वायुयानों की अपेक्षित संख्या प्राप्त होते ही हम इन सेवाओं को प्रारम्भ कर सकेंगे।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि दिल्ली-अम्बाला वायुमार्ग इसी कारण बन्द कर दिया गया था, और यदि हां तो क्या सरकार का विचार इस मार्ग पर भी वायु सेवा प्रारम्भ करने का है ?

†**श्री राज बहादुर** : माननीय सदस्य को पटल पर रक्खे गये विवरण से आसानी से विदित होगा कि ये छः सेवाएं स्वीकृत हुई हैं : दिल्ली–आगरा-ग्वालियर–भोपाल–इंदौर–औरंगाबाद–बम्बई, दिल्ली–लाहौर, दिल्ली–जयपुर–जोधपुर–अहमदाबाद–राजकोट, मद्रास–त्रिची–मदुराई–त्रिवेंद्रम–कोचीन, बम्बई–बड़ौदा–अहमदाबाद, और मद्रास–विजयवाड़ा–हैदराबाद। दिल्ली–अम्बाला इस में नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार इकबाल सिंह** : दिल्ली-अम्बाला सेवा गत वर्ष प्रारम्भ की गई थी और बाद में मुसाफिरों की कमी के कारण इसे बन्द कर दिया गया था। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस सेवा को विवरण में क्यों नहीं सम्मिलित किया गया है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : कारण स्पष्ट है। यह सेवा हमने प्रयोग के रूप में प्रारम्भ की थी जिससे कि शिमला तथा अन्य स्थानों को जाने वाले पर्यटकों को सुविधा हो। किन्तु इस मार्ग पर पर्याप्त यातायात न होने के कारण इसे बन्द कर देना पड़ा। अम्बाला के लिये सेवा प्रारम्भ करना विचाराधीन नहीं है क्योंकि इससे खर्चा नहीं निकलेगा।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूँ कि दिल्ली और चंडीगढ़ के मध्य कोई वायु सेवा प्रारम्भ करने के लिये विचार हो रहा है ?

†**श्री जगजीवन राम** : चंडीगढ़ एक राज्य की राजधानी है और इसलिये इसे वायुमार्ग से मिलाने के प्रश्न पर हमें विचार करना होगा।

†**श्री जी० एस० सिंह** : उस दिन माननीय मंत्रीजी द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की दृष्टि में कि 'हेरोन' वायुयान भारतीय दशाओं के अन्तर्गत असंतोषजनक सिद्ध हो रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ कि जिन मार्गों पर वे वायुयान चल रहे हैं वहां उनके स्थान पर कोई अन्य वायुयान चलाने पर विचार हो रहा है ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैंने यह चीज़ कभी नहीं कही थी। मैंने कहा था कि 'हेरोन' वायुयानों का कार्यापन उतना अच्छा नहीं रहा है जितनी कि हमें आशा थी।

गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†*९८४. **श्री संगण्णा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में निगमों तथा नगरपालिकाओं को गन्दी बस्तियों की सफाई और वहां पानी प्रदाय तथा नाली व्यवस्था के सुधार के लिये कोई ऋण दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन ऋणों की वापसी की क्या शर्तें हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) और (ख). शहरी जल व्यवस्था व सफाई के लिये स्वीकृत ऋणों के सम्बन्ध में एक विवरण लोक-सभा पटल पर रक्खा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६२]**

दिल्ली में कुछ गन्दी बस्तियों के पुनरुद्धार के लिये मार्च, १९५६ में दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को ५० लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस प्रयोजन के लिये अभी तक कोई और ऋण की स्वीकृति नहीं दी गई है।

†**श्री संगण्णा** : क्या मैं जान सकता हूँ कि विभिन्न राज्यों में गन्दी बस्तियों के पुनरुद्धार के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई उपबन्ध किया गया है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : जी हां। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गन्दी बस्तियों के पुनरुद्धार और शहरी तथा देहाती जल प्रदाय का उपबन्ध किया गया है।

†**श्री संगण्णा** : क्या मैं जान सकता हूँ कि विभिन्न नगरपालिकाओं तथा निगमों को दिए गये ऋण पूर्णतया खर्च हो गये हैं, और यदि नहीं तो इसका कारण क्या है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : राज्यों की नगरपालिकाओं को दिए जाने वाले ऋण राज्य सरकारों के जरिए दिए जाते हैं। उनमें से कुछ उस रुपए को पूरा खर्च नहीं कर सके हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राधा रमण** : मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली में गन्दी बस्तियों के पुनरुद्धार के लिये ५० लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। क्या मैं जान सकता हूँ कि यह राशि किस प्रकार खर्च की जा रही है तथा ३१ मार्च, १९५६ तक कितनी खर्च की जाएगी ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मुझे आशा है कि यह पूरी राशि खर्च हो जायेगी; जो भी हो, यह व्यपगत नहीं होगी। दिल्ली में ३९६ मकान किलोकारी में, १,१९६ मकान झीलमिल्ला तिहारपुर में, १४४ मकान अहाता किदारा में तथा ४२० मकान जंगपुरे में बनाने की योजना है।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : स्लम क्लियरेंस (गन्दी बस्तियों के पुनरुद्धार) के सिलसिले में हरिजन कालोनी में एक घर गिराया गया जिसमें एक औरत दब गई, मरी नहीं, और एक हरिजन को इस सिलसिले में पीटा गया। इसके बारे में मैंने मंत्री महोदय को शिकायत भेजी है। क्या मैं जान सकती हूँ कि उस पर क्या कार्रवाई की गई ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : माननीय सदस्य जो कुछ कह रही हैं उसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है। अगर वे लिखकर बतायेंगी कि क्या हादसा हुआ है तो मैं उसे देखूंगी।

†**श्री गिडवानी** : क्या माननीय मंत्री सभा पटल पर उन राज्यों के नाम रखने की कृपा करेंगी जिन्होंने अब तक पूरी राशि का उपयोग नहीं किया है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : जी हां, अवश्य। मैं सदन पटल पर एक विवरण रक्खूंगी जिसमें यह दिया गया होगा कि कितना रुपया आवंटित किया गया था, कितना खर्च किया गया, कितना खर्च नहीं किया गया और किस राज्य द्वारा।

†**श्री केशव अय्यंगार** : इस बात की दृष्टि में कि दिए जाने पर भी प्रयोग न होने के कारण बड़ी राशियां व्यपगत हो गई हैं, सरकार द्वारा इन राशियों के उपयोग में शीघ्रता लाने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : हम केवल राज्य सरकारों से काम में गति लाने के लिये कह ही सकते हैं। किन्तु कभी-कभी शायद नलों के न मिलने के कारण तथा टेकनीकल लोगों के उपलब्ध न होने के कारण भी विलम्ब हो जाता है।

†**श्री बालकृष्णन** : क्या मैं जान सकता हूँ कि डिंडीगल नगरपालिका के वाटर वर्क्स के लिये जो ऋण स्वीकृत हुआ था वह दे दिया गया है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मुझे खेद है कि प्रत्येक नगरपालिका का पृथक-पृथक ब्यौरा मेरे पास नहीं है।

टिकानिया में तारघर

†**९८५. श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल की सीमा पर स्थित टिकानिया में कोई तार घर खोलने का विचार है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : जी हां, इस पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री जी० एल० चौधरी** : उस स्थान पर टेलीग्राफ आफ़िस खुलने की कब तक आशा की जा सकती है ?

†**श्री राज बहादुर** : एक बार पहले भी इसकी जांच की जा चुकी है किन्तु न तो यह सब-डिवीज़न का हडक्वार्टर ही है और इसकी आबादी भी केवल १,८५५ है। इसलिये वहां पर टेलीग्राफ आफ़िस क़ायम करने में मुश्किल पड़ रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति

†*९८६. **श्री गिडवानी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ से अब तक अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति की कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) समिति ने किन-किन विषयों पर चर्चा की और क्या-क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) उनमें से प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) नौ ।

(ख) और (ग). जैसा कि नाम से मालूम होता है, उपसमिति का उद्देश्य अनौपचारिक परामर्श है । कोई औपचारिक कार्यवाहियाँ नहीं की गई हैं और समिति की सिफारिशें नहीं हैं । अनेक सदस्यों ने जो दृष्टिकोण व्यक्त किये हैं उन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या विचार जो प्रकट किये गये हैं उनका कोई अभिलेख रखा जाता है जिससे कि मंत्रियों को अपने कार्यवाहियों में मार्गदर्शन प्राप्त हो ?

†**श्री आबिद अली** : श्रम मंत्रालय के अधीन अनेक विभागों के प्रधान इन बैठकों में उपस्थित रहते हैं और वहां दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हैं ।

†**श्री गिडवानी** : क्या वे लिख लिये जाते हैं या केवल दिमाग़ में ही रखे जाते हैं ?

†**श्री आबिद अली** : दोनों ही ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय उपमंत्री ने बताया कि नाम से यह मालूम होता है कि वह अनौपचारिक परामर्श है । क्या इन परामर्शों के फलस्वरूप समिति की बहुसंख्यक या सामान्य राय को सिफारिशों का रूप देने में कोई रुकावट है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्या यह पूछना चाहती हैं कि यद्यपि वह अनौपचारिक हों, फिर भी क्या समिति की बहुसंख्यक या सामान्य राय अथवा सिफारिशें को कार्यान्वित करने में इसकी कोई रुकावट है ?

†**श्री आबिद अली** : मैंने यह नहीं कहा कि कार्यान्वित नहीं की गई हैं बल्कि मैंने यह कहा था कि टिप्पण नहीं रखे गये हैं । इन सभाओं में मतदान नहीं होता । वहां चर्चा होती है, सुझाव दिये जाते हैं और उचित कार्यवाही की जाती है ।

†**श्री गिडवानी** : मंत्री जी ने कहा कि कोई टिप्पणियां नहीं रखी गई थीं । जब समिति की ये बैठकें होती हैं तब कुछ लिखित टिप्पणियां बनायी जानी चाहियें जिससे कि कार्यवाही करने में मंत्रियों को मार्ग दर्शन मिले जैसा कि कुछ मंत्रालयों में किया गया है । मैं पुनर्वास मंत्रालय को ऐसा करने के लिये धन्यवाद देता हूं । मैं सुझाव दूंगा कि उपमंत्री भी वैसा ही करें ।

†**श्री आबिद अली** : जहां तक इस विशिष्ट समिति के सदस्यों का सम्बन्ध है, उन्होंने कोई विशिष्ट इच्छा प्रकट नहीं की है और न उनकी ओर से कोई आपत्ति हुई है ।

यमुना पुल

*९८९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रेलवे** मंत्री ६ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुमायूं के मकबरे और शाहदरा के बीच यमुना पर एक पुल के निर्माण के प्रश्न पर, जो विचाराधीन था, कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उस पुल की लम्बाई, पूंजी-व्यय और निर्माण में लगने वाला समय आदि दिखाने वाला एक विवरण सभा के टेबल पर रखा जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सुझाव पर अभी विचार हो रहा है। इस पर अभी आखिरी फैसला नहीं किया गया है।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या यह बताया जा सकता है कि कब तक इस सम्बन्ध में निर्णय होने की आशा की जा सकती है और इसमें देरी होने का कारण क्या है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : देरी होने का खास कारण तो यह है कि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री ने पहले यह सोचा था कि यह रोड ब्रिज बनेगा, लेकिन बाद में उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री से पूछा कि रोड और रेलवे ब्रिज मिलाजुला ब्रिज बनाना चाहते हैं कि नहीं तो रेलवे मिनिस्ट्री इस चीज़ के ऊपर गौर कर रही है।

कलकत्ता पत्तन

†***९९०. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन क्षेत्र में अगस्त १९५५ से आयात की स्थिति जारी रखी जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां, ३१ मार्च, १९५६ तक ।

(ख) पत्तन में काम करने की सामान्य दशाओं को स्थिर करने के लिये ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : इस घोषणा का क्या परिणाम है ?

†**श्री आबिद अली** : परिणाम बहुत संतोषजनक रहा । हिंस और अभित्रास दूर हो गया है और उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : आपात की यह स्थिति कब समाप्त होगी ?

†**श्री आबिद अली** : ३१ मार्च को; और उसे बढ़ाने का हमारा विचार नहीं है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : वह कितनी बार बढ़ाया जा चुका है ? क्या सरकार का उसे और आगे बढ़ाने का विचार है ?

†**श्री आबिद अली** : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं उसे आगे बढ़ाने का हमारा विचार नहीं है। आपात ३१ मार्च को समाप्त हो रहा है। वह दो बार बढ़ाया गया था।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्

***९९१. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की पिछली बैठक में किन-किन मामलों पर चर्चा की गई और उसके संकल्पों और सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार उक्त संकल्पों में से किन-किन पर कार्यवाही करना चाहती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) इस बारे में एक विवरण, जिसमें आवश्यक जानकारी दी गई है, सभा की मेज़ पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६३**]

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा पास किये गये संकल्पों की एक-एक नकल सभी राज्य सरकारों को जानकारी व आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दी गई है। केन्द्रीय सरकार उन संकल्पों पर कार्यवाही कर रही है जिन से उसका ताल्लुक है, यानें :– १, २, ३, ४, ५, ८, ९, १० और १३।

श्री श्रीनारायण दास : क्या मैं जान सकता हूं कि जो विचारणीय प्रश्न थे, उनमें ६ नवम्बर का जो प्रश्न था कि मौजूदा व नये अस्पतालों के लिये फंड एकत्र करने के विचार से अखिल भारतीय आधार पर इस्पात लाटरी चलाई जाय, तो इसके बारे में क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से कुछ परामर्श करना शुरू कर दिया है ?

राजकुमारी अमृत कौर : इस के बारे में मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से कुछ चर्चा की थी और गवर्नमेंट की जो पालिसी रही है वह लाटरीज़ के विरोध में रही है, तो भी जो उन्होंने राय दी है वह मैं प्रान्तीय सरकारों के पास भेज रही हूं।

†**श्री गिडवानी** : माननीय मंत्री ने बताया कि संकल्प संख्या ४, ५, ८ आदि पर उन्होंने कार्यवाही की है। मैं जानना चाहता हूं कि संकल्प संख्या १ के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ? सिफारिश इस प्रकार से है :

"ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिये पूर्ण-योग्यता प्राप्त डाक्टरों की अत्यन्त आवश्यकता को देखते हुए परिषद् यह सिफारिश करती है कि केन्द्र उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिये राज्य सरकारों को पर्याप्त सहायता दे।"

वास्तविक क्या कार्यवाही की गई है और कितना धन दिया जा चुका है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : इस विषय में केन्द्रीय सरकार केवल इतना ही कर सकती है कि इसे योजना आयोग के समक्ष रखे और पूछे कि क्या इस प्रकार की सहायता राज्य सरकारों को दी जा सकती है। हम यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या यह सम्भव भी है ?

†**श्री गिडवानी** : संकल्प संख्या ५ के बारे में क्या मैं जान सकता हूं कि चिकित्सा दल के कोई विशेषज्ञ और डाक्टर असैनिक अस्पतालों में सलाहकारों आदि के तौर पर अवैतनिक रूप में काम कर रहे हैं तथा इसी तरह असैनिक अस्पतालों के विशेषज्ञ डाक्टर भी सैनिक अस्पतालों में काम कर रहे हैं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : हम उस बारे में भी पत्र व्यवहार कर रहे हैं। एक बार यह सुझाव दिया गया था और वह भी स्वीकार कर दिया गया था। प्रश्न यह था कि यदि हम सेना के डाक्टरों को असैनिक अस्पतालों में अवैतनिक तौर पर काम करने दें तो क्या वैसी ही सुविधाएं असैनिक डाक्टरों को सेना के अस्पतालों में दी जायेंगी।

†**श्री गिडवानी** : पहले ही टी० बी० के मामलों की भारी संख्या से उत्पन्न आपात को देखते हुए क्या सरकार टी० बी० के नियंत्रण के लिये कोई अखिल भारतीय योजना बनाने की प्रस्थापना कार्यान्वित करने का विचार कर रही है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : वह कार्यान्वित की जा रही है क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में टी० बी० नियंत्रण को बहुत बड़ा महत्व दिया जा रहा है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : चूंकि हमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिये डाक्टरों की जरूरत है, उन्हें इतना कम वेतन क्यों दिया जाता है ? उनके वेतन क्रमों का पुनरीक्षण न करने के क्या कारण हैं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : वही संकल्प था कि राज्य सरकारें अतिरिक्त वेतन दें। राज्य सरकारों ने कहा कि यदि उन्हें केन्द्रीय सरकार से इसके लिये कुछ सहायता दी जाये तो वे बहुत कृतज्ञ होंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

नाविकों के लिये कोचीन में प्रशिक्षण स्कूल

†*९९३. **श्री राधारमण** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन पत्तन अधिकारियों और राज्य सरकारों के बीच कोचीन में नाविकों के लिये एक प्रशिक्षण स्कूल खोलने के विषय में कोई करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वहां कितने नाविकों को प्रशिक्षण दिया जायगा, और

(ग) उस योजना के अन्य विस्तार क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) इस पर केन्द्रीय सरकार निश्चय करेगी और अभी वह विषय कोचीन पत्तन अधिकारियों और राज्य सरकार के परामर्श से उसके विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). ये विस्तार अभी निश्चित नहीं किये गये हैं ।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार देश के अन्य किसी भाग में नाविकों के प्रशिक्षण के लिये इसी प्रकार के दूसरे स्कूल चला रही है ?

†**श्री अलगेशन** : विजग, कलकत्ता और सौराष्ट्र में नवलाखी में ये तीन स्थापनाएं हैं ।

†**श्री राधा रमण** : किन प्रस्थापनाओं पर राज्य सरकारों से चर्चा हो रही है ? क्या केन्द्रीय सरकार ने स्कूल के लिये कोई अनुमानित लागत निर्धारित की है और क्या वह केन्द्र और राज्यों के बीच बांटी जायगी ?

†**श्री अलगेशन** : उसे बांटने का कोई प्रश्न नहीं है । वह तो अधिकांश रूप से राज्य सरकारों द्वारा सुविधाएं देने का प्रश्न है । एक पदाधिकारी जा चुके हैं । अब हम नौवहन के महानिदेशक से एक प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री कामत** : अब राष्ट्रपति के लोकतंत्र विरोधी हस्तक्षेप के कारण वहां राज्य सरकार समाप्त हो गई है । क्या सरकार, उस योजना को आगे बढ़ाने के लिये, अभी नियुक्त एक सलाहकार के बजाय पुरानी विधान सभा के सभी दलों के प्रतिनिधियों की एक मंत्रणा समिति बनाने का विचार करती है ?

†**श्री अलगेशन** : इस प्रश्न के साथ उसकी क्या संगति है ?

†**श्री कामत** : उत्तर में राज्य सरकार का निर्देश है । वहां राज्य सरकार राष्ट्रपति के अनपेक्षित आदेश से समाप्त कर दी गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कोई वादग्रस्त विषय उठाने या कोई आक्षेप कसने के लिये किसी प्रश्न या प्रश्नकाल का उपयोग नहीं कर सकते ।

†**श्री कामत** : लोकतंत्रात्मक आलोचना ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां वह असंगत है । कोई भी प्रश्न सरल होना चाहिये और उसमें आक्षेप नहीं होना चाहिये । प्रश्न सीधा और सरल होना चाहिये और उसका केवल एक ही उत्तर हो । कृपया माननीय सदस्य इसे ध्यान में रखें । अन्य बातें अन्यत्र संगत हो सकती हैं किन्तु यहां नहीं ।

†**श्री कामत** : प्रश्न के बारे में क्या हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से उसका उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्री कामत** : प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । आपने कहा कि वह आक्षेप है । वह आक्षेप नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : मैं केवल यहीं कहना चाहता था कि माननीय सदस्य विषय से दूर गए हैं।

†**श्री कामत** : मैं नहीं जानता कि विषय से उन का क्या अर्थ है। मुझे खेद है कि माननीय मंत्री बात नहीं समझते। चूंकि त्रावणकोर-कोचीन में राज्य सरकार समाप्त हो गई है, क्या सरकार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकार के बजाय पुरानी विधान सभा के सभी दलों की एक प्रतिनिधिक मंत्रणा समिति, प्रश्न में निर्दिष्ट योजना को आगे बढ़ाने के हेतु, बनाने का विचार करती है। यह एक सरल प्रश्न है। माननीय मंत्री इसे नहीं समझते।

†**श्री अलगेशन** : पहले प्रश्न के लिये मेरा यह उत्तर था कि एक पदाधिकारी कोचीन गये हुए हैं और उन्होंने त्रावणकोर-कोचीन सरकार के पदाधिकारियों और पत्तन अधिकारियों से परामर्श किया है और हम इस विषय पर नौवहन के महानिदेशक से एक प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री कामत** : यदि मैंने ठीक सुना हो तो उत्तर में राज्य सरकार का निर्देश है। वे उत्तर पढ़ें।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब वहां राज्य सरकार थी, तब उसने इस विषय पर अपनी राय दी थी और अब वह नौवहन के महानिदेशक के पास लंबित है। अब आगे राज्य सरकार से पूछने का कोई प्रश्न नहीं है और राज्य सरकार के अस्तित्व होने या न होने के बारे में कोई प्रश्न इस विषय से असंगत है। इन दशाओं में उत्तर दिया जा चुका है। अगला प्रश्न।

†**श्री कामत** : उत्तर नहीं दिया गया है। आश्चर्य है।

नेत्र अस्पताल, सीतापुर

†*९९६. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या नेत्र अस्पताल, सीतापुर के प्रबन्धकों ने सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी, हां।

(ख) १९५५-५६ में अस्पताल को ३० हजार रुपये का अनुदान दिया गया था।

श्री जी० एल० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस अस्पताल में प्रत्येक वर्ष कितने रोगियों का उपचार किया जाता है ?

राजकुमारी अमृत कौर : यह सवाल तो यू० पी० गवर्नमेंट से पूछना चाहिये।

†**श्री विश्वनाथ राय** : अस्पताल की प्रशंसनीय सेवाओं को देखते हुए क्या सरकार अनुदान बढ़ाने का विचार करती है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : आवर्तक अनुदान देना केन्द्रीय सरकार के लिये संभव नहीं है। हमने ३० हजार रुपये दिये क्योंकि अस्पताल अच्छा काम कर रहा था। मुख्यतः इस प्रकार के सभी अस्पताल राज्य सरकार के उत्तरदायित्व में होने चाहिये।

†**श्री टी० एन० सिंह** : क्या जिन संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार अनुदान देती है उन्हें कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नहीं कहा जाता जिससे कि सरकार यह जान सके कि कौन सा उपयोगी कार्य वे कर रही हैं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : जी, हां। राज्य सरकारें नियमतः इस आशय की सिफारिशें भेजती हैं कि अस्पताल अच्छा काम कर रहा है और यदि वें पूंजी व्यय के लिये कुछ चाहती है और उन्हें मदद करना केन्द्रीय सरकार के लिये संभव होता है, तो केन्द्रीय सरकार उन्हें मदद करती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० डी० पांडे** : इस बात को देखते हुए कि सीतापुर नेत्र अस्पताल अच्छे तथा महत्वपूर्ण अस्पतालों में से एक है, क्या मंत्रीजी इस अस्पताल को विशेष अनुदान देने का विचार करते हैं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मैंने पहले ही ३० हजार रुपये दे दिये हैं और अब यह राज्य सरकार का काम है कि वह इस अस्पताल को मदद दे ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

†*९६०. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने शरणार्थियों में आवंटन के लिए आसाम के कछार जिले और त्रिपुरा में ऐसी जमीनों का सर्वेक्षण किया है जिनका कि पुनरुद्धार किया जा सकता हो; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम हुये ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) सर्वेक्षण से यह जानकारी हुई है कि आसाम के कछार ज़िले की १२,००० एकड़ वन भूमि तथा त्रिपुरा की इसी प्रकार की ८०,००० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाने के लिये प्राप्य है ।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या प्राक्कलित वन भूमि का कोई भाग कृषि योग्य बनाया जा चुका है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : अभी किसी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इस कृषि योग्य भूमि बनाने के कार्य का निर्णय किया जा चुका है तथा यदि हां, तो यह कब प्रारम्भ होगा तथा कब तक समाप्त होगा ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : मुझे खेद है कि, कृषि योग्य भूमि बनाने के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व कई प्रारम्भिक बातों को अन्तिम रूप दिया जायेगा । इसमें कुछ समय लगेगा ।

†**श्री बीरेन दत्त** : त्रिपुरा की बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव हैं ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : प्रस्ताव यह है कि जैसा मैंने उत्तर में बताया कुछ भूमि प्राप्य है । केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, बहुत से काम करने हैं । सबसे पहला तथा महत्वपूर्ण कार्य सड़क बनाना है जिससे यंत्र तथा अन्य सामग्री जा सके । इन बातों पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री बी० के० दास** : क्या यह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन सम्पूर्ण कार्य करेगा अथवा अन्य कोई अभिकरण इस कार्य के लिये नियुक्त किया जायेगा ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : यदि राज्य प्रशासन तथा पुनर्वास मंत्रालय पैसा उपलब्ध करने को तैयार हो तो केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन कार्य करने के लिये तत्पर है ।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन का भूमि को कृषि योग्य बनाने का व्यय ग़ैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा भूमि को कृषि योग्य बनाने के व्यय से अधिक है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : यह सस्ता भी तथा अच्छा भी है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस भूमि को कृषि योग्य बनाने में कुल कितना धन व्यय होगा ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : गणना किये गये आंकड़ों के अनुसार, व्यय ५० रुपये प्रति घंटा होगा । यह समझा जाये कि लगभग इससे एक एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई जा सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय राजपथ

*९५०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ-सागर सड़क, जो कानपुर, हमीरपुर और महोबा होकर जाती है, कितने मील लम्बी है;

(ख) लखनऊ-सागर सड़क कितने मील तक राष्ट्रीय राजपथ घोषित कर दी गई है; और

(ग) एक सीधे और छोटे मार्ग को छोड़कर एक अधिक लम्बे मार्ग को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) २७० मील ।

(ख) ३१२ मील ।

(ग) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६४]**

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

†*९५२. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का समस्त निर्माण कब पूर्ण हो जायेगा;

(ख) क्या मूलत: स्वीकृत प्राक्कलन में कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) यह पूर्ण हो चुका है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मेडिकल कालेज अस्पताल, त्रिवेन्द्रम

†*९५५. **श्री पुन्नूस** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या यह सच है कि राक फैलर फाउन्डेशन ने त्रिवेन्द्रम के मैडिकल कालिज को ३५,००० डालर का अनुदान दिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

चाय बागान कामगरों के लिये भविष्य निधि

†*९६१. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने आसाम सरकार को आसाम के चाय बाग़ान के कामगरों के लिये अपना भविष्य निधि विधान बनाने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये कुछ शर्तें निर्धारित की हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). जी हां । परन्तु इस शर्त पर कि जब कर्मचारी भविष्य निधि-अधिनियम १९५२ चाय बागान पर लागू होगा तब आसाम अधिनियम का निरसन कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्लासगो गोदी में भारतीय नाविकों की मृत्यु

†*९६२. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लासगो गोदी पर खड़े क्लान एलपाइन नामक ब्रिटिश फरेटंर पर कुछ भारतीय नाविकों की मृत्यु के कारणों की कोई जांच की गई है; और

(ख) क्या सरकार ने उनके नियोजकों से मरे हुये नाविकों के परिवारों के लिये प्रतिकर की मांग की है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १३ फरवरी, १९५६ को ग्लास्गो के शैरीफ कोर्ट ने एक खुली जांच की थी ।

(ख) लन्दन के भारत के उच्चायुक्त जहाज़ के स्वामियों से इस प्रश्न पर पत्रव्यवहार कर रहे हैं ।

गूटी स्टेशन का नये ढंग का बनाना

†*९६४. **श्री लक्ष्मय्या** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गूटी रेलवे स्टेशन, जोकि इस समय मद्रास से करनूल जाने वाले सरकारी तथा ग़ैर सरकारी कर्मचारियों के लिये गाड़ी बदलने का स्टेशन है, को सुधारने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो मामला किस स्तर पर है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी, हां ।

(ख) नये ढंग का बनाने का कार्यक्रम, विचार करने के लिये तथा इसको १९५७–५८ के कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के लिये प्रयोक्ता सुविधा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

पूर्वोत्तर रेलवे क अवशिष्ट का निबटारा

†* ९६७. **श्री धुसिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा नियम है कि कर्मचारियों का बकाया धन एक निश्चित अवधि में अवश्य चुकाया जाना चाहिये; और

(ख) क्या ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें पूर्वोत्तर रेलवे ने कई वर्षों तक कर्मचारियों को अवशिष्ट का भुगतान नहीं किया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । परन्तु अवशिष्ट के भुगतान के लिये विशेष कार्यवाही की गई है तथा इस विषय पर विशेष तौर से ध्यान रखा जा रहा है ।

दूसरे दर्जे के यात्रियों की यात्रा

†*९६९. **श्री नन्द लाल शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में दूसरे दर्जे में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की क्या संख्या थी;

(ख) डिब्बों में प्राप्य सीटों की संख्या तथा यात्रियों की संख्या का क्या अनुपात है; और

(ग) जैसा कि दर्जों के पुन: श्रेणीकरण से पूर्व था क्या सीटों की संख्या के अनसार टिकटों को जारी किया जाता है?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ४९६·७ (हजार)

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रतिशत

ब्राड गाज	मीटर गाज
१९·२	१६·२

(ग) दूसरे दर्जे की सीटों की संख्या के अनुसार टिकटों को सामान्यतः जारी नहीं किया जाता है ।

पुराने दूसरे दर्जे में सोने के स्थान की व्यवस्था थी, जिसके लिये बर्थ का आरक्षण किया जाता था । परन्तु वर्तमान दूसरे दर्जे में, कुछ विशिष्ट गाड़ियों में ही केवल इस प्रयोजन के अलग निर्धारित डिब्बों में सीटों का आरक्षण किया जाता है ।

यात्री सुविधायें

†*९७०. **डा० जे० एन० पारिख** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में पश्चिम रेलवे को, विशेषतया सौराष्ट्र के गोंडल क्षेत्र के लिये, यात्री सुविधा निधि में से कितनी धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) कथित अवधि में, वास्तव में, कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) बड़ी बड़ी धनराशियों को प्रयोग में न लाने के क्या कारण हैं; और

(घ) कमियों को दूर करने तथा यात्री सुविधाओं की निधि को शीघ्र उपयोग में लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६५]**

(ग) सामान्यतः कोई कमी नहीं है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

काबुल में भारतीय असैनिक उड्डयन कर्मचारी

†*९७१. **श्री बी० वाई० रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काबुल के असैनिक उड्डयन विभाग के भारतीय रेडियो दल को अफगान मुद्रा में वेतन दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उनको भारतीय बाज़ार की तुलना में विनिमय की सरकारी दर बहुत कम होने के कारण, बहुत कठिनाई हो रही है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां, इसी प्रकार जिस प्रकार से कि काबुल में भारतीय दूतावास के भारत-आधारित कर्मचारियों को दी जाती है ।

(ख) सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं तथा ये विचाराधीन हैं ।

मैडिकल कालिजों में दाखिला

†*९७२. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार ने इस प्रकार का कोई परिपत्र जारी किया है कि विभिन्न राज्यों के मैडिकल कालिजों में अभ्यर्थियों के चुनाव में अधिवासिता पर ध्यान नहीं देना चाहिये तथा उनकी अधिवासिता पर ध्यान न देकर उत्तम विद्यार्थियों को चुनना चाहिये ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने, १९५५ में त्रिवेन्द्रम में हुई अपनी तृतीय बैठक में एक संकल्प पारित किया था जिसमें सिफारिश की थी कि राज्य सरकारों को अधिवासिता पर ध्यान दिए बिना मैडिकल कालिजों में दाखिले प्रति व्यक्ति फीस लेने तथा प्री-मैडिकल अर्हताएं प्राप्त छात्रों पर से दाखिला सम्बन्धी सभी प्रतिबन्ध हटाने के मामलों के सम्बन्ध में अपनी नीति

†मूल अंग्रेजी में

को उदार बनाने की सम्भावना पर विचार करना चाहिए। इस संकल्प की एक प्रतिलिपि जानकारी तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये राज्य सरकारों को भेज दी गई थी।

सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसियेशन

*६७३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसियेशन (भारत) के पास ३० जून, १९४८ को कुल कितनी धन-राशि थी;

(ख) यह राशि भारत और पाकिस्तान के एसोसियेशनों के बीच किस अनुपात से बांटी गई थी और इन दोनों एसोसियेशनों को कुल कितनी राशि मिली; और

(ग) इस समय भारतीय एसोसियेशन के पास कुल कितनी राशि है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) तथा (ख). इस बारे में एक विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६६]**

(ग) पाकिस्तान एसोसियेशन के हिस्से को मिलाकर १ मार्च, १९५६ को कुल रकम ६९,१८,३६० रुपये १ आना १ पाई है।

उद्यान-विद्या

*६७६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को उद्यान-विद्या के सम्बन्ध में कोई योजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उससे उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक फल उत्पादन के विकास की योजना, लगभग ८ से ९ करोड़ रुपयों की, शामिल की गई है।

(ख) इस योजना के अधीन फल उगाने वालों को नये बगीचे लगाने के लिये और पुराने बगीचों को फिर से ठीक करने के लिये क्रमशः ३०० रुपये और १५ रुपये प्रति एकड़ कर्जा दिया जायेगा, इसके अलावा राज्य सरकारों को कर्मचारियों के लिये वित्त सहायता दी जायेगी।

चूंकि नये बगीचे ४ व ५ साल में फल देना शुरू करेंगे इसलिये फल उत्पादन में बढ़ौतरी की उम्मीद नहीं है। पुराने बगीचों के उत्पादन में दस प्रतिशत की बढ़ौतरी की आशा की जाती है।

डाकघरों के काउन्टर

†*६७७. **डा० रामाराव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकघरों के काउन्टरों पर, बन्द होने के समय प्रायः बहुत भीड़ रहती है;

(ख) क्या महानिदेशक ने आदेश जारी किये हैं कि बन्द होने वाले समय काउन्टर पर जो भी जनता खड़ी होगी उनकी सेवा, देर तक काम करने के प्रश्न पर ध्यान दिये बिना, की जानी चाहिये;

(ग) क्या पोस्टल यूनियन ने इन आदेशों के विरोध में अभ्यावेदन पेश किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां, कभी-कभी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आदेश जारी किये गये थे कि बन्द होने के समय से पूर्व काउन्टर पर आने वाली जनता की सेवा होनी चाहिए ।

(ग) जी, हां ।

(घ) मामले की जांच हो रही है ।

रेलवे दुर्घटना जांच समिति

†*९७९. **श्री वाघमारे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे दुर्घटना जांच समिति ने रेलवे मंत्री के सभासचिव श्री शाहनवाज़ खां की अध्यक्षता में ट्रेन एग्जामिनेशन यार्ड के सुधार के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या की गई है; और

(ग) यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में रेलों को आदेश दे दिये गये हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कर्मचारी भविष्यि निधि

†*९८१. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री १ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना में उन संशोधनों का अनुमोदन किया है जिनकी कि कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी मंडल ने सिफारिश की थी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : अभी नहीं ।

गौतमी पुल

†*९८३. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **परिवहन** मंत्री ६ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र के पूर्व गोदावरी जिले में अलामरु के स्थान पर गोदावरी नदी की गौतमी शाखा पर सड़क का पुल बनाने के लिए पहले जो स्थान चुना गया था क्या उसमें कोई परिवर्तन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वहां कब कार्य शुरू होगा और इस पुल का पुनरीक्षित व्यय कितना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) नदी के मार्ग में परिवर्तन आ जाने के कारण पहले स्थान को छोड़ना पड़ा है । अब पुल के लिये उसी से ऊपर की ओर ६ फर्लांग के अन्तर पर एक नया स्थान चुना गया है ।

(ग) पुल का कार्य तो १ मार्च, १९५६ को प्रारम्भ हुआ बताया जाता है । किन्तु अन्य सहायक कार्य उस से कुछ समय पहले प्रारम्भ हो गये थे । इसका पुनरीक्षित व्यय १२४·७९ लाख रुपये है। पहला प्राक्कलन १०३·५ लाख रुपये का था । किन्तु यह अधिकता स्थान में परिवर्तन करने के कारण नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रिक्शा चलाना

†*९८७. **श्री रामशंकर लाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि रिक्शा चलाने की प्रथा को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : १९४९ में यह विषय राज्य सरकारों के सामने रखा गया था। उसके बाद उनको यह निर्देश दिया गया कि इसे धीरे-धीरे समाप्त किया जाय और जहाँ पर इसको तत्काल समाप्त करना सम्भव न हो वहां पर रिक्शा खींचने वालों के काम के सम्बन्ध में निश्चित नियम बनाये जाने चाहियें। इसे पूर्णतया समाप्त करने के लिये राज्य सरकारों से यह निवेदन किया गया है कि वे नई गाड़ियों तथा नये रिक्शा चालकों को कोई लाईसेंस न दें ।

धनुषकोडी स्तम्भ

†*९८८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनुषकोडी स्तम्भ को रामेश्वरम की ओर एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर जहां कि भूमि-कटाव का ज्यादा खतरा न हो, ले जाने के विषय पर विचार करने के लिये जो विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी क्या उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है;

(ख) क्या सरकार ने उसका परीक्षण कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). अभी रिपोर्ट की परीक्षा हो रही है ।

रेलवे टाइम टेबल (सारणियां)

†*९९२. **श्री धुसिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर लखनऊ से सोनेपुर तक कई स्टेशनों से जनवरी और फरवरी १९५६ से ही रेलवे टाईम टेबल हटा दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां, केवल चार स्टेशनों से ।

(ख) उत्तर रेलवे की आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

†*९९४. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री १२ अगस्त, १९५५ को पूछे गये प्रश्न संख्या ६८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा १७ के अनुसार जिन कारख़ानों को प्रावीडेंट फंड से छूट दी गई है उनके लिये बोर्ड आफ़ ट्रस्टीज़ बनाने की प्रक्रिया निश्चित करने का प्रश्न अभी तक किस स्तर तक पहुंचा है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र में अनाज तथा बीज गोदाम

†*९९५. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ के अन्त में आध्र में कितने अनाज तथा बीज गोदाम थे;

(ख) उनमें से १९५६-५७ में कितने बन्द कर दिये जायेंगे और क्यों;

(ग) क्या आन्ध्र सरकार ने कोई नये गोदाम बनाने के लिये कर्ज़ मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी राशि ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) अनाज गोदाम १८
बीज गोदाम कोई नहीं

(ख) इस काल में केन्द्रीय सरकार द्वारा आन्ध्र राज्य से किराये पर लिये गये लगभग १६ अनाज गोदाम, उनका माल समाप्त होते ही, बन्द कर दिये जायेंगे ।

(ग) जी, नहीं । आन्ध्र सरकार ने यह प्रार्थना की है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३०० बीज गोदामों के बनाये जाने की व्यवस्था की जाय । और यह कार्य किया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

बागान श्रम अधिनियम १९५१

†*९९८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने बाग़ान श्रम अधिनियम १९५१ में बनाये गये नियमों को अपना लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में वे लागू हो रहे हैं; और

(ग) ज़िन राज्यों ने उन्हें नहीं अपनाया है उन्होंने क्या कारण दिये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) से (ग). आसाम, मद्रास, बिहार, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने इस अधिनियम के नियमों को अपना लिया है और उन राज्यों में वे प्रवर्त्तन में हैं, अन्य सरकार ने अपने नियमों का मसविदा तैयार कर लिया है और अब इन्हें अन्तिम रूप देने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

पुर्वोत्तर रेलवे में शिशिक्षु

†*९९९. **श्री धुसिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३, १९५४ और १९५५ में निम्नलिखित पदों के लिये कितने व्यक्ति चुने गये हैं;

(१) एपरेंटिस मकेनिक्स

(२) टी० के० आर० एपरेंटिसिज

(३) पी० डब्ल्यू० आई० एपरेंटिसिज़

(४) ट्रेड एपरेंटिसिज़

(५) टी० आई० एपरेंटिसिज़; और

(ख) प्रति वर्ष चुने गये व्यक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने-कितने व्यक्ति थे ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६७**]

---

†मल अंग्रेजी में

नारियल अनुसंधान केन्द्र (आन्ध्र)

†*१०००. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र में नारियल अनुसन्धान केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ख) उनमें किस तरह का अनुसंधान किया जाता है; और

(ग) अच्छी प्रकार के नारियल उगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) एक ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६८]**

(ग) प्रादेशिक नारियल अनुसन्धान केन्द्र में आन्ध्र में नये प्रकार के तथा अच्छे प्रकार के नारियल उगाने के सम्बन्ध में काम किया जा रहा है ।

पुर्वोत्तर रेलवे पर यात्रियों की गणना

†५५०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी वर्ष पहलेजाघाट और सेमरियाघाट (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की गणना की गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछली गणना में कितने यात्री थे;

(ग) यदि वहां पर कोई सीधा जाने वाला यात्री नहीं है तो एक घाट से दूसरे घाट तक गाड़ी चलाने का क्या औचत्य है; और

(घ) क्या ऐसी गाड़ी को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). पहलेजाघाट और सेमरियाघाट के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की कोई गणना नहीं की गई है, परन्तु १९-२-५६ से २५-२-५६ तक कोई भी यात्री पहलेजाघाट से सेमरियाघाट तक नहीं गया है ।

(ग) और (घ). इस समय इन स्टेशनों के बीच ३५१ अप/३५२ डाऊन गाड़ी चलतीं हैं । यह गाड़ियां वर्षों से चल रही हैं और प्रसिद्ध जंकशनों को मिलाती हैं जैसे समस्तीपुर, मुज़फ्फरपुर तथा सोनेपुर । इससे स्थानीय तथा सीधे यात्री निर्मली हसनपुर रोड, सीतामढी तथा शाहपुर पटोरी की ओर आ जा सकते हैं । ये गाड़ियां मोकामाघाट और महेन्द्रूघाट (पटना) की बड़ी लाइनों से भी मिलती हैं । अतः ऐसी स्थिति में उनका बन्द करना वांछनीय नहीं समझा जाता है ।

सोनपुर पुल

†५५१. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार से पटना जाने वाले लोगों को सीधे हाजीपुरघाट से पटना भेजने का कोई प्रस्ताव रखा गया है ताकि यात्रा का समय भी कम हो जाये और सोनेपुर पुल पर भीड़ भी कम हो जाय; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में क्या कठिनाई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). सोनेपुर-हाजीपुर सेक्शन (हाजीपुर पुल) पर दबाव कम करने के लिये हाजीपुर के समीप गंडक नदी के बायें किनारे पर किसी उपयुक्त स्थान पर घाट बनाना सम्भव है अथवा नहीं यह बात अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में पशु-विकास

†५५२. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को पशुओं के विकास के लिये आर्थिक सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह अनुदान किन्हीं शर्तों के अधीन दिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) से (ग). जी, हां । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पुनरीक्षित प्रारूप में राजस्थान में पशुओं के विकास के लिये विभिन्न योजनाओं के लिये ३७·९३ लाख रुपये की राशि स्वीकार की गई है । भिन्न-भिन्न योजनाओं में केन्द्रीय आर्थिक सहाय २५ प्रतिशत से ७५ प्रतिशत तक है और उसके लिये निम्नलिखित शर्तें हैं :

(१) राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित टेकनीकल स्कीम के अनुसार अपनी योजना बनानी चाहिये ।

(२) राज्य सरकार को इस मंत्रालय को उनकी प्रगति के सम्बन्ध में सावधिक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी ।

(३) योजना की क्रमिक प्रगति सन्तोषजनक होनी चाहिये ।

पूर्वोत्तर रेलवे पर माल-डिब्बों का आना-जाना

†५५३. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे पर वर्तमान वेगनों से अधिक काम लेने के लिये क्या-क्या प्रयत्न किये गये हैं और कौन-कौन से उपाय अपनाये गये हैं; और

(ख) इन वेगनों को मार्गान्त स्थानों पर, जंकशनों पर तथा यार्डों में अधिक देर तक न रोका जाय इसके लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). इस विषय में निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :

(१) सभी मार्गान्त स्थानों, यार्डों और बदली के स्टेशनों पर अधीक्षण को दृढ़ कर दिया गया है ताकि वेगनों का प्रत्येक दिशा में पूरा-पूरा उपयोग उठाया जाय । इस उद्देश्य के लिये सभी रेलों पर वेगन ढूंढने की एक संस्था बना दी गई है ।

(२) माल गोदाम में काम के घंटे बढ़ा दिये गये हैं ताकि वेगनों को जल्दी से खोला और बन्द किया जा सके और उन्हें जल्दी से भर कर वहां से जल्दी से रवाना किया जा सके ।

(३) एक्सप्रेस और सीधी माल गाड़ियां चालू कर दी गई हैं ।

(४) जिन सेक्शनों पर पहले भीड़-भाड़ रहती थी उनकी लाईनों तथा यार्डों की सामर्थ्य बढ़ा दी गई है ताकि वहां से गाड़ियां अधिक जल्दी से आ जा सकें ।

(५) सामान्यतः जो सामान पहले बन्द वेगनों में जाता था अब उसे एक विशेष व्यवस्था द्वारा खुली गाड़ियों में भेजने का प्रबन्ध कर दिया गया है ।

इटारसी और होशंगाबाद के बीच रेलवे फाटक पर पुल

†५५४. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इटारसी (होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश) के निवासियों की ओर से सरकार को कोई अभिवेदन मिला है जिसमें यह शिकायत की गई है कि इटारसी से होशंगाबाद जाने वाली रेलवे लाइन के क्रांसिंग पर यातायात को बड़ी देर तक रुकना पड़ता है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस स्थान पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई पुल बनाना चाहती है और;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). इस की जांच की गई थी, वहां पर यातायात की मात्रा से पता चला है कि वहां पर पुल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है । किन्तु यदि राज्य सरकार अथवा नगरपालिका नियमानुकूल उसके व्यय में अपना भाग सहने के लिये तैयार हों तो रेलवे वहां पर पुल बनवा सकती है ।

न्यूज़ीलैण्ड से गव्यशाला सम्बन्धी सामान

†५५५. **श्री आर० के० गुप्त :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गव्यशाला विकास योजनाओं के लिये न्यूज़ीलैण्ड से किस प्रकार का सामान प्राप्त किया गया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : निम्न सामान प्राप्त किया गया है :

(१) बम्बई दुग्ध योजना के लिये दूध यातायात के लिये रेल-रोड टैंकर और ट्रैक्टर ।

(२) राष्ट्रीय डेरी गवेषणा संस्था, करनाल, के लिये दूध के कृमियों को मार कर शुद्ध करने, जमाने और सुखाने के संयंत्र ।

(३) कैरा सहकारी दूध संघ, आनन्द के लिये बोतलें तथा पनीर बनाने के संयंत्र, और

(४) हरिंगत्ता फार्म, कलकत्ता के लिये क्रीम शुद्ध रखने वाला संयंत्र ।

काम दिलाऊ दफ्तर

५५६. { **श्री एम०एल० द्विवेदी :**
श्री केशव अय्यंगार :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम दिलाऊ दफ्तरों के राज्यों को हस्तांतरित किये जाने के बाद उनक कार्यों में एकरूपता लाने, समान कार्य पद्धति रखने तथा उनको प्रादेशिकता से मुक्त रखने के लिये क्या सुझाव स्वीकृत हुए हैं;

(ख) इस सम्पूर्ण कार्य की देखभाल करने तथा केन्द्रीय व्यवस्था का संचालन करने के लिये क्या किसी केन्द्रीय निरीक्षण विभाग अथवा अधिकारी की आवश्यकता पर विचार किया गया है; और यदि हां, तो उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या सुझाव हैं;

(ग) उक्त कार्य के लिये कौन से तरीके सोचे गये हैं और किन-किन राज्यों ने उन पर अपने विचार प्रकट किये हैं; और

(घ) अपने आदेश मान्य कराने के लिये भारत सरकार ने क्या संरक्षण तय किये हैं या सुझाये हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) भारत सरकार और राज्य सरकारों ने तय किया है कि काम दिलाऊ सर्विस को राष्ट्रीय सर्विस समझा जाय जिसका प्रशासन सम्बन्धित प्रतिनिधियों की सलाह से राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित की गई नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा चलाया जाय ।

(ख) तथा (ग). सामान्य प्रशासन की दृष्टि से, काम दिलाऊ दफतरों के कामों की जांच की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही होगी । यह जानने के लिये कि इन दफतरों के काम की प्रक्रिया स्वीकृत नीति के अनुसार है, केन्द्रीय सरकार के अधिकारी भी जांच करेंगे ।

इस काम के लिये केन्द्रीय सम्पर्क अफसरों को नियुक्त करने का विचार है ।

(घ) सभी नीतियां और खास-खास कार्य-क्रम केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की आपसी सलाह से निश्चित किये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी पर उत्पादन शुल्क

†५५८. **श्री इब्राहीम :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५ में चीनी पर उत्पादन शुल्क से जो आय हुई थी, उसका कितने प्रतिशत गन्ने की खेती के विकास के लिये उपयोग में लाया गया है ?

†**खाद्य और कृषि मन्त्री (श्री ए० पी० जैन) :** वित्तीय वर्ष १९५५–५६ में जनवरी १९५६ तक, चीनी पर उत्पादन शुल्क के द्वारा १४·०९ करोड़ रुपये वसूल हुए हैं। एकत्रित किये गये उत्पादन शुल्क में से गन्ने के विकास के लिये सीधा कोई खर्च नहीं किया जाता। यह खर्च केन्द्रीय राजस्व से पूरा किया जाता है, जिसमें उत्पादन शुल्क मिल जाता है।

यात्री बसें

†५५९. **श्री इब्राहीम :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन प्राधिकार ने १९५५ में कितनी यात्री बसों का आयात किया है; और

(ख) किन-किन देशों से बसें मंगवाई गई हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमन्त्री (श्री अलगेशन) :** (क) और (ख). दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार ने १९५५ में मैसर्स अशोक लेलैण्ड लिमिटेड, मद्रास, से १४० बसों के नीचे के ढांचे खरीदे गये थे, जिसने इंगलिस्तान से उनका आयात किया था।

रेलगाड़ी की दुर्घटनाएं

†५६०. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में भारतीय रेलों पर, खण्डवार, कितने व्यक्ति गाड़ियों के नीचे आये थे और मर गये थे;

(ख) कितने व्यक्तियों की पहचान नहीं की जा सकी;

(ग) क्या दुर्घटनाओं में शिकार होने वाले लोगों के परिवारों को कोई प्रतिकर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो कुल कितना धन दिया गया था; और

(ङ) यदि नहीं तो, उसका क्या कारण था ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमन्त्री (श्री अलगेशन) :** (क) भारत में १९५५ में, गाड़ियों के नीचे आने वाले और मारे गये व्यक्तियों की खण्डवार सूचना नीचे दी जाती है :

रेलवे			मृत व्यक्तियों की संख्या
मध्य	..	..	४६९
पूर्वी	..	..	९७९
उत्तर	..	..	८२६
पूर्वोत्तर	..	..	४५७
दक्षिण	..	..	५२५
दक्षिण-पूर्व	..	..	३८६
पश्चिम	..	..	२८९

†मूल अंग्रेजी में

(ख) :	**रेलवे**		**न पहचाने गये व्यक्तियों की संख्या**
	मध्य	.. ..	३३५
	पूर्व	.. ..	सूचना अभी उपलब्ध नहीं हुई है ।
	उत्तर	.. ..	३८९
	पूर्वोत्तर	.. ..	२६४
	दक्षिण	.. ..	२७०
	दक्षिण-पूर्व	.. ..	२३६
	पश्चिम	.. ..	१२८

(ग) :	**रेलवे**		**दिया गया प्रतिकर**
	मध्य	.. ..	जी हां, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन रेलवे कर्मचारियों के १६ मामलों में ।
	पूर्व	.. ..	नहीं
	उत्तर	.. ..	नहीं
	पूर्वोत्तर	.. ..	नहीं
	दक्षिण	.. ..	जी, हां । एक मामले में ६०० रुपये
	दक्षिण-पूर्व	.. ..	नहीं
	पश्चिम	.. ..	नहीं

(घ) :	**रेलवे**	.. ..	**दिया गया धन**
	मध्य	.. ..	४१,९०० रुपये ।
	पूर्व	.. ..	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।
	उत्तर	.. ..	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।
	पूर्वोत्तर	.. ..	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।
	दक्षिण	.. ..	६०० रुपये
	दक्षिण-पूर्व	.. ..	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता
	पश्चिम	.. ..	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) :	**रेलवे**		**कारण**
	मध्य	.. ..	(१) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन १९ मामलों में प्रतिकर देने का दायित्व स्वीकार किया गया है और निकट भविष्य में प्रतिकर देने के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है ।
			(२) १५ मामलों की जांच हो रही है और शीघ्र ही निर्णय किये जाने की आशा है ।
			(३) ५ मामलों में प्रतिकर देने का दायित्व स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि दुर्घटनाएं उनकी नौकरी के अन्दर नहीं हुईं ।

रेलवे	कारण
पूर्व	रेलवे, होने वाले किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना या मृत्यु के लिये, उत्तरदायी नहीं है ।
उत्तर	केवल नीचे लिखे दो दावे प्राप्त हुये थे जिनमें किसी धन का उल्लेख नहीं था, जिन्हें रद्द कर दिया गया, क्योंकि जांच पड़ताल से यह पता चला कि दुर्घटनाएं रेलवे की लापरवाही के कारण नहीं हुईं ।
	(१) श्री गुरमीत सिंह की मृत्यु हुई थी जो ८ मार्च १९५६ को आनन्दपुर साहिब और कीरतपुर के बीच एक मालगाड़ी के नीचे आ गया था । उसकी विधवा माता ने दावा किया था ।
	(२) श्री हर नारायण २५ अप्रैल १९५५ को चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयत्न करते हुए गिर जाने के कारण गाड़ी के नीचे आ गया और मर गया । उसके पुत्र श्री उमा शंकर ने दावा किया था।
पूर्वोत्तर	मृत व्यक्तियों के परिवारों के किसी सदस्य से दावा प्राप्त नहीं हुआ ।
दक्षिण	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।
दक्षिण-पूर्व	मामलों की जांच हो रही है.।
पश्चिम	प्रतिकर के लिये पेश किये गये दावे अस्वीकृत कर दिये गये थे, क्योंकि रेलवे प्रशासन दुखद घटनाओं के लिये उत्तरदायी नहीं था।

नूरपुर बेदियां में तारघर

†५६१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशियारपुर जिले में नूरपुर बेदियां में तारघर खोला गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) भण्डारों के संभरण की प्रतीक्षा की जा रही है ।

खादी की वर्दियां

†५६२. **श्री डी० सी० शर्मा** :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के चतुर्थ श्रेणियों के सब कर्मचारियों को खादी की वर्दियां दी जा चुकी हैं;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कमचारियों को वर्दियां दी गई हैं; और

(ग) १९५५-५६ में इन वर्दियों पर कुल कितना खर्च हुआ है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). इस ग्रीष्म ऋतु में लगभग १,८६,००० चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को खादी की वर्दियां दी जाएंगी।

(ग) लगभग ५५ लाख रुपये।

भूकम्प

†५६३. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ सितम्बर, १६५५ से १५ मार्च, १६५६ तक भारत में कितने भूकम्प आये हैं;

(ख) प्रत्येक भूकम्प के प्रारम्भ होने के स्थान में अनुमानत: कितना अन्तर था;

(ग) प्रत्येक भूकम्प से कितने स्थान प्रभावित हुए हैं, वे भूकम्प कितनी देर तक रहे हैं और झटके की उग्रता कितनी थी; और

(घ) क्या इन के परिणाम जन धन की कोई हानि हुई है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १५।

(ख) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६६]**

"पी० एस० क्राकोडाइल" जहाज

†५६४. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पी० एस० क्राकोडाइल" जहाज की मरम्मत की जा चुकी है और इसे चलाया जा रहा है;

(ख) जहाज की मरम्मत पर कुल कितना धन खर्च हुआ है; और

(ग) कितने धन की सामग्री देश में खरीदी गई थी तथा कितने रुपये की सामग्री विदेश से खरीदी गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, हां।

(ख) ७,४२,७६८ रुपये।

(ग) मरम्मत के लिये सब सामान देश में ही खरीदा गया था, विदेश से नहीं।

रेलों में इन्टरलौकिंग (अन्त:पाश) प्रणाली

†५६५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटनाओं को रोकने के लिये समस्त रेलवे पर इन्टरलौकिंग प्रणाली या आवश्यक सुरक्षा उपायों का विस्तार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो १६५५ में इस सुरक्षा उपाय पर कितना धन खर्च हुआ है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इन्टरलौकिंग (अन्त:पाश) और दूसरे सुरक्षा उपायों का सैक्शनों पर गाड़ियों की उग्रता और गति तथा महत्व के अनुसार धीरे-धीरे समस्त रेलों पर विस्तार किया जा रहा है।

(ख) जानकारी यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी।

रेलवे कर्मचारी

†५६६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित कर्मचारियों को सरकारी काम पर या छुट्टी के समय, यथावसर, यात्रा करते समय रेलवे का किस श्रेणी का किराया तथा/अथवा रेलवे पास लेने का अधिकार होता है :

---

†मूल अंग्रजी में

(१) पूर्वोत्तर रेलवे तथा दूसरी रेलों के जिला मकैनिकल इंजीनीयरों के कार्यालयों और दूसरे कार्यालयों के तीसरी श्रेणी के क्लर्क;

(२) भारत सरकार के कार्यालयों के तीसरी श्रेणी के क्लर्क;

(३) उपरोक्त (१) और (२) में वर्णित कार्यालयों के चपरासी;

(ख) (१) भारत सरकार के कार्यालयों में या रेलवे कार्यालयों में काम करने वाले एक ही श्रेणी के क्लर्कों के बीच रेलवे किराये या रेलवे पास के सम्बन्ध में यदि कोई अन्तर है तो इसका क्या कारण है; और

(२) क्लर्कों की कुछ श्रेणियों को और चपरासियों को एक ही स्तर पर रखने का क्या कारण है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) (१), (२) और (३) चूंकि भारतीय रेलवे में तीसरी श्रेणी के क्लर्कों जैसी कोई श्रेणी नहीं है ऐसे पद तो केवल भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्रालय में ही हैं, जिन में रेलवे मंत्रालय भी सम्मिलित है ?

रेलवे के तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों को, जिनका वेतन १३० रुपये मासिक या इससे कम होता है, सरकारी काम के समय या छुट्टी के समय तीसरे दर्जे का पास मिलता है। तीसरी और चौथी श्रेणियों के जिन रेलवे कर्मचारियों का वेतन १३० रुपये से अधिक किन्तु २५० रुपये से कम होता है, उन्हें दूसरे दर्जे का पास मिलता है।

अतः पूर्वोत्तर और दूसरी रेलों के जिला मकैनिकल इंजनीयरों के कार्यालयों में काम करने वाले क्लर्कों और चपरासियों अथवा विभिन्न रेलवे के दूसरे कार्यालयों के ऐसे कर्मचारियों को मिलने वाले पास के दर्जे में कोई अन्तर नहीं है।

किसी भी रेलवे कर्मचारी को सरकारी काम या छुट्टी के समय रेल की यात्रा करने के लिये किराया नहीं दिया जाता। केन्द्रीय सरकार के तीसरी श्रेणी के कर्मचारी (जो रेलवे विभाग के कर्मचारी नहीं हैं), और जिनका वेतन २०० रुपये मासिक या इससे कम होता है, उनको सरकारी काम के लिये दूसरे दर्जे में रेलवे की यात्रा करने का अधिकार होता है, और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों (अर्थात् चपरासी, सिपाही, आदि) को तीसरे दर्जे का रेलवे किराया दिया जाता है। जब ये कर्मचारी छुट्टी के समय यात्रा करते हैं, तो इनको कोई किराया नहीं दिया जाता।

(ख) एक ओर रेलवे के तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों और दूसरी ओर दूसरे केन्द्रीय मंत्रालयों के कर्मचारियों को सरकारी काम पर यात्रा करते समय मिलने वाले स्थान के दर्जे में अन्तर होने का यह कारण है कि भारतीय रेलवे "पास नियम" सदा ही सिविल यात्रा भत्ता नियमों से भिन्न रहे हैं। इसका यह भी कारण है कि रेलवे के तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों को, जिनका वेतन १३० रुपये या इससे कम होता है, रेलवे पास के अतिरिक्त निम्न दैनिक भत्ता भी दिया जाता है :

	प्रतिदिन		
	रुपया	आना	पाई
५० रुपये या कम वेतन पाने वाले कर्मचारी	१	२	०
५१ रुपये से १०० रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारी	१	८	०
१०१ रुपये से २०० रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारी	२	४	०

केन्द्रीय मंत्रालयों के चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों और २०० रुपये मासिक या कम वेतन पाने वाले तीसरी श्रेणियों के कर्मचारियों को, जो रेलवे विभाग के कर्मचारी नहीं हैं, दूसरे और तीसरे दर्जे के रेलवे किरायों के अतिरिक्त क्रमशः ४ पाई प्रति मील और तीसरे दर्जे का आधा किराया दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बड़काकाना रेलवे अस्पताल

†५६७. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :
बाबू रामनारायण सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५५ में बड़काकाना रेलवे अस्पताल में किन-किन तिथियों को औषधियों का व्यादेश एवं संभरण किया है;

(ख) समय पर दवाओं के सम्भरण में अनियमितता और कीमती तथा आवश्यक दवाएं सम्भरित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न अस्पतालों में जिन दवाओं की आवश्यकता रहती है क्या सरकारी मेडिकल स्टोर में उनका स्टाक नहीं रहता है; और

(घ) इन सब प्रकार की दवाओं के स्टाक के लिये यदि कोई शर्तें हैं तो क्या-क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) व्यादेश अगस्त १९५५ में तैयार किये गये थे तथा इन व्यादेशित ११९ वस्तुओं में से ९१ वस्तुएं नवम्बर, १९५५ में जारी की गईं थीं। शेष वस्तुएं पूर्वी रेलवे सीधी खरीद रही है।

(ख) सरकारी मेडिकल स्टोर्स डिपो द्वारा दवाएं प्रायः समय पर सम्भरित की जाती हैं। जो दवाएं समय पर अनुपलब्ध होती हैं अथवा जिनका स्टाक नहीं होता है वे खरीदने के पश्चात् सम्भरित कर दी जाती हैं।

(ग) सरकारी मेडिकल स्टोर्स डिपो में एण्टी बायटिक्स और प्रोप्रायटेरी दवाओं के अतिरिक्त सामान्यतया सभी दवाओं का स्टाक रखते हैं।

(घ) व्यादेश करने वाले अस्पतालों के प्रशासनिक चिकित्सा पदाधिकारियों की सिफारिशों पर आधारित केवल वह औषधियां ही मेडिकल स्टोर्स डिपो में रहती हैं जो मेडिकल स्टोर्स की कीमतयुक्त तालिका में हैं।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अलमोड़ा

†५६८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि विगत जनवरी के अन्त में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अलमोड़ा में अध्यापकवर्ग और विद्यार्थियों के बीच कुछ अरुचिकर घटना हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले का निबटारा किस प्रकार किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) तथा (ख). वर्कशाप के एक कर्मचारी ने ३१ जनवरी, १९५६ को प्रिंसिपल तथा स्टाफ के अन्य चार सदस्यों पर प्रहार किया था। इन सब को गम्भीर चोटें आईं। प्रहारकर्ता पुलिस की हिरासत में है तथा मामले की जांच की जा रही है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अलमोड़ा

†५६९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **श्रम** मंत्री औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अलमोड़ा में उसमें आरम्भ से प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (वर्ष वार) बताने की कृपा करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अलमोड़ा में प्रारम्भ से दिसम्बर, १९५५ तक सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले व्यक्तियों की (वर्ष वार) संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या (दिसम्बर, १९५५ के अंत तक)
१९४८	२०२
१९४९	१८३
१९५०	६९
१९५१	१०८
१९५२	१०२
१९५३	१५४
१९५४	१४८
१९५५	११९
कुल योग	१,०८५

रेलवे में भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन

†५७०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रेलवे संरक्षण पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी पुलिस के विभिन्न स्तरों पर आयोजित समन्वयकारी बैठकों का क्या परिणाम निकला;

(ख) विभिन्न स्तरों पर चर्चागत विषयों का स्वरूप; और

(ग) बैठकों में चर्चा का क्षेत्र क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) पारस्परिक समस्याओं की चर्चा तथा उनका सामना करने के उपायों की चर्चा करने के लिये अवसर प्रदान करने की दृष्टि से यह बैठकें सहायक सिद्ध हुई हैं। उनका एक परिणाम यह भी हुआ है कि रेलों में अपराधों को दर्ज करने एवं उनकी जांच के सम्बन्ध में रेलवे संरक्षण बल और पुलिस (रेलवे और राज्य दोनों) में अधिक समन्वय उत्पन्न हुआ है।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७०**]

(ग) इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इन बैठकों में रेलवे से सम्बन्धित सभी अपराध जैसे उन्हें दर्ज करने, उनकी जांच, खोज और रोक-थाम के मामलों पर विचार किया जाता है।

नलकूप

†५७१. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूपों द्वारा जल सम्भरण की दर में, विशेष रूप से बिहार के विषय में केन्द्रीय सरकार के सुझाव राज्य सरकारों द्वारा किसी सीमा तक क्रियान्वित किये गये हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: नलकूप सिंचाई की विद्यमान दरों में कमी करने की दृष्टि से पंजाब और पेप्सू सरकारों ने विद्युत चालित नलकूपों की दर में ५ रुपये प्रति यूनिट के स्थान पर ३ रुपये ९ आने प्रति यूनिट करने के लिये सहमति प्रकट कर दी है।

जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने नलकूपों की विद्यमान दरों में कमी का प्रश्न अपनी नलकूप मितव्ययता समिति को सौंप दिया है। इसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय राजपथ

५७२. श्री अमर सिंह डामर : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दोहद होकर अहमदाबाद से इन्दौर तक एक राष्ट्रीय राजपथ बनाने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक लागू की जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता ।

हिन्दी में तार

५७३. श्री अमर सिंह डामर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में मध्य भारत के तारघरों द्वारा कितने तार हिन्दी में भेजे गये; और

(ख) उस राज्य में कितने तार हिन्दी में आये ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) १,३८२ ।

(ख) १९५४ में मध्य प्रदेश के अन्तर्गत प्रत्येक तार-घर में प्राप्त हुए हिन्दी-तारों की संख्या नीचे दी जाती है :

१. भिण्ड	कोई नहीं
२. भिल्सा	१
३. ग्वालियर आर० एस०	१४८
४. इन्दौर	२१५
५. इन्दौर सिटी	६६८
६. खरगांव	कोई नहीं
७. लश्कर	२२७
८. मन्दसोर आर० एस०	२
९. मोरेना	कोई नहीं
१०. नीमच	८
११. रतलाम	८१
१२. उज्जैन	१६५
योग	१,५१५

मध्य-भारत में डाकघर

५७४. श्री अमर सिंह डामर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५४–५५ में मध्य भारत में पृथक् शाखा डाकघरों, उप-डाकघरों, डाकघरों और तारघरों की कुछ व्यवस्था की गई है ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : १९५४–५५ में मध्य भारत में ३९ शाखा डाकघर, ४ उप-डाकघर, तथा १० संयुक्त (तार) उपडाक-घर खोले गये थे ।

राष्ट्रीय राजपथ

५७५. श्री अमर सिंह डामर : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मध्य भारत में कितने मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ बनाये जायेंगे; और

(ख) १९५४ और १९५५ के अन्त तक पृथक्-पृथक् कितने मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ बनाये गये ?

रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश में कोई छूटे हुये रास्ते नहीं हैं इसलिये वहां न किसी नये राष्ट्रीय राजपथ को बनाया गया और ना ही किसी को बनाने का इरादा है ।

फिर भी मौजूदा राष्ट्रीय राजपथों में सुधार किया जा रहा है और उन पर जहां कहीं जरूरी है, वहां पुल बनाये जा रहे हैं ।

नेत्र बैंक

५७६. श्री अमर सिंह डामर : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) आपरेशन द्वारा लगाने के हेतु मुर्दों की आंखों की अच्छी पुतलियां प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) जिस प्रकार "रक्त बैंक" खोले गये हैं, उसी प्रकार क्या सरकार ने बड़े अस्पतालों में "नेत्र बैंक" खोलने की कोई योजना बनाई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) भारत सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है ।

(ख) भारत सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है । यह विषय मुख्यतः राज्य सरकारों का है ।

पल्लेदारों के लिये वर्दियां

५७७. श्री धुसिया : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों और माल गोदामों में स्थायी रूप से काम करने वाले "पल्लेदारों" को वर्दियां दी जाती हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) "पल्लेदार" कहे जाने वाले कर्मचारी सिर्फ पूर्व रेलवे की अनाज की दूकानों में हैं । इन कर्मचारियों को वर्दी दी जाती है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

दिल्ली में ट्राम गाड़ियां

†**५७८. श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली में वर्तमान में चलने वाली ट्राम गाड़ियों की संख्या; और

(ख) क्या राजधानी में बम्बई के ढंग पर ट्राम परिवहन का प्रसार एवं सुधार करने के लिये कोई प्रस्ताव है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १५ (एक ट्रौली बस को मिलाकर) ।

(ख) दिल्ली में ट्राम परिवहन का विस्तार करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है । दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार का इरादा है कि जब तक संतोषजनक काम चल सकता है वर्तमान संख्या जारी रखी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

असैनिक उड्डयन कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†५७६. **श्री बी० वाई० रेड्डी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन कर्मचारीवर्ग के लिये निर्मित क्वार्टर अब केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के डिवीजनल आफिस के कर्मचारियों को दिये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो असैनिक उड्डयन कर्मचारियों के आवास के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

असैनिक उड्डयन विभाग

†५८०. **श्री बी० वाई० रेड्डी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास और कलकत्ता में स्थित असैनिक उड्डयन कर्मचारीवर्ग की कैन्टीन को वे सुविधाएं दी गई हैं जिनका उपयोग डाक तथा तार कैन्टीन करती हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** मद्रास और कलकत्ता की असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी वर्ग कैन्टीनों को १ रुपये महीने के नाम मात्र किराये पर अस्थायी रूप से जगह दी गई है। डाक तथा तार विभाग कर्मचारीवर्ग कैन्टीन को दी गई सुविधाओं के समान अन्य रियायतें देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

भारतीय केन्द्रीय रुई समिति

५८१. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय केन्द्रीय रुई समिति के १६५५ के लेखाओं की जांच करते समय आडिटर ने समिति की अनेक अनियमितताओं का उल्लेख किया है और सरकार का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो वे अनियमितताएं किस प्रकार की हैं; और

(ग) सरकार ने उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) यह कहना सही नहीं है कि भारतीय केन्द्रीय रुई समिति के १६५४–५५ के लेखाओं की जांच करते समय आडिटर ने कई अनियमितताएं बताई हैं। आडिट रिपोर्ट में मुख्य तौर पर कुछ असंगत बातों के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। कुछ हालतों में आडिट के सुझावों पर अमल किया जा चुका है और बाकी सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है।

(ख) जैसा कि ऊपर कहा गया है, कोई भारी अनियमितताएं नहीं बताई गई हैं। जो छोटे से एतराज़ आडिट ने उठाये हैं उनमें से कुछ नीचे दिखाये जाते हैं :

(१) अस्थायी कर्मचारियों की आधे वेतन की छुट्टी की अवधि को वेतन की बढ़ोतरी के निमित्त गिनना।

(२) अफसरों को इंप्रेस्ट से अग्रिम यात्रा का भत्ता देना।

(ग) चंकि आडिट ने कोई भारी अनियमितताएं नहीं बताई हैं, यह प्रश्न नहीं उठता।

हवाई अड्डे

५८२. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय ऐसे कितने हवाई अड्डे हैं जिन पर नियमित हवाई यातायात होता है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वहां कितने नये हवाई अड्डे बनाये गये;

(ग) उन पर कुल कितनी धन-राशि व्यय की गई;

(घ) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में नये हवाई अड्डे बनाने की कोई व्यवस्था की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो वे किन स्थानों पर बनाये जायेंगे और उन पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक।

(ख) एक भी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिकन्दराबाद मनमाड लाइन पर वातावस्थापित गाड़ी

†५८३. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिकन्दराबाद और मनमाड के बीच बड़ी लाइन पर एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ लगने वाली वातावस्थापित गाड़ी की व्यवस्था अस्थायी है अथवा स्थायी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : संख्या ५५१/५५२ गोदावरी घाटी एक्सप्रेस गाड़ियां ही केवल वह एक्सप्रेस गाड़ियां हैं जो सिकन्दराबाद और मनमाड के बीच चलती हैं। १ फरवरी, १९५६ से आंशिक रूप में वातावस्थापित डब्बे की इन गाड़ियों पर व्यवस्था की गई है। इस डब्बे की व्यवस्था स्थायी करने का प्रश्न यात्रा करने वाली जनता की यात्रा पर निर्भर है।

मुरादाबाद डिवीज़न में पदाधिकारियों की नियुक्ति

†५८४. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीज़न में कमर्शियल निरीक्षकों के पदों की पूर्ति पिछले दो वर्षों से नहीं की गई है और अब डिवीजन के कनिष्ठ पदाधिकारी अस्थायी रूप से उनके स्थानों पर काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) अस्थायी आधार पर संवरण किस समय तक किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारियों के चुनाव में देर की वजह यह थी कि तरक्की के ढंग पर फिर से विचार हो रहा था और उस सम्बन्ध में आखिरी फैसला करने में समय लगा।

(ग) चुनाव जल्द किया जायगा ।

शाहजहांपुर-सीतापुर लाइन

५८५. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहजहांपुर-सीतापुर ब्रांच रेलवे लाइन पर अभी तक रोड़ी नहीं बिछाई गई है, जिसके परिणामस्वरूप गाड़ियों के चलते समय बड़ी धूल उड़ती है;

(ख) यदि हां तो, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस अवस्था को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). यह शाखा लाइन अधिकतर मिट्टी और कंकर से बनी हुई है। इस सेक्शन पर गाड़ियों की रफ्तार अधिक से अधिक ३० मील प्रति घंटा रखी गई है जिससे अधिक धूल नहीं उड़ती। जब इसके लिये रकम मिलेगी तो इस पर रोड़ी बिछाने की बात सोची जायेगी ।

सड़कों का निर्माण और मरम्मत

†५८६. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री आर० के० गुप्त :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरानी सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण के लिये विभिन्न राज्यों को १६५५-५६ में दिये गये ऋण और वित्तीय सहायता की कुल रकम; और

(ख) इस आवंटन के परिणामस्वरूप पंजाब ने कितने-कितने मील सड़कों की मरम्मत और निर्माण की योजना बनाई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) सड़कों के निर्वहन तथा मरम्मत के लिये ऋण अथवा वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। सड़कों के निर्माण तथा विकास के लिये १६५५–५६ में विभिन्न राज्यों को दिये गये ऋण और वित्तीय सहायता की अनुमानित रकम बताने वाला विवरण संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७१**]

(ख) पंजाब को दिये जाने वाले ऋण में से सड़क की मरम्मत के लिये वित्त खर्च नहीं किया जा सकता। राज्य में १६५५–५६ में ४८ मील सड़क का निर्माण अथवा सुधार किया गया है।

टेलीफोन लगाया जाना

†५८७. **श्री आर० के० गुप्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डालमिया दादरी और नारनौल की जनता द्वारा टेलीफोन लगाने के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से कितने प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं; और

(ख) टेलीफोन लगाने की कब तक आशा है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** :

(क)	डालमिया दादरी	१
	नारनौल	११
(ख)	डालमिया दादरी	जून, १६५६
	नारनौल	दिसम्बर, १६५६

यह आवश्यक सामान समय पर मिल जाने पर निर्भर है।

रूस का गेहूं

†५८८. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में रूस द्वारा भारत को कुल कितना गेहूं सम्भरित करना तय हुआ है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : ४०,००० मैट्रिक टन।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रामीण डाक तथा तार घर

†५८९. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में प्रत्येक थाना हेडक्वार्टर (मुख्यालय) में डाक तथा तार घर खोलने में कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : पंजाब राज्य में थाना हेड क्वार्टरों में कुल २०७ डाकघर खोले गये हैं ।

नीति के तौर पर थाना हेडक्वार्टर में तारघर खोलने का प्रस्ताव उन्हीं राज्यों पर लागू किया जाता है जिनकी प्रशासन व्यवस्था में तहसीलें नहीं हैं । यह पंजाब पर लागू नहीं होतीं है । १९५५–५६ में पंजाब में दो थाना स्टेशन अर्थात् पुन्द्री और देहलोन में तारघर खोले गये हैं । ये थाने उन थानों के अतिरिक्त हैं जो तारघरों के पास हैं ।

रेलवे संरक्षण बल

†५९०. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **रेलवें** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजकल भारतीय रेलों के रेलवे संरक्षण बल में खण्डवार कुल कितने कर्मचारी हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेंशन)** :

रेलवे	कर्मचारियों की संख्या
मध्य	५,७२०
दक्षिण	६,०३१
पूर्व	५,६१८
उत्तर	५,८२६
पश्चिम	४,४९०
पूर्वोत्तर	४,५९६
दक्षिण पूर्व	४,३४६
कुल	३६,६२७

मनीपुर में सहकारी समितियां

†५९१. **श्री रिशाँग किशिंग** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर की उन सहकारी समितियों की संख्या कितनी है एवं उनके नाम क्या हैं जिनको सरकार ने वित्तीय सहायता दी है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : मनीपुर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है और सूचना मिलते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

बहिर्विभागीय कर्मचारी

†५९२. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **संचार** मंत्री सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि देश में प्रत्येक राज्यों के डाकघरों में विभिन्न श्रेणी में कार्य करने वाले अतिरिक्त वैभागिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मांगी गई जानकारी बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७२**]

†मूल अंग्रेजी में

प्रशिक्षण पोत "डफरिन"

†५९३. **श्री धुसिया** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ से बम्बई में प्रशिक्षण पोत 'डफरिन' पर प्रत्येक वर्ष औसतन कितने विद्यार्थियों को भर्ती किया जाता है;

(ख) पूरे पाठ्यक्रम के लिये विद्यार्थियों को वहां कुल कितने वर्ष रहना पड़ता है;

(ग) प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी पर औसतन कितना व्यय होता है और क्या यह खर्च विद्यार्थी करता है अथवा सरकार; और

(घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों को किस प्रकार की रियायत तथा सुविधाएं, विशेषत: भोजन, कपड़ा और पुस्तकों के बारे में, दी जाती हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) पचास ।

(ख) दो वर्ष ।

(ग) १९५४–५५ में प्रत्येक विद्यार्थी पर प्रत्येक वर्ष औसतन व्यय लगभग ७,७०० रुपये हुआ था जिसमें से केवल ४२५ रुपये फीस के रूप में मिले हैं ।

(घ) इस प्रकार के विद्यार्थियों को कोई विशेष रियायत अथवा सुविधा नहीं दी जाती ।

दरभंगा में तारघर

†५९४. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री १ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा (बिहार) में अब तक किन-किन स्थानों पर तारघर खोले गये हैं; और

(ख) सभी कार्यालय कब से कार्य करने लगेंगे ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** :

(क) : १. घोघर दीहा
२. खुतोना
३. माधेपुर
४. फूल पारस
५. सिंधिया

(ख) : १. कुशेश्वर-स्थान
२. लादेनिया
३. माधवपुर
} जुलाई १९५६

१. लौकाहा
२. लोकाही
} दिसम्बर १९५६

उनके उद्घाटन की तिथि आगे बढ़ायी जायगी अथवा स्थगित कर दी जायगी । उन स्थानों पर सामान की उपलब्धता पर निर्भर करना है ।

सहरसा में तारघर

†५९५. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ के दौरान सहरसा (बिहार) ज़िले के किन-किन स्थानों पर तारघर खोले गये ह; और

(ख) १९५६ के दौरान में उसी ज़िले के किन-किन स्थानों पर तारघर खोलने का विचार है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**

(क) १. बनगांव
२. उदा किशनगंज
३. सोनबारसगंज
४. त्रिवेणीगंज
५. भीमनगर
६. छत्तापुर

(ख) १. आलमनगर
२. स्वार बाज़ार
३. श्री नागेश्वर स्थान
४. धारहारा

रेलों पर समाज शिक्षा आन्दोलन

†५९६. **श्री मादिया गौड़ा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों पर समाज शिक्षा आन्दोलन के लिये योजना तैयार करने में किसी विशेषज्ञ अथवा संस्थाओं से परामर्श लिया गया था; और

(ख) योजना को क्रियान्वित करने के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इस प्रकार के किसी विशेषज्ञ अथवा संस्थाओं से तो परामर्श नहीं लिया गया था किन्तु ध्वनि विस्तारकों द्वारा घोषणा करने के लिये विभिन्न भाषाओं के उपयुक्त नारे तैयार करने के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपलब्ध संसाधनों और चलचित्रों का उपयोग किया गया है ।

(ख) इस कार्य के लिये कोई विशेष धन राशि तो नियत नहीं की गई है किन्तु यह व्यय साधारण प्रचार निधि में से किया जा रहा है ।

मैसूर में डाक तथा तारघर भवन

†५९७. **श्री मादिया गौड़ा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में डाक तथा तार कार्यालय के लिये कितने भवन तथा कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टर किराये पर लिये गये हैं;

(ख) उनके लिये कितना वार्षिक किराया दिया जाता है; और

(ग) उस राज्य के लिये १९५५–५६ के दौरान में डाक तथा तार भवनों के निर्माण के लिये कितना धन नियत किया गया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) डाक तथा तार कार्यालयों तथा कर्मचारियों के लिये डाक तथा तार विभाग ने मैसूर राज्य में १८१ भवन किराये पर लिये हैं ।

(ख) इन भवनों के लिये १,३३,२१३/ ६/- रुपये वार्षिक किराये के रूप में दिये जा रहे हैं ।

(ग) उस राज्य के लिये १९५५–५६ के दौरान में डाक तथा तार विभाग भवनों के लिये ४,३५,८७२ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली स्टेशन भवन

†५९८. **श्री मादिया गौड़ा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नये भवन की कुछ दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कुछ फिटिंग निकाल लिये गये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मुख्य भवन के ढांचे के पास वाले ईंट के बने एक मंज़िल भवन में अभी हाल में कुछ दरार पाई गई है । भवन से कुछ फिटिंग निकाले जाने की सूचना तो नहीं मिली है ।

राष्ट्रीय राजपथ (आन्ध्र)

†५९९. **श्री बी० एस० मूर्त्ति**: क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ तथा १९५५–५६ के दौरान में राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण तथा उनकी मरम्मत के लिये केन्द्र ने आन्ध्र राज्य को कितना धन दिया है; और

(ख) क्या उस धन का पूरा-पूरा उपयोग कर लिया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). मांगी गई जानकारी बताने वाला विवरण संलग्न है । [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७३**]

जमना बाज़ार

†६००. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १४ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) जमना बाज़ार दिल्ली में रहने वाले मोचियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों के पास पक्के मकान हैं; और

(ग) नये स्थान पर अपना कारोबार चलाने के लिये उनके लिये क्या उपबन्ध किये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) लगभग २०० ।

(ख) एक भी नहीं ।

(ग) अब विचार यह है कि झीलमिला ताहिरपुर क्षेत्र में अन्य दूसरे लोगों के साथ-साथ उन्हें रहने के लिये स्थान दिया जाय । जिस क्षेत्र में मोचियों को बसाने का विचार है उस क्षेत्र में तथा उसके पड़ौसी क्षेत्रों में कारोबार करने में उनको साधारणत: कोई कठिनाई नहीं होगी ।

पंजाब और पेप्सू में काम दिलाऊ दफ्तर

†६०१. **डा० सत्यवादी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ के दौरान में पंजाब और पेप्सू के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने स्नातकों, अवरस्नातकों, मैट्रिक, और मैट्रिक न करने वाले व्यक्तियों ने नाम दर्ज कराया;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को काम दिलाया गया;

(ग) उक्त अवधि में अनुसूचित जाति के कितने प्रवीण और अप्रवीण प्रार्थियों ने अपने नाम दर्ज कराये; और

(घ) उनमें से कितनों को काम दिलाया गया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (घ). दो विवरण लोक-सभा के पटल पर रखे जाते हैं । [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७४**]

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वोत्तर रेलों पर माल-डिब्बों का संभरण

†६०२. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के माल जंकशन के पूर्व के स्टेशनों पर मार्च, अप्रैल और मई, १९५६ के लिये माल-डिब्बों के संभरण की संख्या घटाकर प्रतिदिन ९० कर दी गई है;

(ख) वास्तविक आवश्यकता कितने डिब्बों की है;

(ग) क्या ऐसी शिकायतें मिली हैं कि माल डिब्बों की कमी के कारण चावल, धान आदि का संभरण कई महीनों तक रुका रहा; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) आई नदी पुल को सुधारने के कार्य के सम्बन्ध में रोड़ी की गाड़ियां चलाने के लिये माल जंकशन के पूर्व के स्टेशनों पर माल-डिब्बों के आवागमन की क्षमता २५-२-५६ से १५-३-५६ तक अस्थायी रूप से १३५ एम० जी० माल-डिब्बों से घटाकर ९० एम० जी० कर दी गई है। निर्माण कार्य की प्रगति के साथ-साथ माल-डिब्बों की क्षमता बढ़ाकर ११० एम० जी० प्रतिदिन कर दी गई है।

(ख) माल जंक्शन के पूर्व में लगभग २०० एम० जी० माल-डिब्बे प्रति दिन।

(ग) जी, हां।

(घ) आई नदी पुल के आवश्यक संरक्षण कार्य के लिये रोड़ी की गाड़ियां अधिक संख्या में चलाने की आवश्यकता के होते हुए भी आसाम रेल लिंक (सम्पर्क) चर चावल और धान के यातायात और लदान को बढ़ाने के लिये लगातार प्रयत्न किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २९ मार्च, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	९२१–४०
	तारांकित प्रश्न संख्या	
९५१	रेलवे रियायती भाड़े	९२१–२२
९५३	केन्द्रीय ज्योतिष सम्बन्धी वेधशाला ...	९२२–२३
९५४	बानिहाल सुरंग	९२३–२४
९५६	रेलवे प्लेटफार्म	९२४–२५
९५७	अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग	९२५
९५८	टेलीफोन लाइनें	९२६
९५९	केन्द्रीय वैधशाला समिति	९२६–२७
९६३	गांवों से मिलाने वाले मार्ग ...	९२७–२८
९६५	दिल्ली परिवहन सेवा	९२८
९६८	मोटर गाड़ी कर	९२९
९७४	बुद्ध जयन्ती	९२९–३०
९७५	कान्डला पत्तन	९३०
९७८	पटसन के परिवहन के लिए माल-डिब्बे	९३०–३१
९८०	पोस्टल कैश सर्टिफिकेट	९३१–३२
९८२	वायु मार्ग	९३२–३३
९८४	गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	९३३–३४
९८५	टिकानिया में तारघर ...	९३४
९८६	अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति	९३५
९८९	यमुना पुल ...	९३५–३६
९९०	कलकत्ता पत्तन	९३६
९९१	केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्	९३६–३७
९९३	नाविकों के लिये कोचीन में प्रशिक्षण स्कूल	९३८–३९
९९६	नेत्र अस्पताल, सीतापुर	९३९–४०
९६०	केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन	९४०
	प्रश्नों के लिखित उत्तर ...	९४१–६७
	तारांकित प्रश्न संख्या	
९५०	राष्ट्रीय राजपथ ...	९४१
९५२	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ...	९४१
९५५	मैडिकल कालेज अस्पताल त्रिवेन्द्रम ...	९४१
९६१	चाय बागान कामगरों के लिए भविष्य निधि	९४१

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश:)

तारांकित
प्रश्न संख्या

९६२	ग्लासगो गोदी में भारतीय नाविकों की मृत्यु	९४२
९६४	गूटी स्टेशन को नये ढंग का बनाना	९४२
९६७	पूर्वोत्तर रेलवे के अवशिष्ट का निबटारा	९४२
९६९	दूसरे दर्जे के यात्रियों की यात्रा	९४२–४३
९७०	यात्री सुविधायें	९४३
९७१	काबुल में भारतीय असैनिक उड्डयन कर्मचारी	९४३
९७२	मैडिकल कालिजों में दाखला	९४३–४४
९७३	सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसियेशन	९४४
९७६	उद्यान-विद्या ...	९४४
९७७	डाकघरों के काउन्टर	९४४–४५
९७९	रेलवे दुर्घटना जांच समिति	९४५
९८१	कर्मचारी भविष्य निधि	९४५
९८३	गौतमी पुल ...	९४५
९८७	रिक्शा चलाना	९४६
९८८	धनुषकोडी स्तम्भ	९४६
९९२	रेलवे टाइम टेबल (सारणियां)	९४६
९९४	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम	९४६
९९५	आंध्र में अनाज तथा बीज गोदाम	९४७
९९८	बागान श्रम अधिनियम, १९५१	९४७
९९९	पूर्वोत्तर रेलवे में शिशिक्षु ...	९४७
१०००	नारियल अनुसन्धान केन्द्र (आन्ध्र)	९४८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५५०	पूर्वोत्तर रेलवे पर यात्रियों की गणना ...	९४८
५५१	सोनपुर पुल	९४८
५५२	राजस्थान में पशु-विकास	९४९
५५३	पूर्वोत्तर रेलवे पर माल-डिब्बों का आना-जाना ...	९४९
५५४	इटारसी और होशंगाबाद के बीच रेलवे फाटक पर पुल	९४९–५०
५५५	न्यूज़ीलैंड से गव्यशाला सम्बन्धी सामान ...	९५०
५५६	काम दिलाऊ दफ्तर	९५०
५५८	चीनी पर उत्पादन शुल्क	९५१
५५९	यात्री बसें	९५१
५६०	रेलगाड़ी की दुर्घटनाएं	९५१–५३
५६१	नूरपुर बेदियां में तारघर ...	९५३
५६२	खादी की वर्दियां	९५३–५४
५६३	भूकम्प	९५४
५६४	"पी० एस० क्राकोडाइल" जहाज़	९५४
५६५	रेलों में इन्टरलौकिंग (अन्त:पाश (प्रणाली ...	९५४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमश:)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
५६६	रेलवे कर्मचारी ...	९५४–५५
५६७	बड़काकाना रेलवे अस्पताल ...	९५६
५६८	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अलमोड़ा	९५६
५६९	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अलमोड़ा	९५६–५७
५७०	रेलवे में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन	९५७
५७१	नलकूप	९५७
५७२	राष्ट्रीय राजपथ	९५८
५७३	हिन्दी में तार ...	९५८
५७४	मध्य भारत में डाकघर	९५८
५७५	राष्ट्रीय राजपथ	९५८–५९
५७६	नेत्र बैंक	९५९
५७७	पल्लेदारों के लिये वर्दियां	९५९
५७८	दिल्ली में ट्राम गाड़ियां	९५९
५७९	असैनिक उड्डयन कर्मचारियों के चिये क्वार्टर	९६०
५८०	असैनिक उड्डयन विभाग ...	९६०
५८१	भारतीय केन्द्रीय रुई समिति	९६०
५८२	हवाई अड्डे	९६०–६१
५८३	सिकन्दराबाद मनमाड लाइन पर वातावस्थापित गाडी	९६१
५८४	मुरादाबाद डिवीजन में पदाधिकारियों की नियुक्ति	९६१
५८५	शाहजहांपुर-सीतापुर लाइन	९६१–६२
५८६	सड़कों का निर्माण और मरम्मत...	९६२
५८७	टेलीफोन लगाया जाना	९६२
५८८	रूस का गेहूं ...	९६२
५८९	ग्रामीण डाक तथा तारघर	९६३
५९०	रेलवे संरक्षण बल	९६३
५९१	मनीपुर में सहकारी समितियां	९६३
५९२	बहिर्विभागीय कर्मचारी ...	९६३
५९३	प्रशिक्षण पोत "डफरिन"	९६४
५९४	दरभंगा में तारघर	६६४
५९५	सहरसा में तारघर ...	५६४–६५
५९६	रेलों पर समाज शिक्षा आन्दोलन	९६५
५९७	मैसूर में डाक तथा तारघर भवन	९६५
५९८	नई दिल्ली स्टेशन भवन ...	९६६
५९९	राष्ट्रीय राजपथ (आंन्ध्र)	९६६
६००	जमना बाज़ार	९६६
६०१	पंजाब और पेप्सू में काम दिलाऊ दफ्तर ...	९६६
६०२	पूर्वोत्तर रेलवे पर माल-डिब्बों का संभरण ...	९६७

M28LSD—7-6-57—190—GIPF

गुरुवार
29 मार्च 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ३, १९५६

(२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६)

1st Lok Sabha
(XII Session)

Preservation Unit
3-4-92
24.11.83
Parliament Library

सत्यमेव जयते

बारहवाँ सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

M117LSD—4

विषय-सूची

[भाग--२ वाद-विवाद, खण्ड ३--२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६]

अंक ३१--बुधवार, २८ मार्च, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन-प्रस्ताव	१५१७–२०
सदस्य का बन्दीकरण	१५२०
सदस्य का ज़मानत पर रिहाई ...	१५२०–२१
सभा का कार्य	१५२१, १५२२–२३, १५६८–६९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५२१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५२२
ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
अड़तालिसवां प्रतिवेदन.	१५२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१५२२
अनुदानों की मांगें	१५२४–६७
मांग संख्या २२--आदिम जाति क्षेत्र	१५२४–६७
मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य ...	१५२४–६७
मांग संख्या २४--पांडिचेरी राज्य	१५२४–६७
मांग संख्या २५--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५२४–६७
मांग संख्या ११९--वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	१५२४–६७
त्रावणकोर-कोचीन आय-व्ययक, १९५६-५७ ...	१५६७–६८
दैनिक संक्षेपिका	१५७०–७१

अंक ३२--गुरुवार, २९ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५७३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं की स्थिति और वहां से उनका प्रव्रजन	१५७३
सभा का कार्य	१५७४
अनुदानों की मांगें	१५७४–१६०५
मांग संख्या २२--आदिम जाति क्षेत्र	१५७४–१६०५
मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २४--पाण्डिचेरी राज्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २५--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५७४–१६०५
मांग संख्या ११--वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ...	१५७४–१६०५
त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प	१६०५–३१
लेखानुदानों की मांगें--त्रावनकोर-कोचीन	१६३१–३३
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक	१६३३–३४
दैनिक संक्षेपिका	१६३५

पृष्ठ

अंक ३३—शनिवार, ३१ मार्च, १९५६

सदस्य का बन्दीकरण तथा दोषसिद्धि १६३७

स्थगन-प्रस्ताव

श्री बरलाम दास टंडन का अनशन ... १६३८–३९

अनुदानों की मांगें १६३७, १६३८–७५

मांग संख्या ९२—पुर्नावास मंत्रालय ... १६३८–७५

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय १६३८–७५

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १६३८–७५

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १६३८–७५

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तालिसवां प्रतिवेदन १६७५

मद्य-निषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प ... १६७५–८५

औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के

बारे में संकल्प १६८५–९४

दैनिक संक्षेपिका १६९५

अंक ३४—सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १६९७

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक के बारे में याचिका १६९७

अनुदानों की मांगें ... १६९७–१७५८

मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनायें

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध

विभाग तथा व्यय

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय

दैनिक संक्षेपिका ... १७५९

अंक ३५—मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १७३१

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १७३१

अनुदानों की मांगें १७३२–१८१५

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय १७६२–१८०९

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाएं १७६२–१८०९

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध

विभाग तथा व्यय १७६२–१८०९

पृष्ठ

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१०–१५

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवाएं १८१०–१५

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१०–१५

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१०–१५

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय १८१०–१५

दैनिक संक्षेपिका १८१६

अंक ३६—बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ... १८१७

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकायें १८१७

अनुदानों की मांगें १८१७–७९

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१७–४२

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवायें १८१७–४२

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१७–४२

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१७–४२

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १८१७–४२

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय १८४३–७९

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८४३–७९

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८४३–७९

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण ... १८४३–७९

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८४३–७९

दैनिक संक्षेपिका १८८०

अंक ३७—गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें १८८१–१९४६

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय १८८१–९१

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८८१–९१

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८८१–९१

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण १८८१–९१

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८८१–९१

पृष्ठ

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १८९२–१९४६
मांग संख्या ८८—नमक १८९२–१९४६
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १८९२–१९४६
मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १८९२–१९४६
मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८९२–१९४६
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १८९२–१९४६
दैनिक संक्षेपिका १९४७

अंक ३८—शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९४९
प्राक्कलन समिति—
चौबीसवां प्रतिवेदन १९५०
अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक १९५०
कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब ... १९५०–५१
अनुदानों की मांगें १९५१–८३
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १९५१–५७
मांग संख्या ८८—नमक ... १९५१–५७
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १९५१–५७
मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १९५१–५७
मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... १९५१–५७
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५१–५७
मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ... १९५८–८३
मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप १९५८–८३
मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८३—खानें १९५८–८३
मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा ... १९५८–८३
मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज ... १९५८–८३
मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १९५८–८३
मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५८–८३

पृष्ठ

बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक १९८३

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक १९८३–२०००

विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १९८३–२०००

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (**धारा ४२९ का संशोधन**) २०००–०६

विचार करने का प्रस्ताव २०००

दैनिक संक्षेपिका २००७

अंक ३९—सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २००९

कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब २००९–१०

अनुदानों की मांगें २०१०–७९

मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय २०१०–२४

मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप २०१०–२४

मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८३—खानें २०१०–२४

मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा २०१०–२४

मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज २०१०–२४

मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय २०१०–२४

मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय २०१०–२४

मांग संख्या ४२—खाद्य और कृषि मंत्रालय २०२५–७९

मांग संख्या ४३—वन २०२५–७९

मांग संख्या ४४—कृषि ... २०२५–७९

मांग संख्या ४५—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें ... २०२५–७९

मांग संख्या ४६—खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय २०२५–७९

मांग संख्या १२७—वनों पर पूंजी व्यय २०२५–७९

मांग संख्या १२८—खाद्यान्नों का क्रय २०२५–७९

मांग संख्या १२९—खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय २०२५–७९

दैनिक संक्षेपिका २०८०

अंक ४०—मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें ... २०८१–२१३९

मांग संख्या ७०—श्रम मंत्रालय २०८१–२१३३

मांग संख्या ७१—मुख्य खान निरीक्षक २०८१–२१३३

मांग संख्या ७२—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २०८१–२१३३

मांग संख्या ७३—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनःसंस्थापन २०८१–२१३३

मांग संख्या ७४—असैनिक प्रतिरक्षा २०८१–२१३३

पृष्ठ

मांग संख्या १३६—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय २०८१–२१३३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१३३–३९
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१३३–३९
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१३३–३९
मांग संख्या ५४—पुलिस २१३३–३९
मांग संख्या ५५—जनगणना ... २१३३–३९
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१३३–३९
मांग संख्या ५७—अन्दमान तथा निकोबर द्वीप २१३३–३९
मांग संख्या ५८—कच्छ २१३३–३९
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१३३–३९
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१३३–३९
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध ... २१३३–३९
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २१३३–३९
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय २१३३–३९

दैनिक संक्षेपिका २१४०

अंक ४१—बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनचासवां प्रतिवेदन २१४१

अनुदानों की मांगें २१४१–२२०३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१४१–२२०३
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१४१–२२०३
मांग संख्या ५४—पुलिस २१४१–२२०३
मांग संख्या ५५—जनगणना २१४१–२२०३
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१४१–२२०३
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५८—कच्छ २१४१–२२०३
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१४१–२२०३
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१४१–२२०३
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध २१४१–१२०३
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... २१४१–२२०३

दैनिक संक्षेपिका २२०४

अंक ४२—गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें	२२०५–५८
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय	२२०५–१५
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल	२२०५–१५
मांग संख्या ५३—दिल्ली	२२०५–१५
मांग संख्या ५४—पुलिस	२२०५–१५
मांग संख्या ५५—जनगणना ...	२२०५–१५
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	२२०५–१५
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह	२२०५–१५
मांग संख्या ५८—कच्छ	२२०५–१५
मांग संख्या ५९—मनीपुर	२२०५–१५
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा	२२०५–१५
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध	२२०५–१५
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	२२०५–१५
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२०५–१५
मांग संख्या ६६—लोहा और इस्पात मंत्रालय ...	२२१५–४१
मांग संख्या १३३—लोहा और इस्पात मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२१५–४१
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२४१–५८
मांग संख्या २—उद्योग	२२४१–५८
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े ...	२२४१–५८
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	२२३५
दैनिक संक्षेपिका ...	२२५९

अंक ४३—शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६	
अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	२२६१–६२
अनुदानों की मांगें	२२६२–८७
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२६२–८७
मांग संख्या २—उद्योग ...	२२६२–८७
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े	२२६२–८७
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२२६२–८७
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२६२–८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उनचासवां प्रति-वेदन...	२२८७–८९
औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प	२२८८–२३०६
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	२३०७
दैनिक संक्षेपिका	२३०८

अंक ४४—सोमवार, १६ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज २३०९—११

सभा का कार्य ... २३११—१२

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २३१२

जीवन बीमा विधेयक ... २३१२

अनुदानों की मांगें ... ... २३१३—८२

मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय २३१३—२३

मांग संख्या २—उद्योग ... २३१३—२३

मांग संख्या ३—वाणिज्य सूचना तथा आंकड़े ... २३१३—२३

मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३१३—२३

मांग संख्या ११३—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय २३१३—२३

मांग संख्या १७—शिक्षा मंत्रालय २३२४—७७

मांग संख्या १८—पुरातत्व विद्या २३२४—७७

मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक-विभाग २३२४—७७

मांग संख्या २०—शिक्षा २३२४—७७

मांग संख्या २१—शिक्षा-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३२४—७७

मांग संख्या ११८—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय २३२४—७७

मांग संख्या २६—वित्त मंत्रालय २३७७—८२

मांग संख्या २७—सीमा शुल्क २३७७—८२

मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क २३७७—८२

मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३७७—८२

मांग संख्या ३०—अफीम २३७७—८२

मांग संख्या ३१—स्टाम्प ... ... २३७७—८२

मांग संख्या ३२—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३७७—८२

मांग संख्या ३३—लेखा परीक्षण २३७७—८२

मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा २३७७—८२

मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३७७—८२

मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें २३७७—८२

मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ता तथा निवृत्ति वेतन ... ... २३७७—८२

मांग संख्या ३८—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २३७७—८२

मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान २३७७—८२

पृष्ठ

मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन २३७७–८२
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान ... २३७७–८२
मांग संख्या १२०—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२१—चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२२—टकसालों पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२३—निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ... २३७७–८२
मांग संख्या १२४—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान २३७७–८२
मांग संख्या १२५—वित्त-मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ... २३७७–८२
मांग संख्या १२६—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन २३७७–८२

दैनिक संक्षेपिका २३८३

अंक ४५—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

कार्य मंत्रणा समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन २३८५

तारांकित प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि २३८५–८७

अनुदानों की मांगें २३८७–२४२७

मांग संख्या २६—वित्त-मंत्रालय २३८७–२४२५
मांग संख्या २७—सीमा शुल्क २३८७–२४२५
मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क ... २३८७–२४२५
मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३०—अफीम २३८७–२४२५
मांग संख्या ३१—स्टाम्प २३८७–२४२५
मांग संख्या ३२—अभिकरण-विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३८७–२४२५
मांग संख्या ३३—लेखा-परीक्षा २३८७–२४२४
मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा २३८७–२४२५
मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३८—वित्त-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान २३८७–२४२५

	पृष्ठ
मांग संख्या १२०——भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२१——चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजीव्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२२——टकसाल पर पूंजी व्यय	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२३——निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२४——छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२५——वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२६——केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन	२३८७—२४२५
मांग संख्या ६३——सूचना और प्रसारण मंत्रालय	२४२५—२७
मांग संख्या ६४——प्रसारण ...	२४२५—२७
मांग संख्या ६५——सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १३२——प्रसारण पर पूंजी व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या ७५——विधि मंत्रालय	२४२५—२७
मांग संख्या ७६——न्याय-व्यवस्था	२४२५—२७
मांग संख्या ७७——विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १०६——अणुशक्ति विभाग	२४२५—२७
मांग संख्या १०७——अणुशक्ति गवेषणा	२४२५—२७
मांग संख्या १४६——अणुशक्ति विभाग का पूंजी व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १०८——संसद्-कार्य विभाग	२४२५—२७
मांग संख्या १०९——लोक-सभा ...	२४२५—२७
मांग संख्या ११०——लोक-सभा के अधीन विविध व्यय ...	२४२५—२७
मांग संख्या १११——राज्य-सभा ...	२४२५—२७
मांग संख्या ११२——उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	२४२५—२७
वित्त विधेयक	२४२७—३०
विचार करने का प्रस्ताव	२४२७
दैनिक संक्षेपिका	२४३१

M117LSD—190—25-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

गुरुवार, २९ मार्च, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

११-३० म० पू०

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों के संशोधन

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अधीन अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ७१६, दिनांक २४ मार्च, १९५६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जिसके द्वारा विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन किये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस--११३/५६**]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं की दशा और वहां से उनका प्रव्रजन

†**श्री वल्लाथरास** (पुदुकोटै) : नियम २१६ के अधीन मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर पुनर्वास मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं की दशा और वहां से उनका प्रव्रजन।"

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के प्रव्रजन का विषय पहले ही लोक-सभा के सामने है। इस पर कल से वाद-विवाद हो रहा है और मेरे साथी विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री श्री विश्वास पहले ही एक विस्तृत वक्तव्य दे चुके हैं जिसमें उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के निष्क्रमण के कारण बताये थे। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री भी एक वक्तव्य देंगे। इसलिये मैं लोक-सभा का समय नहीं लेना चाहता और आपकी अनुमति से लोक-सभा पटल पर अपना वक्तव्य रखता हूं [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १**]

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, आज की कार्य सूची में कुछ आवश्यक मदों के शामिल किये जाने के कारण अनुदानों की मांगों पर मतदान के सम्बन्ध में तिथियों के कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है और इसकी सूचना आपकी अनुमति से मैं लोक सभा को देना चाहता हूं ।

पुनर्वास मंत्रालय के नियन्त्रण के अधीन अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा शनिवार, ३१ मार्च, को प्रारम्भ होगी और सोमवार, २ अप्रैल को समाप्त होगी ।

शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त शेष अन्य मंत्रालयों के अनुदानों पर चर्चा का क्रम और तिथियां वही रहेंगी । शिक्षा मंत्रालय के अनुदानों पर मतदान ३ अप्रैल के स्थान पर १६ अप्रैल को होगा और वित्त मंत्रालय के सम्बन्ध में जैसी व्यवस्था की जा चुकी है १६ अप्रैल को विचार प्रारम्भ किया जायेगा परन्तु यह १७ अप्रैल को समाप्त होगा ।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य के लिये १९५६–५७ के आय-व्ययक प्राक्कलनों पर विचार करने के सम्बन्ध में तिथि की घोषणा मैं बाद में करूंगा ।

---

*अनुदानों की मांगें

†**अध्यक्ष महोदय** : अब लोक-सभा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा करेगी । इस मंत्रालय के लिये दिये गये ८ घंटों में से कल ५ घंटे और ११ मिनट तक इस पर चर्चा हुई थी । और अब शेष २ घंटे और ४९ मिनट का समय है ।

अब श्री एन० वी० गाडगील अपना भाषण जारी रखेंगे ।

†**श्री गाडगील** (पूना—मध्य) : कल जब लोक-सभा की बैठक समाप्त हुई थी तो मैं इस बात पर जोर दे रहा था कि कुछ ही दिन बीते जो सीमावर्ती घटनायें हुई हैं उनसे घबराने या उनसे खौफ खाने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस बात के साथ ही मैंने काश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर चौकन्ने रहने की आवश्यकता पर भी जोर दिया था । जो कुछ वहां हो रहा है वह पाकिस्तान सरकार की एक विशिष्ट चाल के कारण है । यदि समाचारपत्रों के समाचार ठीक हैं तो अमेरिका ने सहायतार्थ पाकिस्तान को जो शस्त्रास्त्र दिये हैं सीमावर्ती घटनाओं में और ऐसे आक्रमणों में उनका प्रयोग किया गया है । वाशिंगटन से प्राप्त हुए शस्त्रों का वह परीक्षण कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में भारतीय जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिये वह यह कार्यवाहियां कर रहे हैं । अब पाकिस्तान अपनी शक्ति के बल पर काश्मीर समस्या के सम्बन्ध में बातचीत करने का प्रयत्न कर रहा है । शस्त्रास्त्रों की होड़ में भाग लेना हमारी नीति के विरुद्ध है । परन्तु यह काश्मीर का ही प्रश्न नहीं है अपितु काश्मीर विवाद से सम्बन्धित सभी देशों का प्रश्न है । हमारी विदेश नीति ठीक है या नहीं है । इसे इस बात से जाना जा सकता है कि हम यह देखें कि हमारे संविधान के निदेशक तत्वों में जिस सिद्धांत की चर्चा है और जिस आदर्श को हमने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में अपने सामने रखा है वह पूरा होता है या नहीं । क्या हमने शान्ति के ध्येय को आगे बढ़ाया है या नहीं ? और यदि हम इस बात के उत्तर में कह सकें कि हां हम ऐसा कर सके हैं तो हमारी नीति एक सफल और उचित नीति है । आज पाकिस्तान चाहे अनुभव न करे परन्तु उसे एक न एक दिन यह स्वीकार करना होगा कि उसका मित्र अमेरिका नहीं बल्कि भारत है । किन्तु इस बीच हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जिससे स्थिति और बिगड़े । यह पहले ही एक जटिल समस्या है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तत ।

सोवियत सरकार ने जो नई नीति अपनाई है उससे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है । लोगों की स्टालिन और स्टालिनवाद के प्रति श्रद्धा कम होती जा रही है। ऐसा लगता है कि जो कुछ उन्होंने किया है राजनैतिक दृष्टि से ठीक किया है। उन्हें इस बात का विश्वास है कि जहां तक समाजवादी अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है वे संसार में अकेले नहीं हैं। बीस या पच्चीस वर्ष पहले वे अकेले थे परन्तु आज बहुत से आधुनिक राज्य समाजवादी ढांचे को अपनाये हुए हैं और कुछ अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे राज्य में जनता की वाणी अभिभावी होती है, लोग युद्ध के खिलाफ और शांति के पक्षपाती होते हैं ।

मेरे विचार में सोवियत संघ की इस नई विदेश नीति से इस संसार में शान्ति की स्थापना में सहायता मिलेगी ।

भारत की अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति है और जहां तक इसके भावी समाज का सम्बन्ध है, भारत के समाज का रूप समाजवादी होगा। इसीलिये वह युद्ध के खिलाफ होगा और संसार में शांति बनाये रखने का समर्थक होगा ।

प्रायः कहा गया है कि हमारी नीति तटस्थवाद की नीति है। यह एक मजबूरी की नीति नहीं है। बल्कि एक ऐसी क्रियात्मक नीति है जिसमें अगुआई और कार्यवाही के लिये पर्याप्त अवसर और स्थान है। मेरा यह पुख्ता विचार है कि हमारी नीति की नींव बहुत अच्छी तरह से रखी गई है और हम इस पर सफलतापूर्वक चले हैं। आज संसार में जो कुछ हो रहा है यदि वह उत्साहवर्द्धक है तो इसका एक कारण हमारी नीति है ।

यह कहा जा सकता है कि आज हमारे सम्मुख लंका की, पाकिस्तान की, काश्मीर की, और ऐसी ही अन्य समस्यायें हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि काश्मीर समस्या पर बातचीत करनी है तो बेशक बातचीत कीजिये क्योंकि इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है कि इस समस्या का इस प्रकार समाधान हो जिससे दोनों पक्षों को श्रेय मिले । इन आठ वर्षों में हमारी यही कोशिश रही है। परन्तु यदि संयुक्त राष्ट्र संगठन में इसका निर्णय किया जाता है तो मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर विचार करें । हमारा यह कहना था कि पाकिस्तान आक्रमणकारी है और यह बात अवश्य ही घोषित की जानी चाहिये । जब तक इस बात की घोषणा नहीं होती तब तक हम कुछ भी कार्यवाही नहीं करना चाहते । परन्तु इसके साथ ही जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका उनकी ओर हमारा दृष्टिकोण यही होना चाहिये कि बातचीत द्वारा और विचारों के आदान-प्रदान द्वारा उनका समाधान किया जाये ।

मैंने दो सुझाव दिये हैं । एक पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के निष्क्रमण के सम्बन्ध में है और दूसरा पाकिस्तान को आक्रमणकारी घोषित करने पर जोर देने के सम्बन्ध में है । यह एक ऐसी बात है जिस पर हमारे और पाकिस्तान के भावी सम्बन्ध निर्भर हैं। यदि पाकिस्तान हमें आक्रमणकारी कहता है तब तो इस विवाद का एक बिल्कुल नया पहलू उत्पन्न होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमें घबराना नहीं चाहिये। हमें साहसपूर्वक और सम्मानपूर्वक स्थितियों का सामना करना चाहिये क्योंकि अन्त में यही हमारे लिये लाभप्रद होगा ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे अक्सर इस सभा में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भाषण देने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। इन अवसरों पर मैं प्रायः पहले कही बातों को दुहरा देता हूं क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि परिवर्तन शील संसार के कुछ पहलू इतने महत्वपूर्ण हैं कि वह सदैव ध्यान में रखे जाने होते हैं। इसलिये, यदि मैं इस अवसर पर भी किसी पहले कही गई बात को फिर से कहूं तो सभा मुझे क्षमा करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कुछ समय पूर्व मैंने कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण मामलों विशेषत: यहां आने वाले प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों से हुई बातचीत के सम्बन्ध में इस सभा में एक वक्तव्य दिया था । निस्सन्देह मैं उनको नहीं दुहराऊंगा, किन्तु उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मामलों का पुन: जिक्र करूंगा ।

आचार्य कृपालानी ने यह कहने की कृपा की कि हमारी वैदेशिक नीति सिद्धांतत:—सामान्य उद्देश्यों और संभवत: कुछ सामान्य सफलताओं की दृष्टि से—ठीक रही, किन्तु कार्य रूप में, उसे क्रियान्वित करने के साधनों की दृष्टि से, हम भटक गये । विरोधी दलों के अन्य सदस्यों ने इस नीति की विभिन्न प्रकार से आलोचना की है ।

यह बिल्कुल सच है कि हमें अपनी वैदेशिक नीति में अथवा किसी भी अन्य नीति में हर जगह सफलता नहीं मिली है । हमें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा और सम्भवत: और भी कई कठिनाईयों का सामना करना पड़े । हमें कई महत्वपूर्ण समस्याओं में कम सफलता मिली और यह भी सम्भव था कि यदि पहले कोई सचित कदम उठाया जाता तो उससे अच्छे परिणाम निकलते । नतीजा देख लेने पर संभलना आसान होता है । कुछ भी हो, मैं सभाको यह याद दिलाना चाहता हूं कि ये सभी तथा-कथित समस्यायें—छोटी समस्यायें—अकेली समस्यायें नहीं हैं । वे आधुनिक विश्व की कुछ आधारभूत समस्याओं से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं । आप आधुनिक जगत के आधारभूत संघर्षों से किसी भी समस्या को कठिनता से ही पृथक् कर सकते हैं । इसलिये प्रत्येक छोटी समस्या का भी बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है । इसलिये यह कल्पना करना कि हम किसी एक छोटी समस्या को अथवा किसी ऐसी समस्या को जिसका विशेष रूप से हम पर प्रभाव पड़ता है, दुनिया के अन्य पहलुओं से पृथक् रख कर हल कर सकते हैं, गलत है ।

अब मैं सभा का ध्यान पुन: उन अत्यन्त महत्वपूर्ण आधारभूत परिवर्तनों की ओर आकर्षित करूंगा जो कि विश्व में हुए हैं अथवा हो रहे हैं, और जो मेरा विश्वास है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विचारों की समस्त पृष्ठभूमि व कार्यों को बदल रहे हैं अथवा बदल देंगे । आप चाहे इसे किसी दृष्टिकोण से देखें—आप इसे प्रौद्योगिकी (टेक्नोलोजी) के विकास की चरमसीमा कह सकते हैं । जिससे अन्ततः अणु और हाइड्रोजन (उदजन) बम का आविष्कार और प्रयोग हुआ—मैं प्रोद्योगिकी के विकास के एक पहलू के रूप में हाइड्रोजन बम का जिक्र कर रहा हूं न कि उस पहलू का जो कि असंख्य व्यक्तियों को मृत्यु और विनाश के घाट उतारेगा । औद्योगिक युग की सभ्यता में प्रौद्योगिकी का यह विकास उस स्तर तक पहुंच गया है कि यह मानवता का अपरिमित विनाश कर सकता है अथवा उसका अत्यन्त हित कर सकता है । शक्ति की यह निकासी—मानवता इसका भला या बुरा, दोनों प्रकार से प्रयोग कर सकती है—आधुनिक विश्व के लिये एक नई बात है, जिसने कि पहली विचारधारा को बिल्कुल उलट दिया है । इससे सैनिक विचारधारा भी बदल गई है । इन नई बातों के कारण युद्ध शास्त्र पर लिखी गई सारी पुस्तकें गतकाल हो गई हैं । मैं समझता हूं कि मेरे इस विचार से अधिकांश व्यक्ति सहमत होंगे । किन्तु शायद यह बात न मानें कि इससे राजनैतिक विचारधारा भी बदल गई है, अथवा यदि हम अपनी संकीर्णता से बाहर निकलें, तो बदल जानी चाहिये । केवल इतना ही नहीं, इससे आर्थिक विचारधारा और वे सभी बाद भी बदल गये हैं जिनको हम पहले मानते थे । उनमें बहुत अंशों में सत्य था तथापि अब वे गतकाल हो गए हैं । मैं यह कहने का दुस्साहस कर सकता हूं कि मानवता के लिये उपलब्ध इस विशाल शक्ति के कारण हमारी सैनिक, राजनैतिक और आर्थिक विचारधारा, बहुत अंशों में गतकाल हो गई है और जब तक हम अपने को इस नये युग के अनुसार जो कि आ रहा है नहीं ढाल लेते हम पीछे रह जायेंगे और इन नई स्थितियों

का लाभ उठानें व नये खतरों से अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं होंगे । यह एक महत्वपूर्ण आधारभूत बात है जिसे सदैव ध्यान में रखना चाहिये ।

इस नये विकास का एक परिणाम यह भी हुआ कि हिंसा और हिंसात्मक साधन इतने शक्तिशाली बन गये हैं कि वस्तुतः वे व्यर्थ हो गये हैं और यह कहना एक अजीब बात होगी कि वे अपनी सीमा लांघ गये हैं अर्थात् यदि वे और आगे बढ़े तो वे केवल व्यर्थ ही नहीं रहेंगे बल्कि विनाश करेंगे ।

युद्ध और निःशस्त्रीकरण का प्रश्न लीजिये । जो व्यक्ति सच्चे दिल से युद्ध इत्यादि समाप्त करना चाहते हैं अथवा कम से कम युद्ध की सम्भावनाओं को कम से कम करना चाहते हैं वे इस पर —निःशस्त्रीकरण पर-- वर्षों से चर्चा करते रहे हैं । लेकिन वे भी एक नतीजे पर नहीं पहुंचे । क्यों ? क्योंकि अनिवार्य रूप से किसी अन्य पक्ष या विचारधारा के लोगों ने यह सोचा कि युद्ध से उन्हें लाभ पहुंचेगा, उनकी विजय होगी । उनका ख्याल था कि वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अपने विजय के अवसर तो नहीं खो देंगे । इसलिये वे निःशस्त्रीकरण के लिये तैयार नहीं हुए ।

मुझे यह कहना चाहिये कि विश्व के इतिहास में पहली बार लोगों के ध्यान में यह बात आई है कि युद्ध से—मैं बड़े पैमाने के युद्ध का जिक्र कर रहा हूं—आधुनिक स्थितियों में विजय प्राप्त नहीं होगी । यही कारण है कि इस समय नि-शस्त्रीकरण के प्रश्न पर, पहले से अधिक व्यावहारिक रूप में विचार किया जा रहा है अथवा विचार किया जायेगा । निस्सन्देह तर्क संगत और उपयुक्त दृष्टिकोण से युद्ध अवांछनीय है क्योंकि इससे कोई भी लक्षित उद्देश्य पूरा नहीं होता । इतना ही नहीं इसे—हाइड्रोजन बम के उपयोग के नतीजों के सम्बन्ध में हमें जो कुछ भी सीमित जानकारी है, उसके आधार पर--लगभग समस्त विश्व का विनाश हो जायेगा । ध्यान रखिए कुछ ऐसी अनिश्चित बातें हो सकती हैं जिनको हम नहीं जानते हैं तथापि जिनका इससे भी बुरा परिणाम हो सकता है । इस तरह एक व्यक्ति इसी तर्क संगत परिणाम पर पहुंचता है कि युद्ध को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय ।

किन्तु माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि जीवन पूरी तरह युक्तिसंगत ढंग से नहीं चलता है । आवेश, घृणा, भय और आशंकायें मार्ग में रुकावटें डालती हैं । इसलिये आज पहले से बहुत अधिक हम इस बात का अनुभव करते हैं कि यद्यपि तर्क, बद्धि, और नेकनियत हमें एक मार्ग बताती है तथापि भय, आशंका और घृणा हमें—मेरा तात्पर्य हमारे देश से नहीं अपितु संसार से है—दूसरी दिशा में ले जाती है । कुछ भी हो, अन्ततः वास्तविकता से आंखें नहीं मूंदी जा सकती और वास्तविकता हमारे युग का प्रतीक है जिससे पीछे अणुबम, हाइड्रोजन बम और उनकी विशाल शक्ति है, युद्ध अथवा अन्य किसी रूप में विनाश की शक्ति है ।

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे, मुझे भय है कि मैं बारम्बार दुहराता हूं । क्योंकि यह हमारे युग की संचालिका शक्ति है । और यह बात हमें केवल सैनिक क्षेत्रों में ही नहीं प्रत्युत राजनैतिक, और मैं फिर से दुहराता हूं, कि आर्थिक क्षेत्र में भी हमारा संचालन करती है वस्तुतः औद्योगिकी की अत्यधिक वृद्धि से, उसके अत्यधिक विकास से, धन, माल और आवश्यक चीजों की उत्पत्ति की अत्यधिक क्षमता से समस्त आर्थिक विचारधारा में क्रांति आ गई है ।

दो-तीन पीढ़ी पहले संभवतः कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, के लिये वस्तुओं की इस प्रचुरता अथवा इसकी संभावना को भी नहीं सोच सकता था । लगभग सौ वर्ष पूर्व अर्थशास्त्री लोग अभाव के बारे में विचार करते थे तब एक अवधि ऐसी आयी जबकि लोग क्रमशः प्राचुर्य के बारे

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

भें भी सोचने लगे। किन्तु वर्तमान प्रोद्योगिकी और वर्तमान विज्ञान के, धन उत्पन्न करने तथा अत्यधिक शक्तिशाली अस्त्रों को उत्पन्न करने की शक्ति ने व्यक्तियों और दार्शनिकों की कल्पनाओं को भी मात द दिया। लेकिन यह सब प्रौद्योगिकी विकास की ही दिशा में हुआ। चाहे आप इसे खुशी कहें अथवा विपत्ति और विनाश, सच यह है कि यह शक्ति उत्पन्न की गई और प्रयोग की जाने क लिये मानव हाथों में सौंप दी गई।

इसलिये इस पृष्ठभूमि में किसी भी उपयुक्त और युक्तिसंगत दृष्टिकोण को हिंसात्मक प्रकार के युद्ध और संघर्ष से अनिवार्यतः दूर रहना चाहिये। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि समाज में विभिन्न राष्ट्रों इत्यादि के बीच सामाजिक संघर्ष है। किन्तु इन छोटे या बड़े संघर्षों का हल हिंसात्मक रीति से निकालना अवांछनीय है। यदि उनका हल नहीं होगा तो बड़े पैमाने पर होने से दोनों का विनाश हो जायेगा छोटे पैमाने पर भी इन साधनों का प्रयोग करना खतरनाक है क्योंकि इससे बड़ा संघर्ष पैदा हो सकता है जिससे कि प्राचीन काल में दार्शनिकों और महात्माओं का यह कहना कि हिंसा और घृणा इत्यादि नैतिक रूप में बुरी हैं। यह बात इन समस्याओं पर विचार करने का एक अत्यधिक व्यावहारिक तरीका हो गया है।

नैतिकता को पृथक् रखते हुए भी, आज के अत्यन्त अवसरवादी और संकीर्ण दृष्टिकोण से भी हिंसा करना, चाहे वह बड़े पैमाने पर हो अथवा छोटे, बेवकूफी है। स्पष्ट है कि हिंसा छोटे पैमाने पर जारी रहेगी। क्रोध में एक व्यक्ति दूसरे से घृणा करता है। यह एक दूसरी बात है। मुख्य बात यह है कि प्राचीन महापुरुषों का उच्च नैतिक दृष्टिकोण आधुनिक युग के विकास का व्यावहारिक परिणाम बन गया है। यह पृष्ठभूमि है।

यदि ऐसा है तो शीत युद्ध की बातें, अथवा ऐसी कोई बात जिससे शीत युद्ध को प्रोत्साहन मिलता है, करना मूर्खता है। यह निरर्थक है क्योंकि शीत युद्ध, युद्ध का वातावरण तैयार करने की ओर एक कदम है शीतयुद्ध का तात्पर्य है घृणा और हिंसात्मक भावना की वृद्धि और सदैव युद्ध व हिंसा के लिये तैयार रहना। इसलिये ऐसा करने के लिये—जिसे आप नहीं करना चाहते—अपनी शक्ति व्यर्थ करना बेवकूफी है। इतना ही नहीं, यह निरर्थक है। आप भय इत्यादि के कारण ऐसा कर सकते हैं। लोगों के मन में यह संघर्ष सदैव चलता रहता है, किन्तु बुनियादी तौर से यह नीति गलत है और इस बात का युक्तिसंगत रीति से कोई विरोध नहीं कर सकता है।

हमने इस देश में जिस नीति को अत्यधिक सफलता से अपनाया है—मैं इसकी अद्भुत सफलता का दावा नहीं कर सकता किन्तु मैं पूर्ण आदर के साथ यह दावा अवश्य कर सकता हूं कि यह उपयुक्त दिशा की ओर है—वह उपयुक्त दिशा में काम करने का प्रयत्न है। इसमें गलतियां हो सकती हैं। कुछ छोटी बातों में गलतियां भी हुई हैं और इस कारण कुछ बड़ी बातों में भी गलतियां हो सकती हैं। किन्तु यह उपयुक्त बातों पर चाहे आप उन्हे कुछ भी कहें उपयुक्त तरीकों से जोर डालती है। इसलिये इसकी समस्त संसार के लोगों में व्यापक प्रतिक्रिया हुई है। मैं इस समय राष्ट्रों का जिक्र नहीं कर रहा हूं यद्यपि राष्ट्रों में भी यह प्रतिक्रिया हुई है। हम कहते हैं कि हम सभी देशों के मित्र हैं—विभिन्न देशों से हमारी सहकारिता की मात्रा में अन्तर है क्योंकि यह एक द्विपक्षी मामला है। आप एकपक्षीय सहयोग नहीं कर सकते हैं किन्तु प्रत्येक देश के साथ—उन लोगों के साथ जोकि हमारे विरोधी हों अथवा जिनके साथ हमारी कुछ समस्यायें और विरोध भी हों उनके साथ भी हम मित्रता करने को सदैव तैयार रहते हैं।

कभी-कभी लोग हमारी तटस्थता का जिक्र कुछ घृणा के साथ करते हैं। मेरे विचार से हम तटस्थ नहीं हैं। हम किसी भी महत्वपूर्ण विषय के मामले में तटस्थ नहीं हैं, किन्तु तटस्थता के विषय

में बातें करने से लोगों की मनोभावना का अवश्य पता चल जाता है, अर्थात् वे सदैव युद्ध के बारे में ही विचार करते हैं। आखिर, तटस्थता का प्रयोग केवल युद्ध और संघर्ष में ही होता है। लोगों ने संसार में ऐसी वस्तुस्थिति विकसित कर ली है कि आप युद्ध मनोवृत्ति से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप युद्ध और तटस्थता के बारे में बातें किया करते हैं। युद्ध न होने अथवा शान्ति की स्थिति में 'तटस्थ' शब्द का प्रयोग बिल्कुल निर्रथक है। इसके कोई माने नहीं होते। इसका प्रयोग केवल इसलिये होता है कि वे आधुनिक विश्व में दो आधारभूत प्रवृत्तियों का विचार करते हैं। जिनका प्रतिनिधित्व अत्यधिक रूप में दो बड़े राष्ट्रों द्वारा किया जाता है और ये अत्यधिक रूप से एक दूसरे के विरोधी समझे जाते हैं और आपसे इस या उसके साथ सम्मिलित होने की आशा की जाती है। आपको विचार अथवा कार्य में अपना स्थान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का विचार चाहे वह इस या उस किसी भी पक्ष के द्वारा किया जाय अनिवार्यतः तानाशाही ढंग से विचार करना है और यह अनिवार्यतः सैनिक रूप से युद्ध की बात सोचना है कि हम इस या उस ओर सम्मिलित हो जायें। मैं नहीं समझ सकता कि कोई भी समझदार व्यक्ति चाहे वह किसी मत का क्यों न हो—वह मुझ से मतभेद रख सकता है—प्रश्न को केवल सैनिक दृष्टिकोण से ही क्यों देखता है। यह इस युग का दुर्भाग्य है। भय और आशंकाओं के कारण ही लोग उत्तरोत्तर इसी सीमित सैनिक ढंग से सोचने लगे हैं। एक सैनिक अद्वितीय व्यक्ति होता है। आप उसे एक विशेष काम तथा युद्ध करना और शत्रु को पराजित करने को कहते हैं। वह यथा शक्ति इसे करने का प्रयत्न करता है, चाहे वह सफल हो या न हो किन्तु यदि राजनीति और इससे भी अधिक मानव जीवन में आप सदैव सैनिक के दृष्टिकोण से विचार करना प्रारम्भ करेंगे, तो, आप मुसीबत में पड़ जायेंगे। संसार इन कठिनाइयों में पड़ गया है क्योंकि हमारे राजनैतिक कार्यों में सैनिक विचारधारा, सैनिक शब्दावली और साधनों का प्रवेश हो गया है। किन्तु—तटस्थता के प्रश्न पर—जो व्यक्ति हमारे राजनैतिक और अन्य कार्यों को उस अर्थ में तटस्थ कहता है—मैं इसे पुनः जोर देकर कहना चाहता हूं—वह उन्हें समझने में बिल्कुल असफल रहा है। मैं उसे एक बार फिर समझने का प्रयत्न करने की सलाह दूंगा। मैं उसे अपने विचारों के संकीर्ण दायरे से जो कि सारे विश्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता है बाहर आने की सलाह दूंगा। विश्व के लिये यह वांछनीय है कि लोगों के विचारों में एक दूसरे से भिन्नता हो तब वे साथ-साथ मिलें और सहयोग करें मैं इस पृष्ठभूमि पर जोर देना चाहता हूं।

आज यदि आप मोटे तौर से यह जानना चाहते हों कि संसार की आधारभूत समस्यायें क्या हैं तो निस्सन्देह आधारभूत समस्या एक ही है जिससे अन्य छोटी-छोटी समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं और वह समस्या है अणु शक्ति का प्रादुर्भाव। मैं इसको निःशस्त्रीकरण की समस्या से सम्बद्ध रखूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि जो कारण मैंने बताये हैं उनसे ऐसा मालूम होता है कि निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में कुछ सफलता मिलने की कुछ अधिक आशा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिये है कि धीरे-धीरे यह समझा जाने लगा है कि उससे किसी को भी लाभ नहीं होता, वरन् वास्तव में हानि ही होती है। परन्तु, निस्सन्देह, मैं निश्चित तौर से कुछ नहीं कह सकता।

फिर, हाल के लिये संसार के एक अत्यन्त विस्फोटक क्षेत्र, पश्चिमी एशिया, इजराइल और अरब देशों के बीच संघर्षों, बगदाद संधि के क्षेत्र और ऐसे ही क्षेत्रों को ले लीजिये। यहां भी एक तरह से जो समस्यायें हैं वे महत्त्वपूर्ण अवश्य हैं परन्तु वे संसार की समस्यायें नहीं हैं। परन्तु स्पष्टतः वे संसार की समस्याओं से ऐसे मिली हुई है कि यदि वहां किसी प्रकार की उथल-पुथल अथवा विस्फोट हुआ तो उससे संसार पर असर पड़ेगा और नहीं मालूम कि क्या न हो जाये। वास्तव में तथ्य यह है कि १९वीं सदी में कुछ यूरोपीय शक्तियों ने प्रायः समस्त संसार में आधिपत्य जमाकर एक प्रकार का संतुलन स्थापित कर लिया था। जो बहुत अच्छा नहीं था। प्रथम

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

विश्व युद्ध ने उस संतुलन को अनेक प्रकार से हिला दिया—राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से। कुछ साम्राज्य लुप्त हो गये। दो विश्व युद्धों के बीच का समय बड़ा संकटमय और कठिन था। सदा ही किसी प्रकार का संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया गया, परन्तु वह असफल रहा। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उससे १९वीं सदी का संतुलन और भी अधिक छिन्न-भिन्न हो गया। उसी समय से संसार में कुछ संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस बीच में अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महान् शक्तियों के प्रादुर्भाव के अतिरिक्त यह अणुशक्ति भी आ गई जो कि संतुलन के मार्ग में एक अन्य बाधा है।

अब उन देशों की स्थिति, जो कि १९वीं सदी में बहुत महत्वपूर्ण थ, बहुत खराब हो गई है, या कम से कम उनका वैसा महत्व नहीं रहा है जैसा कि पहले था। उनके लिये अपने को नई विचार-धारा, संसार के नये संतुलनों, महान् शक्तियों के प्रादुर्भाव के अतिरिक्त एशिया की बौद्धिक क्रांति और एशिया के देशों का अपने भिन्न-भिन्न तरीकों से स्वतन्त्र होना, चाहे वह भारत हो, अथवा चीन अथवा इंडोनेशिया, अथवा बर्मा अथवा कोई भी अन्य देश आदि घटनाओं के अनुरूप बनाना सरल नहीं है। पुराने संतुलन बदलते जाते हैं और सरकारें आसानी से इन व्यावहारिक विकासों के साथ कदम नहीं मिला पातीं। निस्सन्देह परिवर्तनों को स्वीकार न करने के सम्बन्ध में प्रमुख तथ्य यह है कि कुछ बड़े देश अभी भी इस बात को नहीं समझते कि चीन भी अब एक बड़ी शक्ति हो गया है। वे इस बात को जानते अवश्य हैं परन्तु फिर भी उसे स्वीकार नहीं करते अन्यथा उनकी नीति कुछ भिन्न होती।

परन्तु प्रश्न केवल चीन का ही नहीं है। वास्तव में यह प्रश्न समस्त एशियाई समस्याओं अथवा अफ़्रीकी समस्याओं पर दृष्टिकोण तथा उनके बड़ी शक्तियों द्वारा निर्णय किये जाने का है जिसमें एशियाई देशों से कोई परामर्श नहीं किया जाता। अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और एशियाई देशों से भी परामर्श किया जाने लगा है चाहे वह इस कारण ही हो कि उन्हें परिषद् भवन के एक कोने में बैठने की अनुमति दे दी गई है। परन्तु आधारभूत तथ्य, मूल धारणा, अभी भी यह है कि समस्त विश्व, एशिया और अफ़्रीका, का भार इन बड़े देशों के कन्धों पर ही और वे ही कर्णधार बने हुए हैं यद्यपि जागृत एशिया यह नहीं चाहता कि वे वह भार वहन करें।

इस तरह से कठिनाई यह है कि संसार में तो परिवर्तन होते जाते हैं परन्तु मनुष्य के मस्तिष्क में उसके अनुरूप परिवर्तन नहीं होता—वह पूर्ववत बना हुआ है। मैं किसी बाहर वाले को दोष नहीं देता हम सभी समान रूप से दोषी हैं। हम पुराने नारों को आज भी लगा रहे हैं जिनका कोई अर्थ अब नहीं रह गया है, फिर भी हम उन्हें दुहराये जा रहे हैं। विरोधीपक्ष के कुछ मित्र—श्री एच० एन० मुकर्जी—राष्ट्रमंडल और हमारी उसकी सदस्यता को नहीं भूल सकते। वह समझते हैं कि समस्त बुराई का जड़ यही है। मैं इस सम्बन्ध में अनेक बार निवेदन कर चुका हूं। मैं समझता हूं कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य अपने हित के लिये ही हैं। हम जिस नीति पर चल रहे हैं उसमें किसी प्रकार की बाधा उससे नहीं पड़ती वरन् कुछ सहायता ही मिल सकती है। हम राष्ट्रमंडल में इसलिये हैं कि हम अन्य देशों से हर प्रकार के सम्पर्क का स्वागत करते हैं यदि वह हमारी नीतियों में बाधक नहीं होता। एशिया तथा यूरोप के अन्य देशों से भी हमारा सम्पर्क है जो उतना ही निकट अथवा उससे भी अधिक है जैसा कि राष्ट्रमडलीय देशों से है। उदाहरणार्थ, बर्मा, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया आदि देशों से हमारे हर तरह से बहुत निकट सम्बन्ध है। याद रखिये चाहे किसी भी प्रकार की संधि हो उसमें कुछ प्रतिबन्ध अवश्य होता है। वह सहायक भले ही हो पर प्रतिबन्धित होती है। मैं राष्ट्रमंडल से इस प्रकार के सम्बन्ध का स्वागत करता हूं क्योंकि वह संधि नहीं है, क्योंकि उसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है और क्योंकि हम अपनी

इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का स्वतन्त्र सम्बन्ध संसार के समस्त देशों में स्थापित हो जाय। इस प्रकार का सम्बन्ध संधि-सम्बन्ध से बहुत अच्छा और सैनिक संधियों से कहीं अधिक अच्छा होता है जो कि आवश्यक रूप से कुछ देशों के प्रति विरोध के कारण होती है और उनसे मित्रता के मार्ग में अड़चनें पैदा होती हैं। इसलिये मैं लोक-सभा से निवेदन करूंगा कि इसका हमारे किसी देश के प्रति आसक्ति अथवा अनासक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। राष्ट्रमंडल में कुछ देश ऐसे हैं। जिनके साथ हमारे सम्बन्ध इस समय बहुत मित्रतापूर्ण नहीं हैं जैसे पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध चाहता हूं और भविष्य में कभी न कभी वैसा अवश्य हो जायेगा।

एक अन्य देश——दक्षिण-अफ़्रीका को ले लीजिये जिससे हमारा बहुत सम्बन्ध नहीं है। दक्षिण अफ़्रीका से हमारे सम्बन्ध प्रायः शून्य हैं। उससे हम पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारे राष्ट्र मंडल में रहने या न रहने पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता सिवाय इसके कि भावावेश में कोई ऐसी वैसी बात कर दी जाये। परन्तु किसी राष्ट्र के हित में यह अच्छी बात नहीं है कि वह भावावेश में कोई कार्य करें।

ऐसा सोचा जा सकता है कि दक्षिण अफ़्रीका के साथ कार्य करना, संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करना और उससे निकल जाना हमारे लिये कष्टकारी हो सकता है क्योंकि दक्षिण अफ़्रीका और पुर्तगाल भी उसमें हैं। वह कष्टदायक हो सकता है। दूसरी ओर, यह भी हो सकता है कि हमारी उसमें उपस्थिति का अन्य पक्ष स्वागत न करें और उन्हें अपनी नीति का अनुसरण करना कष्टदायक लगे। जैसा भी हो, मेरा निवेदन है कि किसी भी देश से किसी भी प्रकार का सम्पर्क अच्छी चीज़ है यदि वह किसी भी तरह से हमारी किसी भी दिशा में प्रगति में बाधक न हो।

मेरे विचार में हमारा राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध निश्चय ही कुछ व्यापक हितों में, जिन्हें हम हृदय से चाहते हैं और जिनमें शान्ति का ध्येय भी है, लाभप्रद है। कल छः महीने बाद या नौ महीने बाद, मैं कह नहीं सकता अब कुछ अन्य देश भी राष्ट्रमंडल में आ जायेंगे और फिर बाद में गोल्ड कोस्ट और नाइजेरिया जैसे कुछ अफ़्रीकी देश भी शायद राष्ट्रमंडल के सदस्य बन जायें। वह एक ऐतिहासिक महत्व का अवसर होगा जब गोल्ड कोस्ट जैसा एक अफ़्रीकी देश पूर्ण रूप से स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेगा और अन्य स्वतन्त्र तथा अपेक्षतया महत्वपूर्ण देशों में बराबर के देश के नाते कृत्य करेगा। हम इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहते हैं। हो सकता है कि हमारे वहां होने से अफ़्रीका में विभिन्न परिवर्तनों को बढ़ावा मिले। यह सच है और माननीय सदस्यों ने मुझे याद दिलाया है कि राष्ट्रमंडल में या अफ़्रीका में या अन्य किसी स्थान पर ऐसा क्यों हो रहा है। वे पूछते हैं "आप इस सम्बन्ध में क्या करेंगे"? हम अधिक कुछ नहीं कर सकते या सम्भवतः बहुत सी बातों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम जिन बातों को पसन्द नहीं करते हैं उन सभी बातों की निन्दा करते रहना किसी सरकार के लिये या व्यक्तिगत रूप में मेरे लिये उचित नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ तब तो मेरा सारा जीवन उन बातों की निन्दा करने म व्यतीत हो जायेगा जो मुझे पसन्द नहीं है। इसलिये ऐसी बहुत-सी बातें हैं जिन्हें कोई व्यक्ति कहना नहीं चाहता है या इस संसार में करना नहीं चाहता है। जब तक ऐसी बात कह नहीं सकते या कर नहीं सकते जो लाभप्रद हो तब तक उन बातों के साथ निबाह करना ही होता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी समय और आज के जमाने में विशेष रूप से हमारे लिये अपने मुख से या अन्य किसी रूप से किसी पर प्रहार करने की नीति अपनाना बुरा होगा। नये विचारों, नई सत्ताओं और इन सभी नई शक्तियों के काम करते हुए यह बहुत ही आवश्यक हो गया है कि मित्रता का क्षेत्र बढ़ाने के लिये और संघर्ष का क्षेत्र कम करने के लिये मित्रता के जितने भी सम्बन्ध स्थापित

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

किये जा सकें किये जायें। हमारी नीति इसी उद्देश्य पर आधारित है। हमारी अपनी जो समस्यायें हैं, यह स्वाभाविक ही है कि हमें उन्हें अपनी अधिकतम योग्यता के साथ निबटाना होगा यह भी ठीक है कि सिद्धांत के साथ व्यवहार को सदैव जोड़ना सम्भव नहीं होता है। कई बार सब से अच्छे ढंग के अनुसार इन बातों के अनुकूल स्वयं को बनाना पड़ता है परन्तु सिद्धांत, उद्देश्य और उपाय को सदैव मन में स्पष्ट रखना चाहिये और सिद्धांत को जन प्रयोजनों के लिये, लोगों को भ्रांत करने के लिये और विरोधी दिशा में जाने के लिये नहीं रखना चाहिये।

अब, हमारी तात्कालिक समस्यायें क्या हैं ? मैं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की बात कर रहा था और मैंने पश्चिमी एशिया, इसराइल, मिस्र और निःशस्त्रीकरण, बग़दाद सन्धि की चर्चा की थी। निःसन्देह दक्षिण पूर्वी एशिया संघ संगठन की समस्या भी है और चीन तथा इंडोचीन का प्रश्न भी है। संसार की सबसे अधिक महत्वपूर्ण समस्या संसार के अल्पविकसित भागों का आर्थिक विकास है। यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

बग़दाद सन्धि तथा सीटो के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं इनकी पहले भी चर्चा कर चुका हूं। यह बात स्पष्ट है कि मैंने लोक-सभा के समक्ष जो विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है यदि वह पूर्णतः ठीक है तो सैनिक सन्धियों द्वारा कोई भी कार्यवाही, बग़दाद संधि और 'सीटो' जैसी कोई भी कार्यवाही एक ग़लत कार्यवाही है, एक खतरनाक कार्यवाही है। हानिकारक कार्यवाही है। इससे ग़लत प्रकार की सभी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं और गतिशील होती हैं और ठीक प्रकार की प्रवृत्तियों को विकास करने से रोकती हैं। मेरे सिद्धांत गलत हो सकते हैं परन्तु यदि मेरे सिद्धांत ठीक हैं, तो इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि आप किसी देश की बेईमानी पर या नेकनियती की कमी पर संदेह करते हैं या नहीं करते हैं मेरे लिये यह बहुत कम महत्व की बात है। आप उसकी नीति को धोखे की नीति मान सकते हैं। आपको प्रत्येक बात पर विचार करना चाहिये। परन्तु यदि आप संसार की कुछ बातों का ध्यान रखते हुए उचित नीति अपनाते हैं तो किसी विशिष्ट देश का पूरी ईमानदारी के साथ कार्य न करने से बहुत अधिक अन्तर नहीं पड़ता है। आपको अपनी नीति में ईमानदार होना चाहिये और यदि आप ईमानदार हैं, आप स्पष्टवादी हैं तो आप ठोकर खा सकते हैं, गलती कर सकते हैं परन्तु मूल रूप से आप किसी गलती का शिकार नहीं बनेंगे। मेरे विचार में 'सीटो' और बग़दाद सन्धियां मूल रूप से गलत दिशा में कर्यवाहियां हैं और इनका हम पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और एक तरह से उनकी प्रवृत्ति दो या तीन दिशाओं से हमें घेरने की है। जैसा कि लोक-सभा को मालूम है, बगदाद सन्धि ने वस्तुतः पश्चिमी एशिया में पहले से इतना अधिक तनाव और संघर्ष पैदा कर दिया है जितना पहले कभी नहीं था। उसने निश्चित रूप से जो देश आपस में एक दूसरे के मित्र थे उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है। समझ में नहीं आता कोई यह कैसे कह सकता है कि इसने पश्चिमी एशिया में सुरक्षा और स्थायित्व स्थापित किया है।

बग़दाद और 'सीटो' के सम्बन्ध में माननीय सदस्य जानते ही हैं कि यह कहा जाता है कि ये उत्तरी या मध्य भाग की प्रतिरक्षा की कतारें हैं। और शायद इनका उद्देश्य यदि रूस संघ की ओर से कोई आक्रमण हो तो उससे रक्षा करना है। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि कौन देश आक्रमण करेगा और कौन नहीं। प्रत्येक बड़े और शक्तिशाली देश में प्रसार की और कुछ आक्रमण की प्रवृत्ति होती है। किसी 'दैत्य' के लिये यह बहुत ही कठिन होता है कि वह दैत्य के अनुरूप कार्य न करे। कोई भी यथासम्भव अपना बचाव कर सकता है, ऐसा वातावरण बना सकता है कि 'दैत्य' नरमी का व्यवहार करे या बिल्कुल ही आक्रमण न करे परन्तु यह तो 'दैत्य' के लिये एक

स्वाभाविक बात है कि यदि वह कोई चीज़ नापसन्द करता है तो वह उसे बदलने के लिये किसी तरह अपनी शक्ति का उपयोग करने का प्रयत्न करता है। लेकिन निश्चय ही यह कल्पना कोई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान सरकार इस सन्धि में इसलिये शामिल हुई कि उसे निकट या सुदूर भविष्य में सोवियत संघ के आक्रमण की आशंका थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यदि हम पाकिस्तान के समाचारपत्र पढ़ें और वहां के जिम्मेवार लोगों के वक्तव्य पढ़ें तो यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि उन्होंने ऐसा भारत के कारण किया—आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि या तो वे भारत के प्रति शंकाशील हैं अथवा इसलिये कि वे ताकत के जोर पर भारत से बात कर सकें, जो कुछ भी हो, पाकिस्तान, 'सीटो' और बग़दाद संधि में भारत से अपनी शत्रुता के कारण शामिल हुआ है। मुझे खेद है क्योंकि मैं उनके साथ शत्रुता की बात नहीं सोच सकता और अत्यधिक निराश हुए बिना पाकिस्तान के साथ युद्ध का विचार नहीं कर सकता। किन्तु वहां यह बात है। मेरा अभिप्राय है कि लोग इस प्रकार की सन्धियां करते हैं, देश सन्धियां करते हैं, बगदाद सन्धि और 'सीटो' और मैं संसार के विभिन्न भागों की दूसरी सन्धियों का भी उल्लेख कर सकता हूं जो विभिन्न हेतुओं से की गई हैं। मुझे पूर्ण विश्वास हैं कि बगदाद सन्धि के दूसरे सदस्यों का भारत से कोई वैर नहीं है। निस्सन्देह वे बगदाद सन्धि में इसलिये सम्मिलित नहीं हुए हैं, कि उन्हें भारत के विरुद्ध कुछ करना है, जैसा कि मुझे पूर्ण विश्वास है, कि पाकिस्तान इस सन्धि में केवल भारत के विरुद्ध लड़ने के उद्देश्य से सम्मलित हुआ है—भारत और संभवतः कुछ और देशों के विरुद्ध—अतः इसके यह विभिन्न हेतु हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के नेताओं ने मुझे जो आश्वासन दिया है, मैं उसे स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार हूं। मुझे विश्वास है वे हमारा बुरा नहीं करना चाहते। वे संभवतः इस बारे में भारत की कल्पना भी नहीं करते। उनका ध्यान दूसरी ओर है, उत्तरी, पश्चिमी और मध्य रक्षा सन्धियों की ओर। किन्तु परिणाम एक ही है कि गठबन्धन हो जाता है। देशों का एक दूसरे से गठबंधन हो जाता है और प्रत्येक देश विभिन्न दिशाओं में खींचता है, और इस संकट में देश ऐसी ओर खींचे जाते हैं, जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।

दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के समस्त प्रदेश में इन सन्धियों और सैनिक गठबन्धनों के क्रम को लीजिये। मैं कहूंगा कि ये सन्धियां और समझौते इन बड़े, अन्तर्राष्ट्रीय न्यासों और गठबन्धनों की तरह ही खराब हैं। हमें पक्का पता नहीं होता कि कौन कहां खींच रहा है। घटनायें होती हैं, किन्तु मालूम नहीं होता कि उनके लिये कौन उत्तरदायी है। किसी सन्धि के आवश्यक भय के अतिरिक्त, इसका यह भय होता है कि इन सन्धियों का कोई भी सदस्य ऐसी बात आरम्भ कर सकता है, जो उसके बाद, न केवल उस सन्धि के सदस्यों को खींच लेती है, किन्तु किसी दूसरी अन्तर-सम्बन्धित सन्धि के देशों को भी खींच लेती है, जिसके वे सांझे सदस्य होते हैं, और यह विप्लव का कारण बन जाता है। अतः स्वभावतः व्यापक कारणों और स्वहित के छोटे कारणों से, हम इन्हें अपवाद समझते हैं और बग़दाद तथा सीटो समझौतों को अपवाद मानते हैं। मैं दोहराना चाहता हूं कि हम यह समझते हैं कि ये सन्धियां संसार को ग़लत दिशा की ओर ले जा रही हैं। वे यह स्वीकार नहीं करते कि नवीन तत्व भी काम कर रहे हैं। इन नवीन तत्वों का लाभ उठाने के बजाय, जो निःशस्त्रीयकरण की ओर और तनाव कम करने तथा शान्ति की ओर तो जा रहे हैं, वे जानबूझ कर उनको रोकते हैं और दूसरे तत्वों को प्रोत्साहन देते हैं, जो घृणा, भय और सन्देह उत्पन्न करते हैं तथा निःशस्त्रीयकरण के लिये बाधक सिद्ध होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई व्यक्ति सैनिक सन्धियों और समझौतों को कैसे निःशस्त्रीयकरण के दृष्टिकोण के बराबर समझता है।

दो प्रकार की सन्धियां और समझौते होते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करूंगा, किन्तु मैं इस प्रकार के समझौते या सन्धि को समझ सकता हूं जो दो ऐसे देशों

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

के बीच हो, जो एक दूसरे के विरोधी रहे हों या हैं। सामान्यतया इस प्रकार के समझौता का प्रायः उल्लेख किया जाता है, अर्थात् लोकारनो समझौता, क्योंकि १९२० की दशाब्दि के अन्तिम वर्षों में, लोकारनों में, सफल मित्र राष्ट्रों अर्थात् इंगलिस्तान, फ्रांस, अमरीका आदि ने प्रथम विश्वयुद्ध के अपने पुराने शत्रु जर्मनी के साथ समझौता किया। उसमें कुछ सार था, क्योंकि उसका उद्देश्य विरोधी देशों को मिलाना था, इसलिये इससे तनाव कम हुआ। उस समय मैं जेनेवा में था—मैं समझता हूं यह १९२६ की बात है—जब जर्मनी का पहली बार राष्ट्रसंघ में स्वागत किया गया था। निस्सन्देह भविश्य, और दूसरे विश्व युद्ध आदि के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तथापि लोकरानो सन्धि हुई और जर्मनी उसमें सम्मिलित हुआ। उस समय राष्ट्र संघ हाल में जर्मन प्रतिनिधियों और फ्रांसीसी प्रतिनिधियों के बीच बड़ा स्नेह था।

इस प्रकार के समझौते का कुछ उद्देश्य होता था। यह आप को कुछ लाभ पहुंचाता है और एक आश्वासन देता है। यह प्रत्येक देश को एक आश्वासन देता है कि यदि उस वर्ग का कोई सदस्य विधि या सन्धि को तोड़ता है, तो दूसरे देश उसका विरोध करेंगे। यह प्रत्येक सदस्य को समान आश्वासन है। किन्तु दूसरे प्रकार के समझौतों में अर्थात् यदि एक ओर के प्रतिनिधि मित्र राष्ट्रों का वर्ग दूसरे के विरुद्ध अपने आप को बांधता है, तो प्रत्यक्ष रूप में इसका पहला प्रभाव यह होगा कि उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जिसके परिणाम स्वरूप मित्र राष्ट्रों का दूसरा वर्ग अपना दूसरे विरोधी वर्ग बना लेगा। इसमें हमें शान्ति या सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं मिलती। मैं यह नहीं कहता कि आया यह उचित नहीं है, हो सकता है आत्म रक्षा के लिये किसी मामले में यह उचित हो, किन्तु साधारणतया, मुझे प्रतीत होता है कि यह हमें सुरक्षा आदि की उस भावना के निर्माण से दूर ले जायगा।

एक बड़ी बात यह है जिसका मैं उल्लेख करूंगा, अर्थात् संसार के अविकसित भागों के आर्थिक विकास का यह प्रश्न, जिसका राजनीतिक स्थिति से घनिष्ठ सम्बन्ध है, और सहायता देने या न देने के प्रश्न से घनिष्ठ सम्बन्ध है, प्रयोग किये गये राजनीतिक दबाव, या प्रयुक्त किये गये सैनिक दबाव से घनिष्ठ सम्बन्ध है, और जिस पर न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी प्रायः विचार किया जा चुका है।

यह बात स्पष्ट है कि यदि अत्यन्त धनी और निर्धन देशों में यह असंतुलन जारी रहा, तो दुःख और कष्ट का साधन बनने के अतिरिक्त, यह लगातार क्लेश और कलह का कारण बना रहेगा, और इससे झगड़े उत्पन्न होंगे, अतः धनी देशों की दृष्टि से इसका इलाज करना होगा। धनी देशों के लिये, उनके अपने दृष्टिकोण से और किसी दूसरे के दृष्टिकोण से, उन देशों को विकास के लिये सहायता देने, और इस असंतुलन को हटाने के लिये कोई बुरी बात नहीं है। किन्तु ऐसा करने के ढंग में बुराई का कुछ तत्व आ सकता है, और इसके परिणाम बुरे निकलते हैं।

इसके बारे में मैं एक प्रस्थापना का उल्लेख करूंगा, जिसके साथ भारत का कुछ समय से सम्बन्ध है, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने है, इस पर अभी विचार हो रहा है। मैं समझता हूं लगभग छः सप्ताह के अन्दर इस पर अग्रेतर विचार करने के लिये न्यूयार्क में बैठक होगी। इसे सनफेड कहा जाता है, जिसका अर्थ है आर्थिक विकास के लिये राष्ट्र की विशेष संघ निधि। इसमें 'विशेष' शब्द रखा गया था, यदि 'एस' शब्द इसमें न होता, तो यह 'अनफैड' बहुत बुरा होता। इसलिये इसे हटाने के लिये 'एस' वर्ण इसमें रखा गया है।

पिछले तीन या चार वर्षों में राष्ट्रसंघ में हमारे प्रतिनिधि हम से अनुरोध कर रहे हैं, जिसका यह अभिप्राय है कि अधिक अविकसित देशों को जो सहयता मिले वह अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा मिलनी चाहिये, और पारस्परिक व्यवस्था के द्वारा नहीं, जिसके राजनीतिक परिणाम हों। हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। बड़ी शक्तियां, चाहे वे कोई भी हों, इस बात को पसन्द नहीं करतीं। वे

निर्धन और आवश्यकता वाले देशों को सहायता देना पसन्द करते हैं, और अच्छा काम करने का केवल मानसिक संतोष ही प्राप्त नहीं करते, बल्कि यह भी संतोष चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति या देश यह जाने कि उसने उसके प्रति अच्छाई की है और हो सकता है उसके बदले में कुछ लें।

अब हम एक अवस्था में आ गये हैं, अब भी, यह निर्णय नहीं किया गया है, किन्तु हम एक ऐसी स्थिति में हैं, जहां, विभिन्न देशों से इस प्रस्थापना के बारे में उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई है। और लगभग छः सप्ताह के अन्दर इन प्रतिवेदनों पर न्यूयार्क में विचार किया जायेगा।

मैं इसलिये इसका उल्लेख करता हूं, क्योंकि मैं सनफैड की इस प्रस्थापना को बड़ा महत्व देता हूं क्योंकि मुझे आशा है कि इससे धीरे-धीरे और पूर्णरूप में, सहायता देने और लेने वाले देशों के बीच एक भिन्न प्रकार का सम्बन्ध स्थापित होगा, जो दोनों के लिये लाभदायक होगा, सहायता लेने वाले के लिये निश्चित रूप में, किन्तु सहायता देने वाले को भी, क्योंकि उस अवस्था में यह अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा दी गई है, व्यक्तिगत रूप से नहीं, और यह एक देश द्वारा दूसरे देश को दी गई बख्शीश नहीं है और इसके साथ कोई राजनीतिक हेतु सम्बद्ध नहीं है।

अपनी बड़ी समस्याओं के बारे में, मैं अब विश्व की समस्याओं का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, निस्सन्देह पाकिस्तान—काश्मीर की, और पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं के अत्यधिक सामूहिक निष्क्रमण आदि की समस्यायें हैं। नहरी पानी और निश्क्रांत व्यक्तियों की भी दो बड़ी समस्यायें हैं। सीमा सम्बन्धी झगड़ों की एक और समस्या है। इसके अतिरिक्त और भी समस्यायें हैं। दक्षिण अफ्रीका की समस्या वहां के भारतीय उद्भव के लोगों की समस्या है। गोआ और श्रीलंका की भी समस्या है। मैं उनके रूप विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करूंगा। सदस्य उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं।

पाकिस्तान के साथ हमारे जो झगड़े हैं उनके बारे में मैं कुछ कहूंगा।

हिन्द-चीन की समस्याओं से भी हमारा सम्बन्ध है क्योंकि वहां के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के हम सह-सभापति हैं, विशेष रूप से दक्षिण वियतनाम में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं, क्योंकि वहां की वर्तमान सरकार जेनेवा करार से उत्पन्न होने वाले उत्तरदायित्वों को इस आधार पर मानने से अस्वीकार करती है कि उन्होंने करार पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। माना, कि उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किये, परन्तु वह सरकार फ्रांसीसी सरकार के बाद आई है, जिसने उस पर हस्ताक्षर किये हैं। उस करार से जो लाभ हुए हैं उन सबको उन्होंने स्वीकार किया है तथा स्वीकार कर रहे हैं। परन्तु, उन्होंने कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया। इससे हमें बड़ी कठिनाई हो गई है क्योंकि हम जेनेवा करार के कारण ही हिन्द-चीन अथवा वियतनाम में हैं। यदि जेनेवा करार को स्वीकार नहीं किया जाता, तो हमारा वहां रहना बेकार है और हमें वापिस आ जाना चाहिये। वापिस आना सहज है परन्तु यदि अन्तर्राष्ट्रीय आयोग समाप्त हो जायेगा तो इससे कठिनाइयां उत्पन्न होने की सम्भावना है। वहां फिर से युद्ध छिड़ जायगा। हम नहीं चाहते और न ही और कोई चाहता है कि हम वापिस आ जायें। दक्षिण वियतनाम की सरकार भी चाहती है कि हम वहां रहें। परन्तु उन्होंने अपने उत्तरदायत्वों को नहीं माना इसलिये वहां रहना हमारे लिये कठिन हो गया है। इस विषय में मैंने विस्तारपूर्वक बातें कीं क्योंकि यहां पर तीन प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ अर्थात् श्री सिलवन लायड, श्री डलेस और श्री पिनू आये थे। मैं नहीं जानता कि क्या परिणाम निकलेगा। परन्तु हाल ही में, कुछ आशा प्रतीत होती है कि दक्षिण वियतनाम सरकार जेनेवा करार से उत्पन्न होने वाले उत्तरदायित्वों को स्वीकार कर लेगी और इस प्रकार हमारा वहां काम करना सहज हो जायेगा। हाल ही में, एक और कठिनाई उत्पन्न हो गई है जिससे हमारा सीधा सम्बन्ध नहीं है। कम्बोडिया व्यवहारिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय आयोग से निकल गया है और कुछ बल के साथ कह रहा है कि वह किसी गुट में सम्मिलित नहीं होगा और वह सब देशों से मित्रता बनाये रखना चाहता है। शायद, इसके कारण उसके

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कुछ पड़ौसियों, अर्थात् दक्षिण वियतनाम और थाईलैंड से, सम्बन्ध बिगड़ गये हैं। कारण कुछ भी हो, पर वहां पर सीमा बन्दी हो गई है और एक प्रकार की आर्थिक नाकेबन्दी हो गई है।

अब मैं पाकिस्तान सम्बन्धी समस्यायें लूंगा। सब कोई जानते हैं कि वहां से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इस समय उसके बारे में सभा के समक्ष क्या कहूं। मेरे सहयोगी विधि और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने, तथा पुनर्वास मंत्री ने सारी बातें विस्तार के साथ कह दीं हैं। स्पष्ट है कि लोगों का इतनी बड़ी संख्या में यहां आना बहुत बड़ी बात है। इसका हम पर बहुत बोझ पड़ेगा। परन्तु मैं समझता हूं कि इससे पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। उस देश को अन्त में क्या लाभ होगा? पूर्वी बंगाल से पहले जो लोग आये थे उससे पूर्वी पाकिस्तान को बड़ी हानि हुई थी। वहां उत्पादित वस्तुओं का गुण प्रकार घट गया है। प्रशिक्षत और कुशल व्यतियों के चले जाने से ऐसा होना स्वाभाविक है। संख्या का महत्व नहीं है, गुण प्रकार का महत्व होता है। पूर्वी पाकिस्तान से बहुत से योग्य व्यक्ति चले आये हैं।

यदि आप इतिहास की ओर देखें तो मालूम होगा कि इंग्लैंड के औद्योगीकरण का एक कारण यह भी था कि फ्रांस और यूरोप के उस भाग से बहुत से कुशल जुलाहे इंग्लैंड चले आये थे और इन्हीं के द्वारा धीरे-धीरे औद्योगीकरण हुआ और आविष्कार हुए। अतः यह समझना पाकिस्तान के लिये बड़ी अदूरदर्शिता होगी कि मकानों और सम्पत्तियों पर कब्जा कर, उनकी नौकरियों छुड़ा, लोगों को देश से बाहर निकालना उसके लिये कल्याणकारी होगा, जिन्होंने देश के आर्थिक जीवन में महत्व-पूर्ण कार्य किया है। मैं इसके राजनीतिक पहलुओं की बात नहीं कहता।

श्री गाडगील ने सुझाव दिया था कि हमें उनसे भूमि मांगनी चाहिये। आप मांग सकते हैं, परन्तु ऐसी वस्तुओं के मांगने का क्या लाभ, जो नहीं मिलेगी और जिन्हें प्राप्त करने के लिये और कोई उपाय नहीं है। कोई देश अपनी भूमि नहीं देता। वह क्यों देगा? यदि वह भूमि देने को तैयार हो, तो वह उसी पर उन लोगों को बसा सकता है। प्रश्न दूसरा है और इसका हल दूसरे तरीके से करना होगा।

इसमें सन्देह नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि पाकिस्तान के नेता इन सब घटनाओं की महत्ता का अनुभव करने लग गये हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान सरकार अथवा पूर्वी बंगाल की वर्तमान सरकार इसे प्रोत्साहित करना चाहती है। बहुत से छोटे पदाधिकारियों ने सम्भवतः इसे प्रोत्साहन दिया है। इसके अतिरिक्त आर्थिक दशाओं आदि के कारण भी ऐसा हुआ है। मैंने सभा का बहुत समय ले लिया है। परन्तु मैं काश्मीर के बारे में कुछ विस्तार के साथ कहना चाहता हूं। काश्मीर के बारे में पहले इतना अधिक कहा जा चुका है, इतने पत्र लिखे जा चुके हैं और इतने प्रतिवेदन दिये जा चुके हैं कि हमारे पास इन पत्रों के छपे हुए दस मोटे-मोटे ग्रन्थ हो गये हैं। इन सब की जानकारी रखना असम्भव है। अतः लोग कुछ मूल तत्व भूल जाते हैं। प्रमुख विदेशी पर्यवेक्षक और विदेशी समाचारपत्र जो अज्ञान प्रदर्शित करते हैं, उसे देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे मालूम नहीं कि यह अज्ञान जानबूझ कर प्रदर्शित करते हैं या अन्य किसी कारण।

अतः मैं कुछ प्रमुख तथ्यों की पुनरावृत्ति कर सभा को उनकी याद ताज़ी कराना चाहता हूं। यदि मैं प्रत्येक चीज़ का उल्लेख न करूं तो सभा मुझे उसके लिये क्षमा करे क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि लोग बाद में यह कहकर मेरी आलोचना करें कि 'मैंने इस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया'। यह एक बड़ी लम्बी-चौड़ी कहानी है। किन्तु बुनियादी तौर से इसकी शुरूआत १९४७ के उत्तरार्द्ध से होती है जबकि पाकिस्तान से होकर और पाकिस्तान के द्वारा जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर आक्रमण किया गया था। पाकिस्तान द्वारा इस आक्रमण के बारे में अब कोई सन्देह नहीं किया जा सकता।

बहुत सी बातों पर तर्क किया जा सकता है; हम एक बात कहेंगे और पाकिस्तान दूसरी। किन्तु कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन पर कोई बहस नहीं की जा सकती। वे निश्चित तथ्य हैं। कुछ व्यक्ति हर बात पर बहस कर सकते हैं किन्तु विशद रूप से उन्हें निश्चित तथ्य समझा जाना चाहिये।

पहला निश्चित तथ्य यह है कि अक्तूबर १९४७ में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गये, तमाम बर्बादी और लूट-पाट हुई। सारे काश्मीर के मामले के बारे में यह प्रारम्भिक तथ्य है जिसे हमें याद रखना चाहिये क्योंकि बाद में जितनी भी चीजें हुई उनकी जड़ यही थी और जो निर्णय किया जायेगा तथा काश्मीर की समस्या पर जो भी विचार किया जायेगा उसे करते समय हमें इस बुनियादी बात को ध्यान में रखना होगा।

काश्मीर के बारे में भारत की स्थिति को बिल्कुल अलग रखते हुए एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट ही है कि पाकिस्तान के लिये इस प्रकार का आक्रमण करना कोई भी औचित्य नहीं रखता।

दूसरी याद रखने वाली बात यह है कि विधिक और संवैधानिक रूप से पाकिस्तान भारत में मिला था। इसमें कोई सन्देह नहीं है। मुझे खेद है कि मेरा तात्पर्य काश्मीर से है। जिस गति से अथवा जिस प्रकार यह किया गया उसकी आलोचना कर सकते हैं किन्तु चूंकि विधिक और संवैधानिक रूप से जम्मू और काश्मीर राज्य भारत में मिला हुआ था। इस कारण काश्मीर की आक्रमण से रक्षा कर और आक्रमणकारियों को खदेड़ भगाना भारत संघ का कर्तव्य हो जाता है। यदि काश्मीर भारत में न भी मिला होता तो भी उसकी प्रतिरक्षा करना हमारा कर्तव्य होता। इस बात को कहने में मैं संवैधानिक तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं। ऐसा इसलिये कि भारत का अस्तित्व बराबर चला आ रहा है। भारत पहले भी था और आज भी है यद्यपि उसका कुछ भाग उससे अलग हो गया, जिसे पाकिस्तान कहते हैं। हमने इसके लिये पाकिस्तान जाने की छूट दे दी थी। जो लोग वहां नहीं जाना चाहते थे वे कुछ निर्णय हो जाने तक भारत में रहे। अतः जब तक पाकिस्तान अलग नहीं बन गया तब तक भारत के प्रत्येक भाग का उत्तरदायित्व भारत पर ही रहा। काश्मीर के भारत में मिलने के बारे में कोई अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ था किन्तु वह पाकिस्तान में भी नहीं था, इस कारण आक्रमण से उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य हो गया था। फिर भी यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि वह भारत में मिल गया है।

याद रहे कि यह सब हमारे स्वतन्त्रता प्राप्त करने के ३–४ महीनों बाद ही हुआ था। हम सैनिक कार्यवाही नहीं चाहते थे। कुछ फौजी दस्ते काश्मीर भेजने पड़े और मुझे स्मरण है कि इस प्रश्न से हम कितने अधिक चिंतित और व्यग्र थे। दो दिनों तक हम इस समस्या पर विचार करते रहे। इस समाचार मिलने के तीसरे दिन हमने प्रतिरक्षा समिति की बैठक की जिसमें घंटों तक इस पर विचार किया। हम बड़े धर्म संकट में फंसे थे। क्योंकि हम आसानी से काश्मीर की कोई सहायता नहीं कर सके थे। उस समय हमारे पास ठीक से विमान बल अथवा हवाई बेड़ा आदि नहीं था। तत्पश्चात् हमने डेढ़ दिन तक प्रतीक्षा की और जब विनाश और लूट-पाट का समाचार सुना तो हमारी प्रतिरक्षा समिति ने ६ बजे शाम को बड़ी कठिनाई से निर्णय किया कि हमें हस्तक्षेप करना होगा। यद्यपि यह कार्य बड़ा कठिन और खतरे से पूर्ण है। सारी रात कुछ फौजें भिजवाने की तैयारी की गई। कुल दो या तीन सौ आदमी भेजे गये थे। हमारे पास कोई भी हवाई बेड़ा नहीं था। सारे ग़ैर-सरकारी विमान मार्गों को रोक कर और उनका छः बजे प्रायः उनका उपयोग कर हमने लगभग २५० आदमियों को भेजा था।

यद्यपि हम यह जानते थे कि पाकिस्तान उन व्यक्तियों की सहायता कर रहा है फिर भी हमें यह पता नहीं था कि पाकिस्तान की सेना से हमारा आमना-सामना हो जायेगा। हम तो समझते थे कि हमें

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कबाइलियों से लड़ना पड़ेगा और उसके लिये २००–३०० आदमी काफी होंगे। शाम को ६ बजे यह निर्णय किया गया था और प्रातः ५ बजे इन लोगों को भेज दिया गया था। संगठित देश के लिये यह संख्या कुछ भी नहीं है किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्त किये हुए हमें कुछ ही समय हुआ था इस कारण अस्थिरता थी और इतना ही कठिन काम था। ये लोग ऐन मौके पर पहुंचे थे। यदि इन्हें पहुंचने में १२ घंटे की भी देर हो जाती तो भी यह बहुत देर हो जाती। श्रीनगर शहर की यही दशा थी।

इसके बाद और चीजें हुईं और इन लोगों तथा कुछ और सेनाओं ने जो वहां पर गईं आक्रमणकारियों को यूरी नामक स्थान तक खदेड़ भगाया। वहां उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी सेनायें काश्मीर में अपने पैर जमाये हुए हैं। हमारी छोटी सी सेना के लिये इतनी बड़ी सेना का भगाना कठिन था। उसके बाद से भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं में मुठभेड़ें होती रहीं और ये कबाइली भाग गये।

हमने जब यह देखा, तो हमने इस पर काफी विचार किया। जैसा कि आप लोगों और सभा को विदित है, अन्ततोगत्वा हमने इसका उल्लेख सुरक्षा परिषद् को किया। ऐसा करने के लिये बहुत से लोगों ने हमारी आलोचना की है। घटना के पश्चात् हमें अक्ल आ जानी चाहिये। मेरे विचार से ऐसी ही कार्यवाही करना उचित था और मेरे मन में यह शंका नहीं है कि यह मामला सुरक्षा परिषद् में जाता ही, चाहे हम ले जाते अथवा और कोई।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : क्या महात्मा गांधी ने इसके विरुद्ध राय दी थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य ने महात्मा गांधी का उल्लेख किया है। चूंकि माननीय सदस्य ने उनका नाम लिया है अतः मैं इस बारे में उनके विषय में कुछ कहना चाहूंगा।

काश्मीर में जब पहली बार यह हमला किया गया, जिसमें हमने अपने सिपाही भेजे थे, इससे मुझे बड़ी चिन्ता हुई। जिस वातावरण में हमारा पालन-पोषण हुआ है उससे हम सब युद्ध के विरोध में रहे हैं और इस प्रकार इधर-उधर युद्ध रोकने के लिये कूद पड़ने के कारण मेरे मन में चिन्ता उत्पन्न हो गई। स्वाभाविक था कि मैं महात्मा गांधी के पास जाऊं और गया भी। मैं उन्हें इस मामले में घसीटना नहीं चाहता किन्तु जब तक वह जीवित थे, इससे सिवा और मैं कर ही क्या सकता था। उनकी सम्मति यह थी कि ऐसी परिस्थिति में भारत का यह कर्तव्य है कि वह अस्त्र शस्त्रों और सशस्त्र सेनाओं से सुसज्जित होकर काश्मीर की रक्षा करे।

†**श्री कामत** : मेरा प्रश्न तो संयुक्त राष्ट्र को उल्लेख करने के बारे में था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : तत्पश्चात् जब हमने संयुक्त राष्ट्र में जाने के प्रश्न पर विचार कर लिया था या उस पर विचार कर रहे थे मुझे स्मरण है कि मैं उनके पास संयुक्त राष्ट्र के लिये तैयार किये प्रारूप को लेकर गया था उन्हें दिखाने के लिये और उसमें प्रयुक्त शब्दावली के बारे में राय लेने के लिये तो उन्होंने उसमें कुछ अपने सुझाव दिये जिन्हें हमने उसमें रखने का प्रयत्न किया।

इस मामले में गांधी जी की राय की आड लेना मेरे लिये उचित नहीं है और मैं नहीं चाहता कि सभा यह समझे कि मैं ऐसा कर रहा हूं। किन्तु चूंकि विरोधी दल के माननीय सदस्य ने अचानक उनका उल्लेख कर दिया। अतः मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यह निर्णय उन्होंने नहीं वरन् हमने ही किया था किन्तु इस मामले में मैंने बराबर उनसे सम्पर्क रखा और उनकी राय लेता रहा। उस परिस्थिति में हमने उनकी राय के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन किया। जब यह मामला सुरक्षा परिषद् में पहुंचा उन्होंने लम्बे-ज्ञापन रखे और बाद में बड़े लम्बे चौड़े भाषणों द्वारा उनका समर्थन किया गया। इन ज्ञापनों में बड़े जोरदार शब्दों में यह कहा गया था कि पाकिस्तान ने न

†मूल अंग्रेजी में

तो कोई आक्रमण ही किया है और न उसने किसी को आक्रमण करने के लिये सहायता की है अथवा दुरुत्साहित ही किया है। हमने जो कुछ कहा था उसे बिल्कुल इन्कार कर दिया गया। यह करने के पश्चात् उन्होंने और-और झगड़े ला घुसेड़े--वे काश्मीर में नहीं वरन् दिल्ली, पंजाब एवं अन्य सब जगहों की मानवहत्या तथा जूनागढ़ और काठियावाड़ की कुछ अन्य रियासतों के बारे में बातें करने लगे।

वास्तव में ज्ञापन में अधिकांश बातें काश्मीर के मसले पर नहीं थीं, अन्य विषयों के बारे में थीं। उन्होंने सुरक्षा परिषद् से कहा है कि वह मानवहत्या आदि सब बातों पर काश्मीर की समस्या के साथ विचार करे। मैं यह सब इसलिये दुहरा रहा हूं कि पाकिस्तान का रवैया कैसा रहा। पहले तो उन्होंने सब कुछ अस्वीकार कर दिया और थोड़ी ही देर बाद उन सब बातों को स्वीकार किया तथा सुरक्षा परिषद् का ध्यान ऐसे विषयों पर दिलाने लगे जो उस सम्बन्ध में उत्पन्न नहीं होते। सुरक्षा परिषद् में पाकिस्तानी प्रतिनिधि द्वारा कही गई झूठ बातों को सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने उनके सामने तथ्य रखे और चित्र आदि दिखाये। सभा को मैं बतला दूं कि पिछले साल उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत, पाकिस्तान के प्रमुख व्यक्तियों ने वक्तव्य दिये कि उन्होंने किस प्रकार से पाकिस्तान से हमलों का संगठन किया। उन्होंने केवल ब्यौरे ही नहीं दिये अपितु संगठन में व्यय की गई राशि वापस लेने के लिये एक दल ने दूसरे दल से कहा। हाल ही में एक प्रमुख पदाधिकारी ने एक वक्तव्य दिया जिसमें यह बात स्वीकार की गई। मैं यह सब केवल इसलिये बता रहा हूं कि पाकिस्तान का मामला सुरक्षा परिषद् में कैसी बातों पर आधारित था। वह सब झूठ था। और उन्हें बाद में यह सब स्वीकार करना पड़ा। जब संयुक्त राष्ट्र आयोग वहां आया तो पाकिस्तान के लिये यह कहना ठीक हो गया कि उनकी फौजें वहां गई थीं। तब उन्होंने स्वीकार किया कि इनकी फौजें वहां थीं। यह चीज उन्होंने पहले स्वीकार नहीं की थी। यह बात वे संयुक्त राष्ट्र में वाद-विवाद के समय जो कुछ ही समय पहले वहां हो रहा था, कह सकते थे परन्तु उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने तो दबाव में आकर ही स्वीकार किया जब कि सारी बातों का पता लगने वाला था। संयुक्त राष्ट्र संकल्प में १३ अगस्त, १९४८ को यह कहा गया था :

> "आयोग मानता है कि जम्मू और काश्मीर राज्य के क्षेत्र में फौजों की उपस्थिति से स्थिति में विशिष्ट परिवर्तन हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा परिषद् में कहा था कि पाकिस्तान सरकार उस राज्य से अपनी फौजें हटाने के लिये सहमत है।"

यह आयोग की सिफारिश थी। उसकी भाषा कोमल है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उन्होंने सुरक्षा परिषद् में झूठी बात कही और उन्होंने राज्य में सैनिक पाये। इसलिये जैसी स्थिति बताई गई थी उससे स्थिति में भिन्नता है। आयोग के लोगों ने निजी तौर से मुझ से कहा कि सारी झूठ बातें कही गई हैं और उन्होंने (पाकिस्तान ने) आक्रमण किया था परन्तु उन्होंने यह भी कहा कि हम यहां मामले को शांति से सुलझाने के लिये आये हैं और यदि हम खुले तौर पर प्रत्येक की भर्त्सना करेंगे तो मामले को सुलझाना कठिन हो जायेगा। इसलिये आक्रमण के बारे में उन्होंने अपना निर्णय स्पष्ट रूप से नहीं किया। यद्यपि उन्होंने यह स्वीकार किया था और परोक्ष रूप में हमसे कहा था।

हमें अब यह स्मरण रखना चाहिये कि इस आक्रमण को स्वीकार करने के कारण उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि वे उस राज्य के क्षेत्र से, जो उनके कब्जे में है, अपनी फौजें हटा लें। वे चाहते थे कि यह बात पहले की जाये। जनमत संग्रह और भारत द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों के बारे में बहुत चर्चा हुई परन्तु इस समस्त कालावधि में संयुक्त राष्ट्र ने पहली मांग यह की कि पाकिस्तान अपनी फौजें उस क्षेत्र में से हटा ले। अन्य बातें बाद में आईं। बाद में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हमसे कहा गया कि हम अपनी अधिकांश सेनायें, पाकिस्तान द्वारा उस क्षेत्र से सेना हटा लेने के बाद, हटा लें। हमसे कहा गया कि तनाव कम करने के लिये अपनी अधिकांश सेना हटा लें पर उस राज्य की सुरक्षा के लिये अपनी सेना वहां रखें। वहां हमारी सेनायें रखने का अधिकार मान लिया गया था परन्तु यह कहा गया था कि चूंकि पाकिस्तान जम्मू और काश्मीर राज्य से अपनी सारी सेनायें हटा रहा है, इसलिये भारत को भी अपनी सेनायें वहां कम कर देनी चाहियें जिससे अच्छा वातावरण उत्पन्न हो सके। हम से मानते हैं परन्तु सभा को स्मरण रखना चाहिये कि पाकिस्तान राज्य के उस क्षेत्र से अपनी फौजें हटाये जिस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। आज साढ़े आठ साल के बाद वे फौजें वहीं की वहीं हैं। जनमत संग्रह और अन्य बातों की चर्चा व्यर्थ है ; ये प्रश्न तो तभी उठ सकते हैं जब पाकिस्तान अपनी फौजों को वहां से हटा ले जब तक पाकिस्तान जम्मू राज्य में उस भाग से जिस पर उसने आक्रमण किया है, अपनी फौजें नहीं हटाता जब तक वह कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं कर सकता। यह मुख्य बात है। पिछले कुछ सालों से संयुक्त राष्ट्र संकल्प में दी हुई बातों पर बहुत चर्चा हुई है। मैं उनका विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा। मैं एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख कर चुका हूं। जनमत संग्रह करने से पूर्व बहुत सी शर्तें थीं। बहुत से प्रयत्न किये गये। किन्तु उनका कोई परिणाम नहीं निकला। दोष किसका था इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। दरअसल बात यह है कि उनका कोई परिणाम नहीं निकला। बात यह है कि भारत सरकार और जम्मू तथा काश्मीर राज्य सरकार काश्मीर के बारे में अनिश्चित स्थिति में लगातार नहीं रह सकती थी क्योंकि कुछ तो करना ही था। कई वर्ष निकल गये और तब संविधान सभा का निर्वाचन करने तथा उसकी आयोजना करने के लिये भारत सरकार की सहमति से जम्मू और काश्मीर सरकार ने कुछ कार्यवाही की। उस समय भी हमने बताया था कि संविधान सभा वास्तव में किसी भी संविधान के बारे में, जिसे कि वह चाहे निर्णय करने के लिये स्वतन्त्र है किन्तु हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि अन्तर्राष्ट्रीय बचनों के लिये हम बद्ध रहेंगे।

कई वर्ष निकल गये और जब एक ओर पाकिस्तान राज्य के उस भाग पर अधिकार जमाये बैठा है, जिस पर कि उसने आक्रमण किया था, दूसरी ओर संविधान सभा ने राज्य के लिये एक संविधान बनाया और भूमि सुधार के बहुत ही महत्वपूर्ण उपबन्ध बनाये, बड़े-बड़े विकास कार्य किये गये और उस भाग को छोड़ कर जिस पर कि पाकिस्तान ने बलपूर्वक अधिकार कर लिया था, राज्य के व्यक्तियों ने उन्नति की। जम्मू और काश्मीर ने अपनी सरकार के अधीन इतनी उन्नति की जितनी कि उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। इस बात का प्रमाण यही है कि पिछले वर्ष बहुत से यात्री काश्मीर गये। लगभग ५० हजार लोग वहां गये इतने व्यक्ति वहां पर कभी भी नहीं गये। लड़ाई के जमाने में भी नहीं गये। आठ अथवा नौ साल में बहुत से प्रमुख परिवर्तन हुए और काश्मीर के लोगों ने उन्नति की। दूसरे हिस्से में क्या हुआ और वहां परिवर्तन क्या हुए उसके बारे में मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल अर्थात् वहां के प्रेसीडेंस ने बार बार कहा है कि वर्तमान शासन में जम्मू और काश्मीर आदि के लोग गुलामी का जीवन बिता रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि वे इतनी गैर-जिम्मेदारी की बातें क्यों करते हैं। जम्मू और काश्मीर की बातें छिपी नहीं हैं। वहां ५० हजार यात्री गये थे और यह स्पष्ट है कि उस राज्य ने इतनी उन्नति कभी नहीं की थी।

युद्धविराम रेखा के उस पार के लोगों की हालत क्या है इसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता। किन्तु मैंने यह देखा है कि वहां से लोग इस ओर आना चाहते हैं ताकि वे राज्य की उन्नति का लाभ उठा सकें।

जब हम पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से विभिन्न तरीके के बारे में चर्चा कर रहे थे इतने में एक नई बात हुई। अमरीका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का वचन दिया और यह वचन बाद को पूरा किया इससे एक नई सैनिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई और जिस प्रकार हम कार्य कर रहे थे वह प्रक्रिया हमें बदलनी पड़ी। पाकिस्तान को सैनिक सहायता मिलने के कारण और सीटो तथा बगदाद समझौते के कारण स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ती गई। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री और अन्य लोगों के साथ काश्मीर के प्रश्न पर चर्चा करते समय विधिक और सांवैधानिक प्रश्नों के साथ-साथ हमारे सामने यह व्यावहारिक पहलू भी रहा है कि हम चाहते हैं कि काश्मीर के लोगों की सुखसमृद्धि हो और वे स्वतन्त्र रहें। हम ऐसी कार्यवाही नहीं करना चाहते जिससे कि हानि हो और जिससे समस्त बातें अव्यस्थ हो जायें जिससे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थानों में प्रव्रजन करना पड़े और जिसके कारण पाकिस्तान से फिर से संघर्ष हो। हम इसे हटाना चाहते थे क्योंकि यद्यपि हम चाहते थे कि काश्मीर की समस्या पाकिस्तान के साथ तय कर ली जाय परन्तु जब तय करने के तरीके से ही पाकिस्तान से झगड़े की संभावना हो तो काश्मीर समस्या कैसे सुलझ सकती थी। यह एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अब बहुत कुछ बातें तय हो गई हैं और कुछ साल पहले जो कार्यवाही तर्कपूर्ण होती वह आज कठिन हो गई है क्योंकि इससे ऐसी बातों का परिवर्तन करना पड़ता जो विधिक और संवैधानिक रूप से लगभग निश्चित हो गई हैं।

जब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री पिछली बार यहां आये थे तो हमने उनको ये बातें बताई थीं। मैंने उन्हें बताया कि आप मुझ से पिछले ५-६ सालों से संयुक्त राष्ट्र संकल्प में दी गई शर्तों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हममें कोई समझौता नहीं हुआ है। पाकिस्तानी फौजें वहां से वापस नहीं गईं। यदि आप चाहें तो हम इस विषय पर बातचीत कर सकते हैं परन्तु यह संभव नहीं कि हममें कोई शीघ्र समझौता हो जायेगा क्योंकि बहुत सी नई बातें आ गई हैं और हम ५–६ सालों से कोई समझौता नहीं कर पाये हैं। वे नई बातें अर्थात् सैनिक सहायता आदि बाद में आई जिन्होंने स्थिति में पूर्ण परिवर्तन कर दिया और हमें पहले की गई चर्चा को त्यागना पड़ा। क्योंकि चर्चा के आधार अर्थात् सैनिक पहलू तथा राजनैतिक पहलू में परिवर्तन हो गया है। मैंने उनसे कहा था आज जैसी स्थिति है उसे देखते हुए चर्चा करनी चाहिए प्रस्तुत तथ्यों को भुला पुरानी बातों के आधार पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं।

इसी बीच में एक और बात हुई हमारे जम्मू तथा काश्मीर राज्य के संविधान में संवैधानिक परिवर्तन हो गये हैं। सदस्यों को याद होगा कि हमने अपने संविधान में यह उपबन्ध किया है कि जम्मू और काश्मीर संविधान सभा की सहमति के बिना हम जम्मू तथा काश्मीर के किसी परिवर्तन से सहमत नहीं होंगे। यह संवैधानिक स्थिति है। मैंने पाकिस्तान के प्रमुख प्रतिनिधि से जो यहां आये थे यह बातें कही थीं।

मैं एक बात कहूंगा जिसका हमसे कोई सम्बन्ध नहीं है किन्तु काश्मीर के लोगों से परोक्ष सम्बन्ध अवश्य है। पश्चिम पाकिस्तान एक इकाई बन गया है। इन सब कारणों के परिणामस्वरूप मैंने पाकिस्तानी प्रतिनिधि को स्पष्ट कर दिया था कि यद्यपि इस प्रश्न के किसी भी पहलू पर चर्चा करने के लिये तैयार हूं परन्तु यदि वे वास्तविक होना चाहते हैं तो उन्हें परिवर्त्तन को मानना पड़ेगा और सात अथवा आठ सालों में जो कुछ हुआ उस पर विचार करना होगा। वे उन बातों पर चर्चा नहीं कर सकते जैसी वे आठ नौ साल पहले थीं। उन्होंने यह स्थिति स्वीकार नहीं की और बात समाप्त हुई।

इसके बदले में जो बात हो सकती थी वह यह थी कि हमारी वार्ता में गतिरोध बना रहे। कुछ समय पहले हमने पाकिस्तान सरकार से युद्ध न करने की घोषणा के बारे में कहा था अर्थात् अपने

श्री जवाहरलाल नेहरू]

विवादों को तय करने के लिये भारत और पाकिस्तान किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करेगा इस बारे में उस समय के प्रधान मंत्री श्री लियाकत अली खां से काफी पत्र-व्यवहार हुआ किन्तु वे सहमत नहीं हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घोषणा करने के पहले आपको सारे विचाराधीन प्रश्नों को सुलझाना पड़ेगा अथवा उन्हें मध्यस्थ निर्णय आदि द्वारा सुलझाने के लिये सहमत होना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि इन्हें सुलझाने के लिये मैं सहमत हूं परन्तु विभिन्न प्रयत्न करने पर भी हम सफल नहीं हुए। मैंने सोचा था कि युद्ध न करने की घोषणा करने से एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जायेगा जिससे हमें उन प्रश्नों के सुलझाने में सहायता मिलेगी। मैंने उनसे कहा कि जब आप यह कहते हैं कि विवाद के प्रश्नों को सुलझाने के विषय में एक निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिये बाध्य हो जायें तो विवाद का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। जब विवाद उत्पन्न होता है तो समझौते, मध्यस्थता, आदि में चार अथवा पांच महीने लग जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि राजनैतिक अथवा अन्य ऐसे प्रश्न को सुलझाने के लिये जो भविष्य में उत्पन्न हो मध्यस्थ निर्णय द्वारा सुलझाने के लिये कोई राज्य वचन बद्ध नहीं होगा। जब हम अपनी सार्वभौमिक सत्ता को इस प्रकार सीमित कर लेते हैं तो उच्च राजनीति के मामले भी सीमित हो जाते हैं जिन पर केवल सम्बन्धित देश ही विचार कर सकते हैं। बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से तय किये जा सकते हैं अतएव यह बुद्धिमत्तापूर्ण बात नहीं होगी कि हम भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही के लिये वचनबद्ध हो जायें। इसके बाद बात समाप्त हुई।

अब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने इस विषय की फिर चर्चा की और मैं उनके प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। परन्तु यह स्पष्ट है कि युद्ध न करने की घोषणा से हमें बचनबद्ध नहीं हो जाना चाहिये जब कि उसके साथ विभिन्न प्रकार की शर्तें संलग्न हों। इससे वही दुष्टयक् आरम्भ हो जाता है—आप पहले सारे मामले तय करिये और बाद में युद्ध न करने की घोषणा करिये। यदि ये सब बातें तय हो जायें तो युद्ध न करने की घोषणा और मध्यस्थ निर्णय के लिये वचन बद्ध होने की आवश्यकता ही न रहे। मैं सभा से और पाकिस्तान सरकार से सारी बातें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। काश्मीर के प्रश्न पर जिसके पीछे हम नौ साल से पड़े हुए हैं और जिसका जम्मू तथा काश्मीर के लोगों पर, भारत के लोगों पर, हमारे संविधान और सार्वभौमिक सत्ता के ऊपर, तथा हमारे महत्वपूर्ण हितों पर प्रभाव पड़ रहा है, हम किसी बाहरी सत्ता द्वारा मध्यस्थ निर्णय करने के लिये सहमत नहीं हो सकते।

†**कुछ माननीय सदस्य** : ..... नहीं

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे समझ में नहीं आता। महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस प्रकार निबटाने के लिये कोई देश सहमत नहीं हो सकता। हां यह मैं समझ सकता हूं कि हम और पाकिस्तान इस बात के लिये सहमत हो जायें कि हम एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे और हम अपनी समस्यायें शांतिपूर्ण ढंग से सुलझायेंगे चाहे वे कुछ समय तक न सुलझें। युद्ध करने से तो यह अच्छा है कि हमारी कुछ समस्यायें निलम्बित पड़ी रहें। अतएव युद्ध न करने की घोषणा एक वांछित वस्तु होगी। एक बात और कह दूं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से कहा है कि सीमावर्ती झगड़ों में से प्रत्येक झगड़े में भारत अपराधी था। बहुत से झगड़े हुए और मैं प्रत्येक की चर्चा नहीं कर सकता। कम से कम दस झगड़ों के बारे में जो कि जम्मू की सीमा पर हुए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षकों ने कहा है कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। मैं उनकी बात मानता हूं। मैं फिर से वही बात कहूंगा जो मैंने कुछ दिन पहले निकोवाल की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य देते हुए कही थी। निकोवाल घटना एक ज्वलंत उदाहरण है, इसलिये नहीं कि इसमें १२ व्यक्ति मारे गये थे परन्तु इसलिये कि

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान सरकार ने इसके सम्बन्ध में अच्छा व्यवहार नहीं किया है। जब हमें इस घटना के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षकों का प्रतिवेदन मिला उस समय पाकिस्तान गणराज्य के वर्तमान राष्ट्रपति दिल्ली में थे। उन्हें और प्रधान मंत्री को वह प्रतिवेदन दिया गया था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया तथा प्रधान मंत्री ने जनता से घोषणा की कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों द्वारा जो व्यक्ति अपराधी पाये जायेंगे उन्हें डंड दिया जायगा। इसका विरोध पाकिस्तान नहीं कर सकता क्योंकि वह हमारी राय नहीं थी यह तो संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों द्वारा की गई जांच के बाद दी गई राय थी। उन्होंने स्वयं ही कहा था कि वे अपराधियों को दंड देंगे। एक साल से ज्यादा बीत चुका है परन्तु मुझे आश्चर्य है कि कुछ भी नहीं किया गया है। मुझे यह सुनकर और भी आश्चर्य है कि ऐसे वक्तव्य दिये जायें कि इन घटनाओं में हमने आक्रमण किया था। मैंने सभा का बहुत समय से लिया है परन्तु मैं काश्मीर की चर्चा कुछ विस्तार में करना चाहता था और कुछ मूल तथ्य बताना चाहता था। मुझे आशा है कि पाकिस्तान सरकार और वहां की जनता इन आधारभूत तथ्यों पर विचार करेगी और मानेगी कि हम पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते। पाकिस्तान का बुरा चाहना ही बुरा है क्योंकि हमारी समृद्धि का उनकी समृद्धि से घनिष्ठ सम्बन्ध है। हम उनके मित्र बनना चाहते हैं। हम समस्त समस्याओं को मित्रतापूर्वक तय करना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि यदि हमने इस ढंग से काम किया तो हम उन्हें तय कर लेंगे।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : अध्यक्ष महोदय पहले की तरह प्रधान मंत्री ने आदर्शवाद और उच्च सिद्धांतों की बातें नहीं की हैं परन्तु वास्तविक बातें की हैं।

परन्तु मुझे यह देख कर निराशा हुई कि उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले असंख्य विस्थापित व्यक्तियों के बारे में कुछ नहीं कहा। कल विधि मंत्री ने भी स्वीकार किया कि उन्हें अपने कार्यों में असफलता हुई है तथा वे इस मामले में बिल्कुल असहाय हैं।

कुछ दिन पहले मैंने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था और कहा था कि पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के आने के दो कारण हैं। पहला कारण तो श्री गजनफर अली खां द्वारा सीमाबन्दी के नारे में दिया गया वक्तव्य है। दूसरा कारण पाकिस्तान का संविधान है जिसने अल्प संख्यक हिन्दुओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना दिया। मुझे उन विस्थापित व्यक्तियों से मिलने का अवसर मिला है। उनमें से बहुत से लोग नामशूद्र हैं। वे ऊंची श्रेणी के भद्र लोग नहीं हैं। वे किसान हैं। १९५० में भी इन लोगों ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। जहां पर जयसूर खुलना और फरीदपुर जिले मिलते हैं वहां पर लगभग १५ लाख नामशूद्र रहते हैं ये खुद अपना बचाव कर सकते हैं। रेडक्लिफ पंचाट के प्रकाशित होने के बाद मैं नामशूद्र नेताओं के साथ महात्मा गांधी से मिला और कहा कि उस क्षेत्र में हिन्दुओं का बहुमत है और फिर भी वह पाकिस्तान में मिलाया जा रहा है। इस बारे में कुछ नहीं किया गया।

पूर्वी बंगाल में तीन चार बातें ऐसी हो गई हैं जिनसे हिन्दुओं के लिये वह स्थान सुरक्षित नहीं रह गया है। वहां गांव प्रतिरक्षा दल बनाये गये हैं। इन्हें रात्रि में तलाशी लेने का अधिकार है। जब हिन्दुओं के घर में चोरी होती है तो ये हिन्दुओं के घर में घुस जाते हैं जिससे हिन्दुओं की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। जो चोरों को पकड़ने जाते हैं वे खुद चोर बन जाते हैं।

एक बड़ी विचित्र बात की गई है। उन पर विशेष कर लगाया जाता है जो गांवों के प्रतिरक्षा दल के लिये संघ शुल्क में जोड़ दिया जाता है। पुलिस कठिनाईयां पैदा कर रही है। न्यायाधीशों से भी उन्हें न्याय नहीं मिलता। वहां के मुख्य मंत्री श्री सरकार अल्पसंख्यकों की सहायता करना चाहते हैं। श्री गाडगील ने कहा था कि पाकिस्तान से भूमि मांगी जाये। प्रधान मंत्री में हिम्मत नहीं है कि वे भूमि मांगें इस समय सरदार पटेल जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है। विभाजन के समय भूमि पाकिस्तान

[श्री एन० सी० चटर्जी]

को इस आश्वासन पर दी गई थी कि ११२ लाख हिन्दुओं को वहां रखा जायेगा। क्योंकि हिन्दुओं को वहां से निकाल दिया गया है इसलिये उन्हें उस भूमि का अधिकार नहीं है। क्या आप वहां के सारे अल्पसंख्यक ले लेंगे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

दोष आपकी नीति का है। पश्चिम पाकिस्तान के लोग जो पूर्वी पाकिस्तान में उच्च पदों पर हैं हिन्दुओं को निकाल बाहर करना चाहते हैं। इनके निकालने से वहां के लोगों का पाकिस्तान में बहुमत नहीं रहेगा। क्या श्री खन्ना को इसका पता है? हमें अवश्य पाकिस्तान से भूमि मांगनी चाहिये। हिन्दुस्तान स्टेण्डर्ड के २७ तारीख के पत्र में यह समाचार छपा है कि सब वाणिज्यिक संस्थाओं को यह कहा गया है कि वे केवल "पाकिस्तानी" अर्थात् पाकिस्तानी मुसलमानों को सेवायुक्त करें। भारत सरकार द्वारा विरोध किये जाने पर यह कहा गया कि हिन्दुओं के साथ कोई विभेद नहीं किया जा रहा है क्योंकि वहां के हिन्दू भी पाकिस्तानी हैं। मैं बता सकता हूं कि वहां हिन्दुओं को नौकरी से बिना कारण अलग किया जा रहा है। हाल ही में परिपत्र भेजा गया है कि हिन्दुओं को बिल्कुल नौकरी नहीं दी जानी चाहिये। इससे बहुत से लोग विपत्ति में पड़ जायेंगे।

पंचशील के लिये हमें बड़ा आदर है। परन्तु यह पाकिस्तान, गोआ और श्रीलंका में नहीं चल रहा है जहां हमारे सम्मान और हितों का सम्बन्ध है।

यूरोप के देशों में यह भावना फैली है कि हमारी तटस्थता वास्तविक नहीं है। हमारे प्रधान मंत्री ने अमरीका वालों का भ्रम मिटाने का प्रयत्न किया है। मैंने भी वहां कहा कि हमारे प्रधान मंत्री की रूस यात्रा का यह अर्थ कदापि नहीं कि हम साम्यवादी हो गये हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह साम्यवाद से मोर्चा लें। परन्तु अभी तक लोगों को उन्होंने निराश ही किया है।

हमें सुन कर हर्ष हुआ कि प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि सीटो बनाने का उद्देश्य भारत का विरोध करना है। मिस्टर डलेस का यह कहना व्यर्थ है कि उसका उद्देश्य वैसा नहीं है। व्यक्ति का अभिप्राय उसके कार्यों से ज़ाना जाता है। वे पाकिस्तान को सैनिक सहायता दे रहे हैं। इससे भारत की सुरक्षा को खतरा है। मुझे दुःख है कि सरकारी पक्ष के लोगों को इसका ज्ञान नहीं है।

पंडित नेहरू को चाहिये कि वह लोगों को इस खतरे के बारे में बतायें। पंचशील जैसी आदर्शवादी बातें कहना ठीक है। परन्तु हमें युद्ध के लिये सुसज्जित रहना चाहिये तभी हम अपनी रक्षा कर सकेंगे। पंडित नेहरू ने कहा कि पाकिस्तान ने काश्मीर पर आक्रमण किया था। उसने कबायली लोगों को शस्त्र आदि दिये थे। हम उनसे तर्क वितर्क के द्वारा सच्ची बात नहीं मनवा सकते। प्रधान मंत्री को चाहिये कि वह यह घोषणा कर दें कि वहां जनमत संग्रह नहीं होगा और काश्मीर समस्या समाप्त हो चुकी है। काश्मीर में वहां के हिन्दुओं और मुसलमानों ने मुझ से कहा कि प्रधान मंत्री को चाहिये कि वह जनमत संग्रह की बात न करें। काश्मीर के लोगों ने अपनी संविधान सभा द्वारा भारत का अंग बनना स्वीकार किया है। यही बात बख्शी गुलाम मुहम्मद ने बार-बार कही है। यह अन्तिम निश्चय है। आप इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? मार्शल बुलगानिन और ख्रुश्चेव भारत आये और उन्होंने कहा कि काश्मीर भारत का अंग है। हमारे प्रधान मंत्री क्यों नहीं कहते कि हां यह सच है। हम केवल संवैधानिक विधि की बात करते हैं। आप संवैधानिक रूप से घोषणा क्यों नहीं करते, भारत के संवैधानिक मानचित्र में काश्मीर को क्यों नहीं रखते। अब कुछ अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद १ तथा अनुच्छेद ३६५ को ही इस राज्य पर क्यों लागू करते हैं? आपको चाहिये कि सभी अनुच्छेदों को इस राज्य पर

लागू करें और संवैधानिक रूप से सम्पूर्ण राज्य को भारत में मिला दें। काश्मीर के लिये सबसे बड़ा कार्य यही होगा। इस मामले में आप दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकते।

मुझे सूचना मिली है कि अमरीका और पाकिस्तान के समझौते के आधार पर पाकिस्तान को लगभग २,००० लाख डालर मिलने वाले हैं और यह धन पाकिस्तान के सैनिक बल को बढ़ाने के लिये उपयोग में लाया जायगा। मैं कह नहीं सकता कि प्रधान मंत्री को क्या सूचना मिली है किन्तु मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान को बारूद भी मिल रहा है। अर्थात् १०० रुपये के मूल्य की बन्दूक और बारूद का पाकिस्तान को केवल १० रुपया देना होगा जबकि ९० रुपये की छूट मिल जायगी। यदि यह बात सच है तो २,००० लाख डालर का अभिप्राय १८,००० लाख डालर होगा। उन्हें यह धन क्यों मिल रहा है केवल इसलिये कि पाकिस्तान इस धन को भारत के विरुद्ध और विशेषत: काश्मीर के विरुद्ध उपयोग में लाना चाहता है।

प्रधान मंत्री ने दयालुता के नाते अथवा राजनीतिज्ञ के रूप में कई बार यह घोषणा की है कि सीमाओं पर पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमणों के बारे में पाकिस्तान की सुव्यवस्थित योजना का कोई प्रमाण नहीं मिला है। यह कहा जाता है कि सैनिक दृष्टि से हम काफी मजबूत हैं किन्तु अमरीका से हुई सन्धि के आधार पर पाकिस्तान द्वारा अपने सैनिक बल को बढ़ाने की यदि यही रफ्तार जारी रही तो मैं कह सकता हूं कि सन् १९५७ में भारत उससे पिछड़ जायगा। इसलिये सरकारी पक्ष के सदस्यों से मैं कहूंगा कि आप लोग अधिक दिन तक संतोष किये हुए न बैठे रहें। राष्ट्र के नाम आप चेतावनी दीजिये और नवयुवकों से कहिये कि वे किसी भी अपातकालीन स्थिति के लिये तैयार रहें। पंजाब की जनता से कहिये कि वह तैयार रहे। जाति, क्षेत्र, अल्पमत और बहुमत के मामलों में भले ही अलग-अलग हों, किन्तु यदि देश पर आक्रमण होता है तो हम पंजाब और बंगाल की सीमा पर रहने वालों की रक्षा करेंगे।

मास्टर तारा सिंह ने उस दिन चेतावनी दी थी कि पंजाब खतरे में है, भारत खतरे में है। हमें उस चेतावनी को समझना चाहिये। हमारे सीमा वाले लोग खतरे में हैं। और यह खतरा है पूंजीपति देशों द्वारा पाकिस्तान को मिल रही सभी प्रकार की सहायता। मास्टर तारासिंह ने उस दिन कहा था कि सीमा क्षेत्रों में हमें अपने लोगों को हथियार देने चाहियें। अपनी रक्षा करने के लिये हमें उन्हें तैयार करना चाहिये। हमारे प्रधान मंत्री चाहे कितनी ही बार न्यूयार्क अथवा वाशिंगटन जायें, किन्तु वे पाकिस्तान को सहायता करने की बात को नहीं रोक सकते। सीटो सम्मेलन की कार्यवाही से हमें सावधान रहना चाहिये। हमें प्रसन्नता है कि पाकिस्तान के इतने प्रचार के बावजूद भी सीटो सम्मेलन को अधिक सफलता नहीं मिली। सभी विदेशी पत्रों ने यहां तक कि न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार श्री डलेस ने भी कहा है कि सीटो सम्मेलन काश्मीर समस्या के बारे में कोई निर्णय करने में सफल नहीं रहा है। लन्दन के **डेली एक्सप्रेस** ने भी कहा है कि काश्मीर जैसे मामले पर विचार करना सीटो का कर्त्तव्य नहीं था।

विदेशों में स्थित हमारे सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालयों की स्थिति बहुत ही कमजोर है। उनको उचित रूप से संगठित करने के लिये शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिये। विदेशों में स्थित भारतीय समर्थकों ने कहा है कि हमारे सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय अकुशल एवं अपर्याप्त हैं। इस सिलसिले में प्रधान मंत्री को मैंने लन्दन से भी लिखा और जब मैं यहां आया तो यहां भी मैंने इस बात के लिये प्रधान मंत्री से कहा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। किन्तु यह उचित समय है जब हमें सालाजार एवं उसकी तानाशाही सरकार द्वारा किये गये बुरे कार्यों का भंडा फोड़ करना चाहिये।

जब मैं इंग्लैंड में था तो वहां के हाउस ऑफ कामन्स के कुछ सदस्यों के सम्मुख मैंने भाषण दिया। भारत के एक समर्थक एवं मित्र ने मुझ से पूछा कि गोआ में ७० प्रतिशत गोआ निवासी कैथोलिक

[श्री एन० सी० चटर्जी]

हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि बात कुछ दूसरी है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। सालाजार द्वारा किये गये प्रचार से अब वे उकता गये हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जब सालाजार ऐसा प्रचार कर सकता है तो हम भी ऐसा क्यों न करते? प्रचारकों, भारतीय पत्रकारों ने मुझे बताया कि सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालयों से उन्हें उपयुक्त मसाला नहीं मिलता। उन्हें वह मसाला नहीं मिलता जो वे ब्रिटिश समाचारपत्रों के सम्मुख रख सकें। मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त समय है जबकि इसके बारे में कुछ किया जाना चाहिये।

मुझे बताया गया है कि पूर्वी बंगाल के मुख्य मंत्री का पाकिस्तान से हिन्दुओं को निकालने में कोई हाथ नहीं है। वह कुछ करना चाहते हैं किन्तु हो सकता है कि उनके हाथ बन्धे हों। यदि प्रधान मंत्री इस कार्य को अपने हाथ में लें तो संतप्त अल्पमत वालों का कुछ भला हो सकता है। पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। श्रीमती सुचेता कृपालानी ने एक सुझाव दिया था जिसे क्रियान्वित करना चाहिये। जब वे हमारे ४१ लाख व्यक्तियों को निकाल रहे हैं। जब वे २,००० व्यक्तियों को प्रतिदिन के हिसाब से सीमा से बाहर खदेड़ रहे हैं तो क्या कलकत्ता की जूट मिलों अथवा बन्दरगाह पर कार्य करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के द्रष्टांकों को रद्द नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि ऐसा करने में कोई भूल, कोई संकीर्णता, अथवा कोई छोटापन नहीं है। मेरे विचार से तो यह कार्य न करना एक उस राष्ट्र के लिये जो पंचशील का आदर्श बढ़ाता है, जो सारे देश को अपने आदर्शों का पाठ पढ़ाता है, और जो भारत को विश्व के राजनैतिक मानचित्र में ऊंचा सम्मान देना चाहता है, अनुपयुक्त है।

†**कुछ सदस्य** खड़े हुये—

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि अब मेरे पास अधिक समय नहीं है। २ बजे उपमंत्री को उत्तर देना है। मैं पूछना चाहता हूं कि उपमंत्री कितना समय लेंगे?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : बहुत से कटौती प्रस्ताव हैं। मैं समझता हूं कि २५ मिनट तो लग जायेंगे।

†**श्रीमती खोंगमेन** (स्वायत्त जिले—रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : आसाम के आदिम जाति क्षेत्र से किसी व्यक्ति ने कोई भाषण नहीं दिया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने प्रातः घोषणा की थी २–३० पर दूसरी मद ली जायगी, २–३० पर हमें दूसरी मद पर विचार करना है और २५ मिनट उपमंत्री भाषण देंगे। अतः मुझे खेद है कि अब मैं आपको समय नहीं दे सकता।

निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
२३	श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़)	संयुक्त राष्ट्र संघ से काश्मीर समस्या की वापसी की आवश्यकता	१०० रुपये
२३	,,	विदेशी राष्ट्रों को सांस्कृतिक मिशन का भेजना ...	१०० रुपये
२३	,,	भारतीय विदेशी सेवा के लिये भर्ती सम्बन्धी नीति	१०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
२३	श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़)	लंका से भारतीयों का निकाला जाना	१०० रुपये
२३	,,	पुर्तगालियों द्वारा गोआ पर निरन्तर अधिकार	१०० रुपये
२३	,,	दादरा और नगर हवेली को भारत संघ में मिलाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२३	,,	निरन्तर रूप से पाकिस्तान से हिन्दुओं का असाधारण संख्या में आगमन	१०० रुपये
२३	,,	पाकिस्तान द्वारा भारतीय सीमा पर बारम्बार आक्रमण ...	१०० रुपये
२३	,,	बर्मा में भारतीयों की स्थिति	१०० रुपये
२३	,,	दक्षिण अफरीका सरकार की भारतीयों के प्रति जाति पृथककरण की नीति	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय :** ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री अनिल के० चन्दा :** उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री द्वारा चर्चा में भाग लेने के बाद मेरे कहने के लिये कुछ शेष नहीं रह गया है किन्तु सदन में प्रस्तुत किये गये कुछ कटौती प्रस्तावों का मैं निर्देश करूंगा जिनके बारे में प्रधान मंत्री ने कुछ नहीं कहा है ।

मैं अपना भाषण आदिम जाति और उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के प्रश्नों से, जिन्होंने इस सदन के सदस्यों और जनता के मानस को काफी आलोड़ित किया है, प्रारम्भ करता हूं । हाल ही में आसाम के नागा पहाड़ी जिले में कुछ अप्रिय घटनायें हुई हैं और यह स्वाभाविक है कि हम उनके विषय में चिन्तित हैं । मैं इस आदिम जाति प्रश्न की पार्श्वभूमि को, जहां तक कि वह उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण को प्रभावित करती है, आपके समक्ष रखूंगा । ऐसी कुछ बुनियादी बातें हैं जिन्हें कदाचित इस सदन के सदस्य न जानते हों या उनका महत्व न समझते हों । उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण, जो कि भारत सरकार के प्रत्यक्ष नियन्त्रण के अन्तर्गत है, छः राजनीतिक विभागों से मिल कर बना है । उसका क्षेत्रफल पैंतीस हजार वर्गमील है और उसमें विभिन्न आदिम जातियां रहती हैं और भौगोलिक दृष्टि से उक्त क्षेत्र संसार में सर्वाधिक दुर्गम है । अंग्रेजों को उन क्षेत्रों से कोई दिलचस्पी इसलिये नहीं थी क्योंकि उन दिनों यह अन्तर्राष्ट्रीय सीमान्त क्षेत्र उनके लिये कोई समस्या ही नहीं थी । उन्हें उत्तर-पश्चिम सीमान्त क्षेत्र में अधिक और उत्तर-पूर्वी सीमान्त क्षेत्र में बहुत कम रुचि थी और इसलिये जब उन्होंने १९४७ में भारत छोड़ा तो वह हमारे लिये एक भयंकर समस्या छोड़ गये ।

पैंतीस हजार वर्गमील के उक्त क्षेत्र में, जहां तीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमायें हैं । केवल आठ प्रशासनिक पद थे ।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के प्रशासन के सम्बन्ध में हमें क्या कठिनाईयां हुई हैं वह मैं आप को बताऊंगा । पहली कठिनाई तो यह है प्रगति के आधुनिक मानदंड के अनुसार इन आदिम जाति क्षेत्रों की अधिकांश आदिम जातियां विकास के निम्नतर स्तर पर हैं । दूसरे; यह आदिम जातियां स्वयं अनेक उपजातियों में विभाजित हैं और उनका देश के मैदानी भागों के नागरिकों से कोई सम्पर्क नहीं है,

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अनिल के० चन्दा]

और स्वयं उनम आपस में भी बहुत कम सम्पर्क है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जायेगी।

हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर हमारे यहां उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण का एक सांस्कृतिक दल आया था और मंत्रालय का एक अधिकारी होने के नाते मुझे उन्हें अपने निवास-स्थान पर अल्पोपहार के लिये निमंत्रित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उक्त आयोजन में अन्य अतिथि भी उपस्थित थे और इस आशय का सुझाव दिया गया कि उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के लोग एक नृत्य प्रस्तुत करें। आठ-दस व्यक्ति नाचने के लिए खड़े हुये किन्तु कुछ समय बाद यह ज्ञात हुआ कि नृत्य का आयोजन करना सम्भव नहीं था। दुभाषिये ने मुझे इसका कारण यह बताया कि वह आठ-दस व्यक्ति या पांच विभिन्न जातियों के थे। उनके संगीत और नृत्य की धुनें अलग-अलग थीं। वह एक दूसरे से बातचीत करने में असमर्थ थे इसलिये उनका सामूहिक नृत्य सम्भव नहीं था। इस बात से यह स्पष्ट है कि न केवल वह देश के मैदानी भागों के अन्य नागरिकों के बारे में अनभिज्ञ थे किन्तु स्वयं उनके बीच भी सम्पर्क नहीं के बराबर थे।

इस प्रकार आदिम जातियों और मैदानी भागों में रहने वाली जातियों में जातीय, सांस्कृतिक और भाषा सम्बन्धी अन्तर हैं और यह अन्तर स्वयं उनके मध्य भी मौजूद हैं। नागा पहाड़ी जिला एक अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र है और मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि उक्त जिला हमारे प्रशासन के अन्तर्गत नहीं है। वह आसाम राज्य का एक भाग है। नागा पहाड़ी जिले में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों के लिये पर्याप्त क्षेत्र मौजूद था और कई व्यक्तियों को ईसाई धर्म की दीक्षा दी गई। वह अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है—मुझे उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व विदेशी मिशनरियों ने इस बात का लगातार प्रचार किया था कि भारत और उसकी संस्कृति आदिम जातियों की विरोधी थीं और उन दोनों संस्कृतियों में काफी अन्तर था। इसके अतिरिक्त अंग्रेज उन क्षेत्रों में राजनीतिक उपहार, जिनमें शराब आदि नशीली वस्तुयें शामिल थे मुक्त हस्त से वितरित किया करते थे और इसके अतिरिक्त आदिम जाति के लोगों को वार्षिक घूस, जिसे **पोश** कहा जाता था, दिया करते थे ताकि वह शांत रहें और मैदानी क्षेत्रों में जहां विभिन्न प्रकार के विकास कार्य किये जा रहे थे, किसी प्रकार की कठिनाई उपस्थित न करें।

मेरा निवेदन है कि एक कल्याणकारी राज्य द्वारा दिये जाने वाले अधिक ठोस लाभ, जो कि प्रत्यक्ष उपहारों के रूप में लोगों को स्पष्ट नहीं हैं, उपहारों के स्थान पर धीरे-धीरे दिये जाने होंगे। किन्तु लक्ष्य हमारे समक्ष है और सभ्य और प्रगतिशील प्रशासन के सभी लाभ आदिम जाति क्षेत्रों को देने के लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

वास्तव में उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण सभ्यता के लिये एक चुनौती है। इन दुर्गम क्षेत्रों में बसने वाली जनता को नये जीवन से परिचित कराना हमारे प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिस पर हमें गर्व होना चाहिये। हमारे प्रधान मंत्री की कल्पनाओं को मूर्त-स्वरूप देने का अनवरत प्रयास उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण की कार्यपालिका द्वारा किया जा रहा है। मैं देखता हूं कि मेरे माननीय मित्र प्रोफेसर हीरेन मुकर्जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों में से एक में आदिम जातियों के प्रति हमारी सहानुभूति के अभाव और उनके प्रश्नों और आवश्यकताओं को न समझना जैसी बातों का निर्देश किया गया है। उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में सेवा करने के लिये हमारे जो अधिकारी चुने गये थे उन्हें प्रधान मंत्री ने कुछ निर्देश दिये थे जिन्हें मैं उद्धृत करता हूं। प्रधान मंत्री ने प्रश्न की विवेचना इस प्रकार की थी:

> "आदिम जाति के प्रश्नों को हल करने के सामान्यतः दो तरीके होते हैं। एक को नरत-त्वीय तरीका कह सकते हैं अथवा उन लोगों को संग्रहालय में रखी गई ऐसी वस्तुओं के समान

समझना जिन्हें कि देखा जाता है और जिनके बारे में लिखा जाता है और उन्हें जीवित मनुष्य न समझना जिन के साथ मिल कर काम किया जा सकता है। दूसरा तरीका इस बात की उपेक्षा करना, कि वह कोई विशेष या हमसे भिन्न जीव हैं, और उन्हें समाज के सामान्य ढांचे में कहीं अन्यत्र खपा लेना है। यह दोनों तरीके गलत हैं।

"आदिम जातियों के प्रति हमारा रुख उनसे सीखने का और सीखने के बाद उन्हें सहायता व सहयोग देने का होना चाहिये।"

इसके बाद उन्होंने चुने गये अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा :

"यदि आप आदिम जनता के निकट प्रेम भाव लेकर जाते हैं; मुक्त करने वाली एक शक्ति के रूप में जाते हैं और एक मित्र के नाते जाते हैं, जिससे कि उन्हें यह मालूम हो कि आप उनसे कुछ लेने नहीं वरन् देने के लिये आये हैं तो यह सही समन्वय है। किन्तु यदि वह यह महसूस करते हैं कि आप उन पर दबाव डालने आये हैं; उनकी गतिविधियों में हस्तक्षेप करने और बाधक बनने और उनके जीवनयापन के तरीकों को बदलने का प्रयास करने; उनकी भूमि छीनने तथा आपके कुछ व्यवसायीजन उनका शोषण करने वहां आये हैं तो यह पूर्णतः गलत है। आदिम जातियों के इस प्रकार के विलीनीकरण और संघटन के बारे में हम जितना भी कम सुनें, उतना अधिक अच्छा है।"

मेरा निवेदन है कि जहां तक आदिम जातियों का सम्बन्ध है, सरकारी नीति का पालन करने के लिये हमारे अधिकारियों के समक्ष इनसे महान आदर्श नहीं रखे जा सकते हैं।

जहां तक सम्भव होता है वहां तक आदिम जातियों में से ही अपने अधिकारी चुनने का प्रयत्न किये जाने पर हम शुरू से ही बल देते आये हैं और अन्य अधिकारियों को उन क्षेत्रों में मौजूद विशेष परिस्थितियों में प्रशिक्षण देने के प्रयास भी हमने किये हैं। और मुझे यह बताने में प्रसन्नता होती है कि हमारी सीमान्त अभिकरण सेवा की प्रथम श्रेणी में आदिम जाति के कोई तेरह अधिकारी, दूसरी श्रेणी में तीस और तीसरी श्रेणी में ८६० अधिकारी हैं।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के सम्बन्ध में हमने जो विभिन्न लक्ष्य अपने समक्ष रखे हैं उनका निर्देश मैं यहां कर दूं। पहला तो है खाद्यान्न के बारे में आत्मनिर्भरता, आदिम जाति के लोगों के लिये यह एक विराट प्रश्न है। कुछ समय पूर्व मुझे बर्मा की ठीक सीमा पर स्थित तिरप जिले के अन्दर तक जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। आदिम जाति के लोग अपने विभिन्न मुखियों के साथ मेरा स्वागत करने सैंकड़ों की संख्या में आये। मैंने देखा कि उनकी कमर पर बेत की बुनी हुई अत्यन्त सुन्दर पट्टी थी। मैंने उनसे इसका कारण पूछा। उनका उत्तर वैसा ही था जैसा कि किसी एक अंग्रेज ने दिया होता और वह यह था कि, "यह हमारी प्रथा है"। यह ठीक ही कहा गया है कि एक अंग्रेज और एक बर्बर व्यक्ति प्रथा के आवरण को कभी तोड़ नहीं सकता है। किन्तु उनके उत्तर से मुझे संतोष नहीं हुआ और मैंने एक वृद्ध मुखिया से पछा कि बेंत की पट्टी के पेट पर इतने लपेटे देकर बांधने का क्या कारण था। उसने कहा, कि "हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां जलवायु और मौसम के अप्रत्याशित परिवर्तनों और स्वाभाविक परिस्थितियों के कारण हमें खाने के लिये कुछ भी नहीं मिल पाता है और इसलिये हम यह पट्टी बांधते हैं और हम पट्टी को अधिक कस लेते हैं और भूख से हमारा बचाव हो जाता है"। वहां स्थिति यह है। इसलिये उन क्षेत्रों में खाद्यान्न सम्बन्धी आत्म निर्भरता लाने के लिये हमने विशेष रूप से प्रयास किये हैं।

दूसरा प्रश्न है स्वास्थ्य और रोगों के उन्मूलन का। वहां कुछ रोग स्थानिक हैं जैसे कंठमाला और कुछ आदिम जातियों में से कुछ में क्षय और यौन सम्बन्धी रोगों का आपात्त भी काफी है।

[श्री अनिल के० चन्दा]

हमने कुछ क्षेत्रों में सर्वेक्षण किये हैं और उनके फलस्वरूप हमने कई जातियां ऐसी पाई हैं जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है और इसलिये हमने स्वास्थ्य और लोगों के उन्मूलन को काफी ऊंची पूर्व-वर्तिता दी है। इसके बाद प्रश्न आता है शिक्षा और साक्षरता का। एक और भी बात है जिसे हमने अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा है और वह है आदिम जाति की संस्कृति उनके लोक-गीत और नृत्य आदि को कायम रखना। निस्संदेह इस क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह सड़कों के निर्माण में हुई है। स्वाभाविक है कि हम सड़कों के निर्माण की ओर अत्यधिक ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश क्षेत्रों को मैदानी भागों से पैदल चल कर पहुंचने में पूरा एक दिन का समय लग जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में जो सफलतायें हमने प्राप्त की हैं। उन्हें मैं यहां बताना चाहता हूं। मैं इस सभा को यह बता देना चाहता हूं कि १९५० के बाद ही हमने उन क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही की है। उन क्षेत्रों में जहां छः वर्षों में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं था वहां हमने छः वर्षों में आठ पशु चिकित्सालय स्थापित किये हैं और अब तक लगभग पचास हजार पशुओं का इलाज किया गया है। इन वर्षों में धान के उत्पादन में वृद्धि हुई है और फलस्वरूप सोलह लाख मन धान पैदा किया गया है।

जहां तक संचार साधनों का सम्बन्ध है, १९५१ में हमारी सड़कों की कुल लम्बाई केवल १३८ मील थी और पगडंडियों की कुल लम्बाई २,९६९ मील थी। ऐसा अनुमान किया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम १·०९ करोड़ रुपये के व्यय से सभी मौसमों में काम में आने वाली २२९ मील लम्बी सड़कें, अच्छे मौसम में काम में आने वाली २२४ मील लम्बी सड़कें, ३६२ मील लम्बी पगडंडियां, खच्चरों के जाने योग्य १,१९२ मील लम्बी पगडंडियां और २,४४८ मील लम्बी कुलियों के चलने योग्य पगडंडियां बना लेंगे। इस बात को देखते हुए कि उन क्षेत्रों में निर्माण कार्य वर्षा के कारण केवल पांच महीने तक ही किया जा सकता है, मेरा निवेदन है कि हमारी सफलतायें कम नहीं हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने २·५ करोड़ रूपये सड़कों के निर्माण के लिये आवंटित किये हैं।

स्वास्थ्य के बारे में, १९४८ में जहां केवल तेईस डाक्टर थे वहां १९५५ में हमारे पास ९४ डाक्टर थे। १९४८ में अस्पतालों, औषद्यालयों और स्वास्थ्य यूनिटों की संख्या पन्द्रह थी किन्तु आज यही संख्या ८३ है। १९४८ में स्वास्थ्य सम्बन्धी मदों पर १·४७ लाख रुपये व्यय किया गया था और १९५५ में यह व्यय २५·७० लाख रुपये है। इस समय प्रति नौ हजार व्यक्तियों के लिये एक डाक्टर है और प्रति २,१०० व्यक्तियों के लिये अस्पताल में एक बिस्तर है। हमारा इरादा है कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक प्रति ६,००० व्यक्तियों के पीछे एक डाक्टर और प्रति तेरह सौ व्यक्तियों के पीछे अस्पताल में एक बिस्तर हो।

शिक्षा के सम्बन्ध में मेरा ख्याल है कि प्रगति और भी अच्छी रही है क्योंकि १९४७ में समूचे उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में हमारे पास केवल दो प्राथमिक स्कूल थे जबकि आठ वर्षों के प्रशासन के परिणामस्वरूप आज वहां १५२ प्राथमिक स्कूल, १६ माध्यमिक स्कूल और २ हाई स्कूल हैं और आदिम जातियों के कुल मिलाकर सात हजार बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम बीस हजार बालकों को शिक्षा प्रदान कर सकेंगे।

मेरा ख्याल है कि स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा के सम्बन्ध में जो आंकड़े हमने दिये हैं वह सदन को हमारी प्रशंसाजनक प्रगति का विश्वास दिलाने के लिये पर्याप्त हैं। हमारे वह अधिकारी निश्चय ही बधाई के पात्र हैं जो बड़ी कठिनाईयों के बीच, अपने घरों से, अपने परिवारों से हजारों मील दूर रह-कर इस महान् कार्य को करते आये हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में विकास कार्य के लिये नौ करोड़ रुपये रखे गये हैं। नागा पहाड़ी जिलों में हाल ही में जो उपद्रव हुआ उसके बारे में मैं केवल यही कह सकता हूं कि ऐसी घटनायें वहां हुई हैं। किन्तु यह सभी घटनायें हमारे अपने क्षेत्र में नहीं वरन् समीपस्थ नागा पहाड़ी जिले में हुई हैं जो कि आसाम सरकार के प्रशासन के अन्तर्गत है। ३५ हजार वर्गमील क्षेत्रफल के छः राजनीतिक विभागों में से, नागा जिले के समीपस्थ एक जिले के एक भाग में, जिसे तुएनसेंग क्षेत्र कहा जाता है, गत वर्ष के मध्य में अराजकता लक्षित हुई और उस समय नागा राष्ट्रीय परिषद् के अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी सदस्य नागा पहाड़ी जिले में अनुकूल वातावरण न पाने के कारण तुएनसेंग क्षेत्र में चले आये थे और दुर्गम प्रदेश और उस विशिष्ट क्षेत्र में किसी प्रकार का विकास न होने के कारण उन्होंने ग्रामों में उपद्रव किया था। हमने आवश्यकतानुसार कड़ी कार्यवाही की, और मुझे यह बताने में प्रसन्नता होती है कि जहां तक तुएनसेंग का सम्बन्ध है वहां पूर्ण शांति रही है और कोई उपद्रव नहीं हुआ है। जहां तक अन्य पांच जिलों का सम्बन्ध है जब से हमने ठीक सीमा तक अपने प्रशासन का विस्तार किया है तब से वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।

हाल ही में मुझे तिरप के पहाड़ी जिलों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मुझे यह देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि हमारे प्रशासन को आदिम जाति की जनता से एच्छिक सहयोग प्राप्त हो रहा है। वास्तव में मुझे एक विशिष्ट क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का सुखद अवसर प्राप्त हुआ था और उस कार्य में भाग लेने के लिये जिले के चारों ओर से कोई पन्द्रह सौ आदिम जाति व्यक्ति एकत्रित हुए थे।

विदेशी मिशनों में हमारे प्रचार कार्य के बारे में काफी आलोचना की गई है। माननीय सदस्य श्री एन० सी० चटर्जी ने लन्दन स्थित भारतीय पत्रकारों द्वारा वहां प्रचार सामग्री की कमी के बारे में उल्लेख किये जाने पर हम पर टीका टिप्पणी की गई है। मुझे उससे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ है क्योंकि अन्य सभी बातों के अतिरिक्त हम लन्दन स्थित अपने उच्चायुक्त के कार्यालय से एक साप्ताहिक समाचारपत्र प्रकाशित करते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि लन्दन स्थित भारतीय पत्रकारों को समाचार और सामग्री की कमी किस प्रकार महसूस हो रही है।

मैं आपके समक्ष अपने प्रचार विभाग का चित्र प्रस्तुत करता हूं। विदेशों में हमारे सैंतीस मिशन हैं जिनमें प्रचार कार्य के लिये एक पूर्ण विभाग है। उक्त सैंतीस मिशन में दो गत वर्ष प्रारम्भ किये गये थे। उपयुक्त व्यक्तियों के अभाव के कारण, विदेशों में स्थित हमारे तीन मिशनों में कई महीनों तक पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे। विदेशों में स्थित हमारे प्रचार पदों को हमारे प्रधान कार्यालयों से मोर्स प्रणाली द्वारा प्रतिदिन पांच सन्देश भेजे जाते हैं जिनके द्वारा समाचार और प्रचार-सामग्री का सम्भरण किया जाता है। अपने दिल्ली-स्थित प्रधान कार्यालय से पिछले वर्ष हमने कम से कम १९ पुस्तिकायें प्रकाशित की थीं, और साथ में **'फारेन एफेयर्स रिकार्ड'** नामक एक मासिक पत्र भी निकाला गया था, जिसमें वैदेशिक नीति आदि सम्बन्धी सभी सरकारी वक्तव्यों के अधिकृत पाठ रहते हैं।

गोआ के सम्बन्ध में, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमने पिछले वर्ष में अपने विभिन्न पदों से गोआ के बारे में विभिन्न भाषाओं में कई पुस्तिकायें प्रकाशित की हैं, जैसे :

गोआ की कहानी (अंग्रेजी) लन्दन से,
गोआ में (अंग्रेजी) सिडनी से,
गोआ में (पुर्तगाली) रिओ डिजैनिरो से,
गोआ में (अंग्रेजी) वाशिंगटन से,
गोआ में (अंग्रेजी) प्रधान कार्यालय से,

[श्री अनिल के० चन्दा]

गोआ में (स्पेनिश) ब्युनिस आयर्स से,

गोआ में (इटालियन) रोम से ।

गोआ की कहानी एक सचित्र पुस्तिका है और उसमें वर्तमान स्थिति तथा उसकी पूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई गई है । यह पुस्तिका अत्यधिक लोकप्रिय सिद्ध हुई है, और हम सब अब स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रेंच, जर्मन तथा अरबी भाषाओं में उसके अनुवाद प्रकाशित करने जा रहे हैं । इन सबके अतिरिक्त हमने इन मिशनों को प्रचार कार्यों के लिये भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में स्वतन्त्र व्यक्तियों द्वारा लिखे गये आठ लेखों की प्रतियां भी भेजी हैं । हमने अंग्रेजी और पुर्तगाली भाषा में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी हुई पांच विभिन्न पुस्तकें और यहां तक कि गोआ तथा भारत में पुर्तगाली प्रदेशों के जीवन के सम्बन्ध में लिखा गया कथा-साहित्य भी वितरित किया है । मैंने लोक-सभा के सामने जो ये आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, उनको देखते हुए, मेरी समझ में नहीं आता कि कोई भी माननीय सदस्य अब भी कैसे यह कह सकता है कि गोआ सम्बन्धी हमारी नीति केवल इसीलिये असफल रही है कि हमने उसका पर्याप्त प्रचार नहीं किया है ।

यह कहा गया है कि कामन्स सभा में दिये गये किसी भी भाषण से प्रेरित करके वहां कभी भी एक भी मत प्राप्त नहीं किया गया है । सदस्यगण अपने-अपने राजनीतिक अन्तःकरण के अनुसार ही कार्य करते हैं । मैं जानता हूं कि लेखनी तलवार से अधिक शक्तिमती होती है, लेकिन मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि प्रचार के किसी भी परिमाण द्वारा किसी भी उस सरकार विशेष की नीति में परिवर्तन किया जा सकता है जिसके अपने भी कुछ विशेष हित होते हैं और जिसके अपने कुछ विशेष सैद्धांतिक सम्बन्ध होते हैं । लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि हम अपनी प्रचार-व्यवस्था से पूरी तरह सन्तुष्ट हैं । अभी भी बहुत कुछ करने को पड़ा है । हमें तो बड़ी प्रसन्नता होगी यदि विदेशों में जाने वाले और बाहरी संसार से सम्पर्क रखने वाले माननीय सदस्य हमें इस प्रकार के सुझाव दें कि हम अपनी प्रचार व्यवस्था को किस प्रकार सुधार सकते हैं ।

मैं कुछ अन्य विषयों के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता था, पर दुर्भाग्यवश मेरे पास उसके लिये अब समय नहीं बचा है । लेकिन मुझे अपने माननीय मित्र, श्री एच० एन० मुकर्जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के प्रश्न को लेना ही पड़ रहा है । यह कटौती प्रस्ताव उनके ही कथनानुसार, रॉय बेहानन के मामले के सम्बन्ध में है । वह एक बहुत खेदजनक मामला है, और मेरी इच्छा थी कि, उस मामले से सम्बन्धित सभी दलों के विचार से श्री एच० एन० मुकर्जी उसे इस सभा में एक कटौती प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत न करते । यदि उन्हें हमारे न्यूयार्क कार्यालय के किसी एक अधिकारी विशेष की गतिविधियों के सम्बन्ध में कुछ सन्देह था और यदि उन्होंने मुझे बताया होता, तो मैं उनके सामने बिना किसी छिपाव के सारे उपलब्ध प्रलेख और पत्र प्रस्तुत कर देता और वे अनुभव कर लेते कि गलत तथ्यों के आधार पर उन्होंने राज्य के एक बहुत ही योग्य, ईमानदार और राज्यनिष्ठ सेवा को बदनाम किया था ।

जहां तक रॉय बेहानन के मामले का सम्बन्ध है, शायद सभा के अधिक सदस्य उसके सम्बन्ध में नहीं जानते हैं । इसलिये मैं उस मामले के करुण इतिहास की संक्षिप्त रूप रेखा आपके सामने रखता हूं । भारतीय राष्ट्रजन श्री बेहानन संयुक्त राष्ट्र संघटन के एक अधिकारी थे, और उनकी पत्नी एक अर्हता प्राप्त चिकित्सिका, बच्चों के रोगों की विशेषज्ञा, थीं । ४ अप्रैल, १९५२ को न्यूयार्क के एक बड़े अस्पताल की आपरेशन टेबिल पर उनके दस वर्षीय पुत्र की मृत्यु हुई थी । घटनाओं का क्रम इस प्रकार है :

४ अप्रैल, १९५२ : दस वर्षीय रॉय बेहानन की मृत्यु ।

२१ अप्रैल, १९५२ : क्वीन्स काउन्टी के जिला न्यायावादी (डिस्ट्रिक्ट एटार्नी) को उस मामले की सूचना दी गई।

जुलाई, १९५२ : इन्टरनेशनल न्यूज सर्विस ने उस मामले का प्रचार किया।

अगस्त तथा सितम्बर १९५२ : न्यूयार्क राज्य के जिला न्यायवादी ने उनको, बेहानन दम्पत्ति को, सूचित किया कि जब तक वे प्रलेखों आदि की परीक्षा के लिये एक विशेष व्याधिविद् (पैथालौजिस्ट) को नहीं भेजते, तब तक वह उस मामले में कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। बेहानन दम्पत्ति ने वैसा ही किया, और उन्होंने जिस प्रमुख व्याधिविद् को भेजा था उसने कहा कि शव परीक्षा सम्बन्धी मूल टिप्पणियों आदि के अध्ययन से यह बिल्कुल स्पष्ट था कि लड़के की मृत्यु सम्बन्धित शल्य चिकित्सक और बेहोशी की दवा देने वाले कर्मचारी की लापरवाही से ही हुई थी।

मार्च, अप्रैल १९५३ : रॉय बेहानन की मृत्यु के सम्बन्ध में बड़ी जूरी (ग्राण्ड जूरी) की ओर से जांच पड़ताल की गई थी। शल्य चिकित्सक और बेहोशी की दवा देने वाले कर्मचारी, दोनों पर अप्रत्यक्ष रूप से नर-हत्या का अभियोग लगाया गया।

मार्च २८ : क्वीन्स काउन्टी के जज फैरेल के सामने दो प्रतिवादी चिकित्सकों ने अपने विरुद्ध चलाये गये अभियोग को रद्द कर दिये जाने का एक प्रस्ताव रखा।

जून, १९५३ से मार्च १९५४ तक : श्रीमती बेहानन, जो स्वयं एक चिकित्सका थीं, ने अमरीकी अस्पतालों की चिकित्सा-प्रणाली के कार्य आदि का अध्ययन करने में काफी समय लगाया।

अब, इस अवस्था में, हमारे न्यूयार्क कार्यालय के महावाणिज्यदूत, उस समय के अधिकारी, श्री आर्थर लाल का जिक्र आता है। अप्रैल, १९५४ में, बेहानन दम्पत्ति ने, जिन्हें श्री लाल भलीभांति जानते भी थे, श्री लाल से सम्पर्क स्थापित किया और यह प्रार्थना की चिकित्सकों के विरुद्ध अभियोग के खारिज कर दिये जाने के विरुद्ध अपील करने के लिये उन्हें एक विशेष अभियोजक दिया जाये। उन्होंने श्री लाल से कहा कि वे राज्यपाल के सन्मुख उस मामले को रखें। उस अवस्था में, बेहानन दम्पत्ति यही चाहते थे कि मामले को शीघ्रता से आगे बढ़ाया जाये। मामला न्यायाधीन था। यह तो स्पष्ट ही है कि हमारे महावाणिज्यदूत न्यायालय के निर्णय के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सके। उन्हें केवल यही करना था कि वे न्यायिक परीक्षण की शीघ्रता से कराने के लिये न्यूयार्क राज्य के राज्यपाल की सहायता लेते, क्योंकि आपको याद होगा कि लगभग दो वर्ष का समय तो उसमें लग ही चुका था। वास्तव में, महावाणिज्यदूत कोई राजनयिक अधिकारी नहीं होता है, वह एक वाणिज्यक अधिकारी ही होता है। हमारे महावाणिज्यक दूत ने शीघ्र ही हमारे वाशिंगटन स्थित राजदूतावास से सम्पर्क स्थापित किया और वहां के हमारे मंत्री ने उनको सलाह दी कि वे स्वयं ही न्यूयार्क राज्य के राज्यपाल से उस सम्बन्ध में बातें करें। मई में, हमारे महावाणिज्यदूत ने उस मामले के शीघ्र निबटारे के सम्बन्ध में सहायता मांगते हुए राज्यपाल के कार्यालय को लिखा। जून २३ को, हमारे महावाणिज्यदूत को राज्यपाल के सहायक सलाहकार की ओर से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि न्यायाधीश ने मामले को खारिज कर दिया था। बेहानन दम्पत्ति की ओर से यही शिकायत की गई थी कि उस मामले को निबटाने में विलम्ब किया जा रहा था। अब निर्णय सुनाया जा चुका था। ११ जुलाई को, बेहानन दम्पत्ति ने श्री लाल को फिर से लिखा कि मामला अभी भी राज्यपाल के यहां विचाराधीन था और वास्तव में, श्री लाल ने तत्काल ही उन्हें उत्तर दे दिया कि राज्यपाल के सलाहकार ने उन्हें सूचित कर दिया था कि उस मामले का निर्णय किया जा चुका था और उसे खारिज कर दिया गया था। ११ जुलाई के अपने पत्र में, बेहानन दम्पत्ति ने कहा था, मैंने स्वयं वह पत्र देखा है और मैं उनके एक वाक्य की ओर आप का ध्यान विशेष तौर पर आकर्षित करना चाहता हूं :—उन्होंने पत्र के अन्त में कहा था :

"आप इस मामले में जो कुछ कर रहे हैं, हम उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।"

[श्री अनिल के० चन्दा]

बेहानन दम्पत्ति ने इसी के बाद हमारे महावाणिज्यदूत से मामले के परीक्षण के लिये एक विशेष अभियोजक जुटाने का अनुरोध किया था। हमारे महावाणिज्यदूत से उस मामले को राज्यपाल तुरंत ले जाने के लिये कहा गया था। महावाणिज्यदूत ने तत्काल ही राज्यपाल के सलाहकार के पास श्री बेहानन की याचिका की एक प्रति भेजते हुए अनुरोध किया कि मामले को राज्यपाल के सन्मुख प्रस्तुत कर दिया जाये। १६ अगस्त को राज्यपाल के कार्यालय से एक उत्तर प्राप्त हुआ था, जिसमें न्यायाधीश द्वारा अभियोग के खारिज करने के निर्णय की एक फोटो प्रति भी रखी हुई थी और साथ में कहा गया था कि उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे कि उस मामले के पुनः परीक्षण के लिये किसी विशेष अभियोजक की नियुक्ति आवश्यक हो। उसमें यह भी कहा गया था कि उसके कार्यालय ने सभी प्रस्तुत सामग्री पर सावधानी से विचार करने के बाद उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं पाई थी कि जिसके आधार पर कि वह उस मामले में कोई अग्रेतर कार्यवाही की जाती। यही सारा मामला है।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम्) : क्या माननीय उपमंत्री ने श्रीमती बेहानन द्वारा प्रकाशित 'एशियाई लोगों के साथ न्याय' नामक पुस्तिका और उसमें दिये गये तथ्यों को देखा है? क्या उसके बाद, वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने उस मामले पर फिर से कार्यवाही की थी?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : मैंने वह पुस्तक देखी है। पुस्तक के प्रकाशन से पहले, हमारे प्रधान मंत्री के पास उसकी एक पांडुलिपि प्रति भेजी गई थी, और हमारे मंत्रालय ने उस पूरे मामले की जांच की थी। उसके बीसवें अध्याय में वह बात कही गई है जिसे लेखिका ने हमारे महावाणिज्यदूत के कारनामें बताया है। मैं सभा के सामने उस मामले से सम्बन्धित प्रलेखों के उद्धरण प्रस्तुत कर चुका हूं। और साथ में मैं यह भी बता दूं कि हमारे महावाणिज्यदूत ने अपनी मानहानि के लिये उस पुस्तक के लेखकों पर मुकदमा चलाने की अनुमति भी मांगी थी। यहां न्यूयार्क राज्य को वैधानिक प्रणाली, या न्यूयार्क नगर के अस्पतालों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कुछ बताना मेरा काम नहीं है। यहां तो मुझे अधिकारी की प्रतिष्ठा से ही मतलब है, जिसे उस मामले का इस प्रकार निर्देश करके श्री एच० एन० मुकर्जी द्वारा बदनाम किया गया है।

मेरी इच्छा थी कि वह यहां इस समय उपस्थित होते और अपनी गलती महसूस करते जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कि यदि उन्होंने मुझ से इस मामले का उल्लेख भी किया होता, तो मैं उनके सामने सारी सामग्री प्रस्तुत कर देता और तब वह उसके सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से कोई भी निर्णय करने की स्थिति में होते। यदि वह यहां उपस्थित होते, तो मैं उन्हें याद दिलाता कि आक्सफोर्ड विश्व-विद्यालय की वक्तृत्व कला और इसाई उदारता एक साथ भी पाई जा सकती है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[**अध्यक्ष महोदय** द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के चौथे स्तम्भ में दी गई राशियों से अनधिक राशियां, दूसरे स्तम्भ में दिये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये दी जायें :

मांग संख्यायें २२, २३, २४, २५ और ११९"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[जो मांगें सभा द्वारा स्वीकृत हुईं वे नीचे दी जाती हैं—सम्पादक]

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपयों में)
२२.	आदिम जाति क्षेत्र	६,१०,५७,०००
२३.	वैदेशिक कार्य	६,८१,६५,०००
२४.	पांडिचेरी राज्य ...	२,७८,९४,०००
२५.	वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय ...	५,०७,०००
११९.	वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२५,३३,०००

त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के विषय में संकल्प

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अधीन २३ मार्च, १९५६ को राष्ट्रपति द्वारा की गई त्रावनकोर-कोचीन सरकार के सारे कार्यों को अपने हाथ में लेने की घोषणा का अनुमोदन करती है।"

मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने के लिये आपका और माननीय सदस्यों का अभारी हूं। इससे इस सत्र के निर्धारित कार्यक्रम में एक सीमा तक हस्तक्षेप हुआ है, और इससे मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये इस विषय की अविलम्बनीयता ही सिद्ध होती है।

राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्यवाही अलंघनीय और आवश्यक हो गई थी। वे परिस्थितियां कुछ शोभनीय नहीं थीं, और मुझे उन परिस्थितियों पर खेद है कि उनका यह परिणाम हुआ। मैं तो सामान्य रूप से चलने वाले संवैधानिक प्रशासन को ज्यों का त्यों रखना ही पसन्द करता। लेकिन, दुर्भाग्यवश त्रावनकोर-कोचीन में हाल के कुछ सप्ताहों में हुई घटनाओं में हमारी उस इच्छा को ढहा दिया।

त्रावनकोर-कोचीन एक सुन्दर मनोहर प्रदेश है और सामरिक दृष्टिकोण से भी उसका कुछ महत्व है। सांस्कृतिक रूप से वह बहुत उन्नत है; साक्षरता और जन संख्या की घनता में तो वह सर्व प्रथम है। लेकिन, जहां तक स्थायी लोकतन्त्रात्मक परम्पराओं और परिस्थितियों की स्थापना का सम्बन्ध है, मैं यह देखता हूं कि वह इसमें भी उतना आगे नहीं बढ़ पाया है जितनी कि उससे आशा की गई थी। वह प्रदेश अब भी इस सम्बन्ध में शिशुसमान ही है और यह वर्तमान संकट नई परम्पराओं की जड़ जमाने में होने वाली कठिनाइयों जैसा ही है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि त्रावनकोर और कोचीन को जुलाई १९४९ में संयुक्त किया गया था। उस समय दोनों राज्यों के प्रतिनिधिक निकायों के सदस्य एक ही दल में सम्मिलित हुए थे और उन्होंने पिछले आम चुनावों तक त्रावनकोर-कोचीन राज्यों के कार्य-भार को सम्भाला था। उन चुनावों के परिणामस्वरूप किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो सका था। वास्तव में वहां शायद अन्य राज्यों की अपेक्षा दलों की संख्या भी अधिक थी। विधान मंडल को राज्य के कार्यों को चलाने के लिये एक संयुक्त बहुमत दल को स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था। सभा में कांग्रेस का ही सब से बड़ा दल था। वह परिस्थिति को सम्भालना चाहती थी। उसे यह विचार

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित जी० बी० पन्त]

पसन्द नहीं था कि सभा विसर्जित कर दी जाये और फिर से नये चुनाव किये जायें। वह राष्ट्रपति तथा संसद् के निर्देशों के अन्तर्गत या उसके द्वारा राज्य का प्रशासन चलाये जाने की सम्भावना से भी यथा सम्भव बचना चाहती थी। इसीलिये कांग्रेस ने स्वयं पीछे हटकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मंत्रिमंडल का समर्थन करना स्वीकार कर लिया था, और श्री थानू पिल्ले मुख्य मंत्री बन गये थे। वह लगभग एक वर्ष तक पदस्थ रहे थे। वास्तव में वह कांग्रेस पार्टी के समर्थन से ही उस पद पर आसीन रह सकते थे, क्योंकि ११८ सदस्यों की सभा में प्रजा समाजवादी पार्टी की शक्ति कुल २० सदस्यों की ही थी। कांग्रेस ने अपना समर्थन वापिस ले लिया और प्रजा समाजवादी पार्टी के मंत्रालय ने मंत्रित्व से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद सभा के सब से बड़े दल—कांग्रेस—ने अपने सामान्य पक्ष—राज्य कांग्रेस और त्रावनकोर तामिलनाड कांग्रेस के कुल ५८ सदस्यों के साथ कुछ अन्य सदस्यों को भी मिलाकर मंत्रिमंडल बनाया। और, कांग्रेस १० मार्च तक, लगभग एक वर्ष तक, शासन व्यवस्था को सम्भाले रही। कांग्रेस-दल के छः सदस्यों ने उससे पदत्याग कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इसकी सदस्य संख्या इतनी कम हो गयी कि उसकी स्थिति उतनी अभेद्य नहीं रह गयी जितनी कि पहले थी। इसलिये कांग्रेस दल के नेता ने राजप्रमुख को यह सूचना दी कि वह सरकार का उत्तरदायित्व पूरा करने में समर्थ नहीं थे और उनको दूसरी सरकार बनाने की सम्भावनाओं की खोज करने का परामर्श दिया। राजप्रमुख ने कम्युनिस्ट पार्टी के, जो कांग्रेस के बाद सभा में दूसरी सब से बड़ी पार्टी थी, जिसकी सदस्यासंख्या उस समय २७ थी, नेता से वार्त्ता की। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने कुछ समय मांगा और कुछ पारस्परिक विचार विमर्श भी किया, और तीन दिन के बाद उन्होंने राजप्रमुख को यह सूचना दी कि वह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे। इसके उपरान्त राजप्रमुख ने प्रजा समाजवादी पार्टी के नेता से वार्ता की। उस समय ११८ सदस्यों की सभा में प्रजा समाजवादी पार्टी की सदस्य संख्या केवल १५ ही थी, परन्तु फिर भी राजप्रमुख ने सोचा कि यदि प्रजा समावजादी पार्टी आगे बढ़े तो स्थिति को बचाया जा सकता था। प्रजा समाजवादी पार्टी को समय दिया गया और एक समय तो उस दल के नेता ने यह सूचना दी कि उनको कुछ अन्य दलों के नेताओं और कुछ सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से आश्वासन प्राप्त हो चुके थे और इस प्रकार उनको ५९ आश्वासन प्राप्त हो चुके थे और वह कुछ और आश्वासनों की प्रतीक्षा में थे। बाद में उन्होंने कहा कि वह अन्य लोगों के सम्बन्ध में उनको अगले दिन सूचना देंगे, परन्तु सम्भवतः बाद में यह प्रस्ताव शायद सफल नहीं हो सका। तदुपरान्त, ५९ में से दो सदस्यों ने अपना समर्थन वापस ले लिया और उन्होंने राजप्रमुख को यह सूचना दे दी कि जिस प्रकार के मंत्रिमंडल की स्थापना करने की प्रस्तापना की जा रही थी, वह उसका समर्थन नहीं कर सकेंगे।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : इन दोनों के नाम क्या हैं ?

†**पंडित जी० बी० पन्त** : एक का नाम श्री शोशाद्रिनाथ शर्मा है और दूसरे हैं नारायणन पोट्टि।

इन लोगों के निकल जाने से—और कुछ अन्य के सम्बन्ध में भी कुछ सूचनायें प्राप्त हुई थीं, परन्तु उनके सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता हूं—राजप्रमुख को ज्ञात हुआ कि २१ तारीख तक, प्रजा समाजवादी पार्टी जितने लोगों को एकत्र कर पायी थी उनकी संख्या ५७ से अधिक नहीं थी—११८ में ५७, जोकि गणित के अनुसार आधे से भी कम होती थी। इसलिये प्रजा समाजवादी पार्टी मंत्रिमंडल बनाने की स्थिति में नहीं थी। जहां तक कि तथ्यों का सम्बन्ध है, मैंने उनको आंकड़ों के साथ बता दिया है, और इनसे कोई भी व्यक्ति सहज ही निष्कर्ष निकाल सकता है और इस निर्णय पर पहुंच सकता है कि क्या परिस्थितियां थी और क्यों यह कार्यवाही करना आवश्यक और अपरिहार्य हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जैसा कि मैं कह चुका हूं समस्त देश में साधारण निर्वाचन किये जाने के बाद से त्रावनकोर-कोचीन में एक निर्वाचन और हो चुका है । त्रावनकोर-कोचीन विधान सभा में विभिन्न दलों की संख्या ६ से आठ तक पहुंच गयी थी; पद त्याग के समय कांग्रेस दल की शक्ति, त्रावनकोर तमिलनाड कांग्रेस सहित ५४ थी, कांग्रेस से त्याग पत्र देने वाले सदस्य ६, कम्युनिस्ट पार्टी २७, प्रजा समाजवादी पार्टी १५, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ६, केरल समाजवादी पार्टी ३, स्वतन्त्र ३ और अध्यक्ष १ । स्पष्ट ही था कि इन दलों के अपने विभिन्न कार्यक्रम थे और उनकी अपनी-अपनी आकांक्षायें थीं । परन्तु फिर भी राजप्रमुख को यह इच्छा थी कि यदि किसी प्रकार क्रम-परिवर्तन और मेल द्वारा ऐसा कोई प्रबन्ध किया जा सके जो नये दलों, अथवा दलों के नये संयोगों अथवा संघों को प्रशासन चलाने में समर्थ बना सके, तो वह अपने कंधों पर अधिक उत्तरदायित्व उठाने की आवश्यकता का निवारण कर सकेंगे । यही तथ्य, कि आंकड़े उसी प्रकार के थे जैसे कि मैंने बतायें हैं, यह भली प्रकार प्रकट कर देंगे कि किसी टिकाऊ सरकार की स्थापना करना कितना कठिन था । इस मामले में तो , जैसा मैं कह चुका हूं, अस्थायी अवधि के लिये भी संख्या की दृष्टि तक से बहुमत लक्षित नहीं हो रहा था । परन्तु यदि एक या दो का भी बहुमत प्रतीत होता तब भी मैं समझता हूं कि यह देखना आवश्यक होता कि क्या इस प्रकार स्थापित की गयी सरकार टिकाऊ होगी, क्योंकि यदि इस प्रकार किया गया प्रबन्ध पुनः व्यर्थ हो जाना था और उसके फलस्वरूप कुछ ही सप्ताह के भीतर सरकार का पतन हो जाना था तो इस प्रकार के अधकचरे प्रबन्ध से कोई लाभ होने वाला नहीं था । राजप्रमुख और स्थापित की जाने वाली सरकार के सम्मुख यह कठिनाई बनी ही रहती । आय-व्ययक को पारित करना था, और यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो गयी होती और यदि लेखानुदान पर मतदान वास्तव में पहली अप्रैल से पूर्व ही पूरा न किया जा सकता, तो सम्पूर्ण प्रशासन ही अत्यन्त विषयम स्थिति में पड़ जाता । दलों के बीच सामान्य से अधिक महत्व के प्रश्नों के सम्बन्ध में स्पष्ट मतभेद थे, जो कुछ अवसरों पर देश को हिला सकते थे । कम्युनिस्ट पार्टी किसी एक तालुके को तामिलनाड को हस्तांतरित कर देने के पक्ष में थी; प्रजा समाजवादी पार्टी इसके विरुद्ध थी । लोक-सभा में जैसे ही राज्य पुर्नगठन आयोग की सिफारिशों पर वाद-विवाद आरम्भ होता, यह कठिनाई इस प्रकार के समझौतों के मार्ग में बाधक हो जाती और वह समझौता टूट जाता । पिछले इतिहास का ध्यान रखते हुए यह आवश्यक है कि त्रावनकोर-कोचीन में जो भी सरकार बनायी गयी होती, अथवा बनायी जाये, उसमें कुछ टिकाऊपन होना चाहिये । अपने-अपने भिन्न-भिन्न कार्य-क्रम रखने वाले दलों के बीच सहज ही किये गये समझौतों के आधार पर स्थापित की गयी सरकारें अनिवार्य रूप से अस्थिर होती हैं । अपने विभिन्न दलों के प्रति सदस्यों की निष्ठा बदलती रहती है और जब केवल सरकार बनाने के लिये ही ऐसे अनेक दल एक साथ मिल जाते हैं, तब उनका निषेध और भी अधिक बढ़ जाता है । जब केवल एक या दो का बहुमत होता है तब वास्तव में प्रत्येक सदस्य कुल शक्ति में से ५८ या ५६ में से एक या दो कम के बराबर हो जाता है, क्योंकि यदि केवल एक सदस्य अपना समर्थन वापस ले ले, तो मंत्रिमंडल का पतन हो जाता है; एक सदस्य ५६ के बराबर हो जाता है । इसलिये एक को भी वही महत्व देना पड़ता है जो ५६ के पूरे समूह को दिया जाता है, और ६० में किसी भी एक व्यक्ति की आत्म तुष्टि की अपनी भावनायें, मांगें अथवा आंकाक्षायें हो सकती हैं । मैं 'डरा धमका कर अनुचित लाभ उठाने' की बात का तो उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि यह कोई सम्मानपूर्ण प्रथा नहीं है । परन्तु लोगों को फुसलाया और उन पर दबाव तो डाला ही जा सकता है ।

†**श्री ए० के० गोपालन** (कन्नूर) : लोगों को खरीदा जा सकता है ।

†**पंडित जी० बी० पन्त :** लोगों को खरीदा भी जा सकता है—यह सच है—केवल एक ही दल द्वारा नहीं वरन् सम्भवतः अनेक.....

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ए० के० गोपालन** : इस समय कांग्रेस दल द्वारा ।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : मैं किसी दल का नाम नहीं लूंगा । मैं यह स्वीकार करने के लिये तैयार हूं कि श्री गोपालन स्वयं इस सीमा तक नहीं गिर सकते हैं ।

†**श्री ए० के० गोपालन** : निश्चय ही नहीं ।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : यह मैं स्वीकार करता हूं । परन्तु दलों के सम्बन्ध में मैं कुछ भी कहने के लिये तैयार नहीं हूं, क्योंकि दलों में प्रत्येक प्रकार के और प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति होते हैं ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : धन्य-धन्य ।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : श्री मोरे ऐसा इसलिये कह रहे हैं क्योंकि वह किसी दल में नहीं हैं, वह केवल अपने आचरण के लिये ही उत्तरदायी हैं, अपने अपचार के लिये नहीं ।

इसलिये, स्थिति कुछ जटिल हो जाती है और राज्य साधारण निर्वाचन के बाद पुनः निर्वाचन करने पर भी किसी टिकाऊ सरकार की स्थापना करने में सफल नहीं हुआ है । साधारण निर्वाचन के बाद जब यह देखा गया कि दलगत स्थिति प्रायः अपरिवर्तित ही रही थी । तो पुनः मतदान कराने का प्रश्न ही नहीं उठता था । इससे न केवल धन वरन् समय और शक्ति की चिन्ता और द्विविधा का कारण बन गयी होती । ऐसा करना भावनाओं को उत्तेजित कर देता और सम्भवतः कटुता और उद्विग्नता उत्पन्न हो जाती है । इसके अतिरिक्त, हम पहली अक्तूबर के आस-पास एक नये राज्य के निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे हैं । इसलिये, उस तिथि से पूर्व किये गये किसी भी निर्वाचन की उपयोगिता समाप्त हो जायेगी और नये राज्य को उसके बाद अन्य सभी राज्यों के साथ अगले वर्ष के आरम्भ में पुनः निर्वाचन करना होगा । इसलिये नये निर्वाचन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपयुक्त बहुमत द्वारा सरकार चलाना असम्भव होगा । यहां तक कि जो दल मिलने के लिये तैयार होकर भी केवल अल्पमत में ही रहे, उन्होंने भी एक ही विधान सभा दल बनाने के लिये अपना विलयन नहीं किया । उनमें से प्रत्येक ने अपना-अलग व्यक्तिगत स्वरूप और अस्तित्व कायम रखा इसलिये एक सीमित प्रयोजन के लिये भी प्रायः कोई संयोग अथवा संयुक्त दल नहीं बनाया जा सका । ऐसी परिस्थितियों में, उस उद्घोषणा को, जिसके द्वारा राष्ट्रपति ने त्रावनकोर-कोचीन को प्रशासित करने का उत्तरदायित्व संसद् को दे दिया है, जारी करने के अतिरिक्त कोई और चारा ही नहीं था ।

मैं इसको पूर्णतया अलोकतन्त्रात्मक ढंग नहीं कह सकता हूं क्योंकि पुराने समय में, जब हमारे यहां संसद् नहीं थी और नामोद्दिष्ट किये गये सदस्य केन्द्र पर हावी थे, यह बात कही जा सकती थी । इस समय संसद् में, जो देश भर में सर्वोपरि है, देश के उत्तमोत्तम व्यक्ति मौजूद हैं और त्रावनकोर-कोचीन के कार्य सीधे उन्हीं की निगरानी और देखरेख में होंगे । इस हद तक, यदि माननीय सदस्य इस राज्य के कार्यों के प्रति अभिरुचि दिखाने की कृपा करें, तो सम्भवतः उसका कार्य उस समय की अपेक्षा जब कि वह अपना कार्य देश के एक एकान्त स्थित कोने में अलग चलाता होता, अधिक अच्छी प्रकार किया जा सकेगा और उसको अधिक ध्यान और सहानुभूति प्राप्त हो सकेगी ।

इसलिये, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगण । इस अपनाये गये ढंग से—जो इन परिस्थितियों में एक मात्र सम्भव उपाय था—सहमत होंगे । कभी-कभी इंग्लैंड, कनाडा, आयरलैंड अथवा टिंबकटू तक में हुई बातों का उल्लेख किया जाता है, परन्तु उन स्थानों में हमारे संविधान के अनुच्छेद ३५७ के समान कोई उपबन्ध नहीं है । इसलिये उन देशों का कोई उल्लेख करना अथवा उनके उदाहरण प्रस्तुत करना अप्रासंगिक होगा । उन देशों में इस प्रकार का उपबन्ध करने की दूरदर्शिता नहीं थी

†मूल अंग्रेजी में

और हमारे संविधान के निर्माताओं में इतनी बुद्धिमता और चातुर्य था कि उन्होंने प्रत्येक आयात और संकट काल के लिये उपबन्ध कर लिया और यह उपबन्ध परेशान राज्यों की दयनीय स्थिति में सहायता करता है और राष्ट्रपति को उनके कार्यों का प्रबन्ध करने का अधिकार देता है जिससे कि उनके रोगों की अच्छी तरह चिकित्सा की जा सके और वह अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करें।

जहां तक त्रावनकोर-कोचीन राज्य का सम्बन्ध है, हमारी यही आशा है और हमें विश्वास है कि जिस समय राष्ट्रपति का शासन समाप्त होगा उस समय त्रावनकोर-कोचीन की जनता अधिक अच्छी स्थिति में होगी और लोकतन्त्र के गुणों, लाभों और वरदानों को अधिक अच्छी तरह से समझ सकेगी और इस ढंग से आगे बढ़ेगी जिससे कि देश में घटनाओं के लोकतन्त्रात्मक क्रम की गारंटी की जा सके।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संकल्प प्रस्तुत किया गया।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस संकल्प के सम्बन्ध में कुछ संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। संशोधन संख्या १ और २ श्री कामत के नाम में है और नकारात्मक हैं इसलिये उनकी अनुमति नहीं दी जाती है जहां तक संशोधन संख्या ३ का प्रश्न है मैं उसकी अनुमति देता हूं। इसी प्रकार मैं संशोधन संख्या ४ की अनुमति नहीं देता। श्री थामस के नाम में संशोधन संख्या ५ और ७ और श्री वेलायुधन के नाम में संशोधन संख्या ६ ठीक हैं। इस प्रकार संशोधन संख्या ३, ५, ६ और ७ को प्रस्तुत किया गया माना जाता है। जो माननीय सदस्य दलों के नेता हैं उनको २० मिनट और अन्य को १५ मिनट दिये जायेंगे।

†**श्री अशोक मेहता** (भंडारा): हम २० मिनट में यह कार्य नहीं कर सकते हैं। तथ्यों के सम्बन्ध में मत भेद है। हम इस कार्य को २० मिनट में कैसे कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** जहां तक दलों के नेताओं का प्रश्न है, यदि मैं देखूंगा कि वह २० मिनट में समाप्त नहीं कर पाते हैं तो मैं उनको १० मिनट और दे दूंगा।

श्री कामत (होशंगाबाद), श्री थामस (एरणाकुलम) और श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित अनुसूचित जातियां) ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये।

†**श्री ए० के० गोपालन :** मैं इस संकल्प का अत्यन्त तीव्र विरोध करता हूं। मैं यह भी कहता हूं कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य की सरकार के कार्य को अपने हाथ में ले लेने के इस संकल्प का प्रभाव अलोकतन्त्रात्मक, अनुचित और अनियमित है और इस देश की लोकतंत्रात्मक परम्परा के सभी सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं।

इस सभा में हम राष्ट्रपति की उद्घोषणा के सम्बन्ध में कोई पहली बार ही चर्चा नहीं कर रहे हैं। यह तीसरा मौक़ा है। पहले पेप्सू राज्य के अधिकार अपने हाथों में लिये गये थे. फिर आंध्र के, और अब त्रावनकोर-कोचीन के अधिकार लिये जा रहे हैं।

हम से प्रत्येक दिन यही कहा जाता है कि इस देश में लोकतंत्रात्मक शासन विकसित हो रहा है और यह भी कहा जाता है कि जहाँ तक लोकतंत्रात्मक शासन के कार्य करण का सम्बन्ध है, हम लोग एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि इस कार्य का प्रभाव यह हो कि चार वर्षों में तीन बार राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़े तब हम भली प्रकार यह समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और इस देश में लोकतंत्रात्मक शासन किस ढंग से कार्य कर रहा है।

जहाँ तक गृह-कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों का सम्बन्ध है, जिस समय पेप्सू और आन्ध्र का प्रश्न इस सभा के समक्ष आया था उस समय भी हम को यही कारण बताये गये थे। इन दोनों अवसरों पर यही कहा गया था कि यही एक मात्र रास्ता था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ए० के० गोपालन]

इस समय भी यही कारण बताया गया है क्योंकि यह कारण बताने के स्थान पर यदि यह कह दिया जाता कि कुछ अन्य व्यक्ति शासन संभालने के लिये तैयार थे, तो इस उद्घोषणा की आवश्यकता ही क्या थी ।

इसलिये जहाँ तक तथ्यों का सम्बन्ध है, हमको यह कहना है कि जो तथ्य हमको ज्ञात हुए हैं वह उनसे बिल्कुल भिन्न हैं जो यहाँ बताये गये हैं । जैसा कि गृह-कार्य मंत्री ने कहा है, यह एक का ही अंतर हो सकता है परन्तु यही बात बहुत महत्वपूर्ण है । गृह-कार्य मंत्री ने स्वयं कहा है कि एक ही व्यक्ति के अन्तर से निश्चय ही बहुत बड़ा अन्तर पड़ जाता है । केवल इतना ही नहीं । इस सम्बन्ध में एक और बात ऐसी है जिसकी ओर मैं संकेत करना चाहता हूँ क्योंकि अक्तूबर में कुछ घटनायें होने वाली हैं । इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया है ।

आप किस प्रकार की सरकार को टिकाऊ सरकार कहेंगे ? टिकाऊ सरकार बनाने के लिये कितने सदस्य होने चाहियें ? क्या बहुमत समूह की अथवा अल्पमत समूह की आवश्यकता है ? इन प्रश्नों का उत्तर देना और इन पर विचार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि पेप्सू, आंध्र और त्रावनकोर-कोचीन में हमें सभी तरह के उदाहरण मिल चुके हैं ।

इस समय क्या स्थिति है ? जो स्थिति समझायी गयी है वह इस प्रकार है । एक कांग्रेसी मंत्रिमण्डल था । कांग्रेस मंत्रिमंडल को इसलिये पदत्याग करना पड़ा क्योंकि ६ सदस्यों ने कहा कि वह कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे और वह कांग्रेस से बाहर चले गये ।

इन ६ सदस्यों के निकल जाने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राजप्रमुख से मिलने गये । उन्होंने कहा कि दूसरा अकेला बहुमत दल होने के नाते उनका दल तो मंत्रिमण्डल बनाने में समर्थ नहीं होगा, परन्तु उनको कुछ समय दिया जाना चाहिये, क्योंकि प्रजा समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों की सहायता से वह ६० अथवा ६१ का टिकाऊ बहुमत प्राप्त कर सकेंगे । उन्होंने दो या तीन दिन का समय मांगा जिससे कि वह टिकाऊ बहुमत प्राप्त करने का प्रयास कर सकें । उसके अगले दिन प्रजा समाजवादी पार्टी के नेता श्री पट्टम थानु पिल्ले ने राजप्रमुख से भेंट की । उन्होंने उनको समूहों के इन सदस्यों के, जो बिना शर्त उनका समर्थन करने को तैयार थे, हस्ताक्षर युक्त पत्र दिये :

प्रजा समाजवादी पार्टी १६; वामपक्षी कुल मिला कर (साम्यवादी, क्रान्तिकारी समाजवादी दल) और केरल समाजवादी पार्टी ३९; स्वतन्त्र २; त्रावनकोर तामिलनाद कांग्रेस २; कांग्रेस २ । कांग्रेसी श्री ए० आर० मैनन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था । कांग्रेस दल के नेता, भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने बाद में कहा कि शायद यह उनका पत्र न हो । लोगों ने उनसे कहा और वह राजप्रमुख से स्वयं मिलने आये । तब उन्होंने बताया कि वह पत्र का समर्थन करते हैं । श्री शर्मा ने भी लिखित रूप में इसका समर्थन किया । प्रजा समाजवादी पार्टी के नेता ने ६१ नाम दिये जिनमें से एक नाम को निकाल दिया गया । कई लोगों का कहना है कि उन्हें अपहृत किया गया था । कुछ भी हो वह दो तीन दिन तक गायब रहें । चाहे वह स्वयं चले गये हों या उन्हें अपहृत किया गया हो, इस प्रकार २३ तारीख को ६१ में से ६० रह गये थे । पट्टम थानु पिल्ले ने ६१ व्यक्तियों के हस्ताक्षर दिखा कर मंत्रिमण्डल बनाने को कहा । राजप्रमुख इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने ६१ व्यक्तियों के हस्ताक्षर देखे थे ।

कांग्रेस दल को इस बात का पता चल गया कि उनके दो सदस्य पट्टम थानु पिल्ले से मिल गये थे । भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने सोचा कि कुछ न कुछ करना चाहिये । उन्होंने कहा कि वह राजप्रमुख से मिले थे । जबकि प्रजा समाजवादी पार्टी के नेता उनसे मिल चुके थे तो राजप्रमुख ने श्री गोविन्द मैनन को क्यों बुलाया ? मेरा विचार है कि पट्टम थानु पिल्ले को मंत्रिमण्डल बनाने के लिये जान बूझ

कर नहीं बुलाया गया। क्योंकि राज्य परिषद् के निर्वाचन होने को थे जिसमें कांग्रेस दल के महा सचिव का निर्वाचन क्षेत्र था। इसी कारण २३ तक कुछ नहीं किया गया। जब राजप्रमुख को नामों की सूची दी गई, यदि उनकी इच्छा होती, तो अगले दिन मंत्रिमण्डल बनाया जा सकता था। परन्तु उन्होंने तीन दिन तक किस बात की प्रतीक्षा की ? केवल राज्य परिषद् के निर्वाचन के लिये यह सब कुछ किया गया। विधान सभा का विघटन करने का भी निर्णय किया जा चुका था।

प्रथम सामान्य निर्वाचन में प्रजा समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के सहयोग से मंत्रिमण्डल बनाने की स्वीकृति कुछ विशेष कारणों से दी गई थी। अब जब कि उनकी संख्या ६० थी इन्हें स्वीकृति क्यों नहीं दी गई ?

गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि वहां मंत्रिमण्डल बना रहे। यदि यही विचार था तो राष्ट्रपति अनुच्छेद ३५६ (१) (ग) के अन्तर्गत विधान मण्डल को अंशत: निलम्बित कर सकते थे और इसका पूर्णत: विसर्जन करने की आवश्यकता न थी और फिर कोई यह भी नहीं कह सकता था कि एक्य केरल का प्रारम्भ राष्ट्रपति शासन से हुआ। प्रथम अक्तूबर को एक्य केरल बन जायेगा और केरल के ३० सदस्यों को जो मद्रास विधान सभा में हैं, आने से हालत बिल्कुल बदल जायेगी और इन ६० व्यक्तियों के साथ लगभग २५ और मिल जायेंगे और वहां एक गैर कांग्रेसी स्थायी सरकार बन जायेगी। सरकार यह नहीं चाहती थी। सरकार चाहती थी कि मद्रास के ३० सदस्य भी मंत्रिमण्डल बनाने में भाग लें। इस प्रकार यह एक षडयन्त्र रचाया गया है और इस आधार पर यह निश्चय किया गया है कि वहां बहुमत नहीं था।

प्रथम सामान्य निर्वाचन में कांग्रेस ४६, प्रजा समाजवादी पार्टी १९, त्रावनकोर तामिलनाद कांग्रेस १२ और अन्य दलों में ४० सदस्य थे। उस समय भी प्रजा समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के सहयोग से मंत्रिमण्डल बनाने की स्वीकृति दी गई थी। फरवरी १९५५ में कांग्रेस और त्रावनकोर तामिलनाद कांग्रेस की संख्या ६० से कम थी फिर भी उसे मंत्रिमण्डल बनाने की स्वीकृति दी गई परन्तु प्रजा समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट दल को स्वीकृति नहीं दी गई।

त्रावनकोर-कोचीन, पैप्सू और आंध्र में यह देखा गया है कि कांग्रेस का बहुमत हो और कांग्रेस के सहयोग से मंत्रिमण्डल बन सकता हो तो मंत्रिमण्डल बनने दिया जाता है और यदि दूसरे दलों का बहुमत हो तो उनका मंत्रिमण्डल नहीं बन सकता अर्थात् या तो कांग्रेसी मंत्रिमण्डल होगा या राष्ट्रपति शासन।

यदि आप लोकतन्त्र को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो विरोधी दल को मंत्रिमण्डल बनाने का अवसर दीजिये। यदि वह मंत्रिमण्डल ठीक प्रकार कार्य न चला सके तब आप राष्ट्रपति शासन लागू करें। हमारी समझ में यह बात नहीं आती है कि आप यह क्यों कहते हैं कि अन्य दल मिल कर कार्य नहीं कर सकते हैं और कोई स्थायी सरकार नहीं बना सकते हैं।

अनुच्छेद ३५६ में एक विशेष अनुबन्ध है जिसके अनुसार राष्ट्रपति संविधान का अंशत: अथवा पूर्णत: निलम्बन कर सकता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ १ अक्तूबर से एक्य केरल राज्य बनाया जायेगा। मद्रास विधान सभा के ३० सदस्यों में कांग्रेस के केवल चार सदस्य हैं और अन्य दलों को बहुमत प्राप्त है। अत: संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की कोई सम्भावना नहीं थी और मंत्रिमण्डल बनाया जा सकता था और यदि केन्द्रीय सरकार यह चाहती थी कि एक्य केरल का निर्माण प्रथम अक्तूबर को स्थायी सरकार के साथ हो तो संविधान का अंशत: निलम्बन किया जा सकता था ताकि हम देख सकते कि स्थायी सरकार बनाई जा सकती है या नहीं, परन्तु हमें यह अवसर नहीं दिया गया है।

[श्री ए० के० गोपालन]

मैं जानता हूँ कि गृह-कार्य मंत्री और प्रधान मंत्री अपने बाहुबल से हमारी बातों की खिल्ली उड़ायेंगे जैसा कि पैप्सू और आंध्र में राष्ट्रपति शासन पर चर्चा करते समय किया गया था। वह चाहते हैं कि भारत में कहीं भी विरोधी दल मंत्रिमण्डल न बना सके और जहां कहीं इसकी सम्भावना हो विधान-मण्डल को विघठित कर दिया जाये और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाये ताकि उसके पश्चात् कांग्रेस दल की संख्या बढ़ जाये। राष्ट्रपति शासन पांच छः मास पश्चात् कांग्रेस पुनः सत्ता प्राप्त कर लेती है।

त्रावनकोर-कोचीन की २८ नगर पालिकाओं के निर्वाचन हुए। केवल छः नगरपालिकाओं में कांग्रेसी सदस्यों का बहुमत है। अन्य सब में विरोधी दलों का बहुमत है। इस पर भी ध्यान देना चाहिये। जब विरोधी दल की संख्या ६० थी उस समय उन्हें मंत्रिमण्डल बनाने देना चाहिये था। केरल की जनता बहुत निर्धन है परन्तु यहां साक्षरता की प्रतिशतता भी भारत में सब से अधिक है। अतः राष्ट्रपति के शासन के कारण वहां की जनता में बड़ी बेचैनी फैलेगी।

कांग्रेस इस बात की घोषणा करती रही है कि विरोधी दल को मंत्रिमण्डल बनाने का अवसर दिया जायेगा परन्तु व्यवहारिक रूप से कुछ भी नहीं किया जाता है। अतः मैं इस संकल्प का विरोध करता हूँ और सत्तारूढ़ दल को चेतावनी देता हूँ कि विधानमण्डल को विघठित करने की जो कार्यवाही की गई है उससे जनता में बड़ी बेचैनी फैल गई है और निर्वाचनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

†**श्री अशोक मेहता** : गृह-कार्य मंत्री ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूँ। संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत यह उद्घोषणा की गई है। यह एक आपात उपबन्ध है। राज्य में किस प्रकार का आपात पैदा हुआ है ? वहां के प्रशासन को व्यवहारिक असफलता नहीं मिली है अतः हमें देखना है कि क्या राजनैतिक गतिरोध के कारण तो यह आपात उत्पन्न नहीं हुआ है।

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर चर्चा करते समय भी मैंने यह बात कही थी कि राजप्रमुख के प्रतिवेदन के बिना इस प्रश्न का निर्णय नहीं किया जा सकता। लोक-सभा को राजप्रमुख के विचार जानने का अधिकार होना चाहिये। राजप्रमुख का प्रतिवेदन सन्तोषजनक भी नहीं है इसीलिये उद्घोषण में "अन्य जानकारी" जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है।

आपको स्मरण होगा कि जब संविधान सभा में इस उपबन्ध पर विचार किया जा रहा था तो डा० अम्बेदकर ने यह स्पष्ट किया था कि शब्द "अन्यथा" का प्रयोग इसलिये किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार पर 'देश की एकता, सुरक्षा और प्रादेशिक अखंडता' का भार डाला गया था। इन्हीं हालात में "अन्य जानकारी" सम्बन्धी प्रश्न सुसंगत जान पड़ता है परन्तु इस अन्य जानकारी के क्या साधन हैं यह कोई नहीं जानता। डा० अम्बेदकर ने बताया कि इस अनुच्छेद का प्रयोग कब किया जायेगा। उन्होंने कहा था कि किसी प्रान्त के प्रशासन को निलम्बित करने से पूर्व सम्बन्धित प्रान्त की जनता को एक चेतावनी दी जायेगी और यदि इस से काम न चले तो निर्वाचन द्वारा जनता इसका निर्णय करेगी और दोनों साधनों के निष्फल होने पर इस अनुच्छेद को कार्यान्वित किया जायेगा। उस समय डा० अम्बेदकर एक साधारण सदस्य के रूप में नहीं बल्कि सरकार के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे थे। परन्तु हम देखते हैं कि कांग्रेस दल को बचाने और इसकी हालत को सुधारने के लिये बार-बार इस अनुच्छेद को कार्यान्वित किया गया है। वास्तव में इस अनुच्छेद का दुरुपयोग किया गया है।

त्रावनकोर-कोचीन में कांग्रेस की आवश्यकताओं के अनुसार नीति और उसके सिद्धान्तों में जो परिवर्तन होते रहे हैं वे बहुत रुचिकर हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजप्रमुख कांग्रेस दल की मंत्रणा को स्वीकार करते रहे हैं। १९५२ में श्री जौन को मंत्रिमण्डल बनाने के लिये कहा गया था, हालांकि उनका दल अल्पसंख्यक था। १९५३ में श्री जौन ने विधान सभा का विसर्जन करने की मंत्रणा दी जिसे स्वीकार कर लिया गया जबकि १९५४ में श्री पट्टम थानु पिल्लै की इसी प्रकार की सलाह को ठकुरा दिया गया। फरवरी, १९५५ में राजप्रमुख ने श्री गोविन्द मैनन को ५९ सदस्यों के समर्थन से मंत्रिमण्डल बनने का निमन्त्रण दिया जबकि मार्च, १९५६ में इसी हालत में श्री पट्टम थानु पिल्लै को स्वीकृति नहीं दी गई।

स्थायी सरकार बनाने के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। मान लीजिये आगामी सामान्य निर्वाचनों में कोई दल बहुमत प्राप्त नहीं करता है तो क्या संविधान का पूर्णतः निलम्बन कर दिया जायेगा? कई बार मिली जुली सरकार बनानी पड़ती है और कई बार अल्प संख्यक वर्ग की सरकार को ही स्वीकार करना पड़ता है। फ्रांस में भी इस समय अल्प संख्यक वर्ग की मिली जुली सरकार है।

मैं सभा के नेता, प्रधान मंत्री, पर यह आरोप लगाता हूँ कि उन्होंने देश में गलत प्रथायें आरम्भ की हैं। ब्रिटिश परम्पराओं का उन पर इतना प्रभाव है कि वह डिज़रैली की भांति सोचते हैं कि लोग मिली जुली सरकार पसन्द नहीं करते हैं, परन्तु यह विचार गलत है। आवश्यकता पड़ने पर मिली जुली सरकार को स्वीकार न करना भी बुद्धिमानी नहीं होती है।

त्रावनकोर-कोचीन में निर्वाचन हुए और उनके परिणाम स्वरूप किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो सका और जनता के निश्चय का विरोध संसद् को भी नहीं करना चाहिये।

श्री ए० के० गोपालन ५९ सदस्यों के बारे में सुसंगत तथ्या बता चुके हैं। मेरी जानकारी के अनुसार उनकी संख्या ६१ थी और मैं उनके नाम भी बता सकता हूं।

जब एक व्यक्ति के गायब हो जाने के बारे में कहा गया तो सदस्यों ने इसका मज़ाक उड़ाया परन्तु यह एक गम्भीर विषय है। उस सदस्य का अभी तक कुछ पता नहीं है और मलियाली दैनिक समाचारपत्र **मातृभूमि** में कहा गया है कि रात के ग्यारह बजे यह खबर फैली की सब-डिवीज़नल दण्डाधिकारी ने मुख्य मंत्री के घर की तलाशी लेने के लिये वारंट जारी किये हैं। पुलिस और संवाददाता मुख्य मंत्री के मकान पर पहुँचे। संवाददाताओं को बाहर ठहरा कर पुलिस ने घर में प्रवेश किया और कुछ समय पश्चात् पुलिस ने बाहर आ कर बताया कि तलाशी ले ली गई थी और अन्दर कोई नहीं था। वापस आते समय एक पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि यह तलाशी केवल नाममात्र ही थी।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि श्री नारायण पोट्टी ने अपना नाम वापस लेने के लिये जो पत्र राजप्रमुख को लिखा था उसके साथ मुख्य मंत्री का भी एक पत्र था जिसमें यह लिखा था कि सदस्य ने उनके सामने हस्ताक्षर किये थे। उसके पश्चात् श्री नारायण पोट्टी का कुछ पता नहीं चला। श्री नारायण पोट्टी के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इन बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या ऐसे व्यक्तियों के आधार पर स्थायी सरकार बनाई जानी है?

†**श्री अशोक मेहता** : मैं नहीं कह सकता कि इसमें सदस्य का दोष है या कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री का जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर लिये गये और जिन्होंने अन्तिम बार उसे देखा। हमें इन बातों की उपेक्षा और अवहेलना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये बल्कि जो बातें होती हैं उनकी ओर पूरा ध्यान देना चाहिये।

अब मैं आपका ध्यान मुख्य मंत्री के कुछ वक्तव्यों की ओर दिलाता हूँ, जो उन्होंने १२ और २६ मार्च के बीच की अवधि में दिये। १२ मार्च को उन्होंने कहा था कि उन्हें सत्तारूढ़ रहने का कोई नैतिक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अशोक मेहता]

अधिकार नहीं था क्योंकि बहुमत उनके पक्ष में नहीं था। उन्होंने विरोधी दलों के कुछ सदस्यों की सहायता प्राप्त करके विधानमण्डल में काम चलाना उचित नहीं समझा था। किन्तु उनका अन्तिम वक्तव्य क्या है ?

"यदि विरोधी दल वस्तुतः प्रशासक के प्रशासन से बचना चाहते थे, तो वे कांग्रेस का समर्थन कर सकते थे।"

श्री गोविन्द मेनन, श्री थामस और श्री पट्टम थानु पिल्लै में से किसी ने भी राजप्रमुख को विधान सभा को विघठित करने का परामर्श नहीं दिया था। वे सब चाहते थे कि राजप्रमुख वैकल्पिक मंत्रिमण्डल बनाने का प्रयत्न करें। वास्तव में श्री गोविन्द मेनन का अनुमान यह था कि वह विरोधी पक्ष में रहेंगे और एक वेकल्पिक सरकार बना ली जायेगी। इसके बाद वह दिल्ली गये और बड़े-बड़े व्यक्तियों से मिले। इस बीच श्री थामस और श्री थानु पिल्लै राजप्रमुख से मिले। किन्तु जब श्री गोविन्द मेनन दिल्ली से वापस लौटे तो राजप्रमुख ने उन्हें फिर मंत्रिमण्डल बनाने का निमंत्रण दिया और यह जानते हुए दिया कि कांग्रेस दल मंत्रिमण्डल बनाने की स्थिति में नहीं था उन्होंने श्री थानु पिल्लै के प्रस्ताव पर जिन्हें ६१ सदस्यों का समर्थन प्राप्त था, ध्यान ही नहीं दिया। परिणाम यह है कि २४ मार्च को श्री गोविन्द मेनन कहते हैं कि "जब तक राजनैतिक दल उचित व्यवहार न करें, उत्तरदायी प्रशासन का भविष्य अन्धकारमय रहेगा।" हम तो प्रजातंत्र के निर्माण के लिये उचित व्यवहार करने के लिये तैयार हैं। सत्तारूढ़ दल ही हमारी कोशिशों को निष्फल बनाना चाहता है।

इस आवर्तक संकट के लिये कौन उत्तरदायी है ? केवल कांग्रेस दल ही, क्योंकि इसने या तो अपने मित्रों से मित्रता बनाये नहीं रखी या इसने उन लोगों की सहायता करना छोड़ दिया, जिनकी कि यह सहायता किया करता था। गृह-मंत्री इस बात की खोज नहीं करना चाहते हैं कि कांग्रेस दल ने इस प्रकार का रवैया क्यों अपनाया है। श्री गोविन्द मेनन ने अन्त में कहा है कि राष्ट्रपति का शासन विरोधी गुटों के अनुत्तरदायी रवैये का ही परिणाम है। स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के शासन का उद्देश्य विरोधी पक्ष को बदनाम करना है। यह बात गलत है कि स्थायी सरकार बनाये जाने की सम्भावयतः नहीं थी। अन्य विकल्पों पर भी विचार नहीं किया गया। यह सब कुछ जानबूझ कर किया गया है। किन्तु मैं यह बता देना चाहता हूँ कि यह अदूरदर्शिता की नीति है। त्रावनकोर-कोचीन में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का निलम्बन न राज्य के लिये लाभदायक है और न किसी राजनैतिक दल के लिये। ऐसी कार्यवाही से राज्य की जनता को लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा है।

राज्य पुनर्गठन और बकारी की समस्यायें बहुत महत्वपूर्ण हैं। राज्यों के पुनर्गठन के मामले में राज्य से कोई सलाह नहीं ली जायेगी और लोगों के प्रतिनिधियों की राय नहीं पूछी जायेगी। इह विषय में राष्ट्रपति का शासन राज्य की जनता के हितों और आत्म-सम्मान के विरूद्ध है, और बेकारी की समस्या केवल सलाहकार के यह कह देने से, कि वह इस पर सावधानी से विचार करेंगे, हल नहीं हो जायेगी उसको जनता का सहयोग कभी प्राप्त नहीं हो सकेगा और बेकारी की स्थिति और भी खराब होती जायेगी।

मैं समझता हूँ कि गृह-कार्य मंत्री ने न केवल राज्य की राजनीति को हानि पहुँचाई है, बल्कि कांग्रेस दल को भी हानि पहुँचाई है। यह दल चुनाव जीतने के लिये सभी प्रकार के गंठजोड़ करता रहा है और इस की जो आन्तरिक त्रुटियां हैं, वह पहले की भांति आज भी मौजूद हैं। जब तक कि यह दल कुछ समय तक विरोधी दल के रूप में काम न करे और कठिनाइयों का सामना न करे, यह अपनी खोई हुई शक्ति और एकता को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है। किन्तु गृह-कार्य मंत्री किसी भी राज्य में थोड़े से समय के लिये भी अपने दल का कोई विरोधी नहीं देखना चाहते हैं।

देश में लोकतंत्रात्मक शक्तियों को प्रोत्साहन देने और लोकतंत्रात्मक प्रक्रियाओं में विश्वास दृढ़ करने की बजाये, आप इस बहाने एक उद्घोषणा को जारी कर देते हैं कि मंत्रिमण्डल में स्थायित्व नहीं है। २६ तारीख तक राष्ट्रपति के सलाहकारों ने प्रतीक्षा की और राज्य विधान सभा को काम करने दिया। केवल २६ को ही उन्हें सहसा मालूम हुआ कि कोई स्थायित्व नहीं था। कम से कम उन लोगों को जिन्होंने कि यह दावा किया था कि उन्हें बहुमत प्राप्त था, विधान सभा का निर्णय प्राप्त करने का अवसर तो दिया जाना चाहिये था। इस में अधिक समय न लगता। किन्तु यह अवसर नहीं दिया गया और राज्य के लोकतंत्रात्मक प्रशासन को जान बूझ कर निलम्बित कर दिया गया।

कहा जाता है कि यह कार्यवाही संवैधानिक है। यदि संविधान के शब्दों को देखा जाये, तो ऐसा करना ठीक हो सकता है, किन्तु क्या यह संविधान की भावना के अनुकूल है? आखिर राज्य की जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं। उन्हें अपना मंत्रिमण्डल बनाने दीजिये और अपने अनुभव से लाभ उठाने दीजिये।

जैसा कि मैंने पहले कहा था राष्ट्रपति की उद्घोषणा से न किसी राजनैतिक दल को लाभ पहुँचा है और न ही यह देश के सामान्य हित में है कुछ समय के लिये सत्तारूढ़ दल की गुटबन्दी को लाभ अवश्य पहुँचा है और मैं इसे बहुत लज्जा और खेद की बात समझता हूँ कि गुटबन्दी के हेतु सिद्धांतों को छोड़ दिया जाये।

†**श्री ए० एम० थामस :** यदि उन परिस्थितियों में जो गृह-कार्य मंत्री ने अपने भाषण में बताई हैं, श्री पट्टम थानु पिल्ले मंत्रिमंडल बना लेते तो यह संसदीय लोकतंत्र का उपहास करना ही होता। मैं समझता था कि राष्ट्रपति के शासन से इस सदन में साम्यवादी दल के नेता और प्रजा समाजवादी दल के उपनेता को प्रसन्नता होगी। गत वर्ष त्रावनकोर-कोचीन में साम्यवादी दल ने ही श्री थानु पिल्ले द्वारा कांग्रेस दल की सहायता से मंत्रिमंडल बनाने पर 'विरोध दिवस' मनाया था। आज श्री गोपालन इस बात पर आंसू बहा रहे हैं कि उसी श्री पिल्ले को मार्च, १९५६ में मंत्रिमण्डल नहीं बनाने दिया गया। इस सम्बन्ध में, प्रजा समाजवादी दल ने केन्द्रीय स्तर पर जो रवैया अपनाया है, वह उसके राज्य स्तर के रवैये से भिन्न है। किन्तु मैं इस के विस्तार में जा कर सदन का समय नहीं लेना चाहता।

राष्ट्रपति ने त्रावनकोर-कोचीन का शासन अपने हाथ में ले लिया है। मुझे इस स्थिति पर चाहे कितना ही खेद क्यों न हो, मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत कर के दिखा सकता हूँ कि ऐसा करना न केवल अनिवार्य था, बल्कि उचित, संवैधानिक और लोकतंत्रात्मक भी था। इस स्थिति से बचने के लिये मेरा दल १९५२ से स्वयं मंत्रिमण्डल बना कर या किसी अन्य दल को बनाने के लिये कह कर कोशिश कर रहा था। संवैधानिक स्थिति की चर्चा करने से पहले, मैं सदन का ध्यान पृष्ठभूमि की ओर दिलाता हूँ।

१९५२ में जब कि केन्द्र और राज्यों में नये मंत्रिमण्डल बनाये गये थे, त्रावनकोर-कोचीन विधान सभा के कांग्रेस दल ने जो उस समय सब से बड़ा दल था, श्री जान के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल बनाया था, जो कि लगभग दो वर्ष तक रहा। जब तामिलनाड कांग्रेस के १४ सदस्यों ने इस का समर्थन करना छोड़ दिया, तो एक विश्वास प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल की हार हो गई। उस समय श्री थानु पिल्ले ने स्वयं कहा था कि विधान सभा को विघटित कर के नये चुनाव कराये जायें। १९५४ में चुनाव हुए। दलों की स्थिति वैसी ही रही। कांग्रेस दल के सदस्यों की संख्या सब से अधिक थी किन्तु फिर भी उस का बहुमत नहीं था। उस समय कांग्रेस ने क्या किया? एक दल को जिसके पास सदन के ११९ स्थानों में से केवल १८ स्थान थे, मंत्रिमण्डल बनाने दिया और राष्ट्रपति के शासन से बचने के लिये कांग्रेस ने उस का समर्थन किया। प्रजा समाज वादी दल के श्री थानु पिल्ले के इस मंत्रिमण्डल से बाद में कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ए० एम० थामस]

और इस मंत्रिमण्डल की हार हो गई। इसके बाद कांग्रेस दल ने जिस के सदस्यों की संख्या ११७ में से ५९ थी, श्री गोविन्द मेनन के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल बनाया। इस मंत्रिमण्डल को केवल एक ही सदस्य का बहुमत प्राप्त था। इसके बाद जो घटनायें हुईं माननीय सदस्य उन को जानते हैं। चूंकि कांग्रेस दल के ६ सदस्यों ने संसदीय दल से त्यागपत्र दे दिया था, इसलिये कांग्रेस दल का मंत्रिमण्डल जारी नहीं रह सकता था, और श्री गोविन्द मेनन ने मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। इन परिस्थितियों में यह संभवतः सब से उचित बात थी और विरोधी पक्ष को इस पग की सराहना करनी चाहिये थी। चूंकि इनके दल के सदस्यों की संख्या ११७ में से ५४ थी, इसलिये अपने मंत्रिमण्डल को जारी रखना उन्होंने उचित नहीं समझा और मंत्रिमण्डल ने ११-३-५६ से त्यागपत्र दे दिया। श्री गोविन्द मेनन ने राज्यप्रमुख से यह भी कहा कि वह एक वैकल्पिक मंत्रिमण्डल बनाने की संभाव्यता पर विचार करें। श्री गोविन्द मेनन के त्यागपत्र देने के बाद दलों की स्थिति क्या थी ? कांग्रेस के सदस्य ५४ थे, विद्रोही कांग्रेसी ६, साम्यवादी २७, प्रजा समाजवादी १५, आर० एस० पी० ९, के० एस० पी० ३ और स्वतंत्र ३। इन तीन स्वतंत्र सदस्यों में से दो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे और एक साम्यवादी दल का। छः विद्रोही कांग्रेसी कांग्रेस के मंत्रिमण्डल के सिवाय और किसी अन्य मंत्रिमण्डल का समर्थन करने के लिये तैयार नहीं थे। इसलिये स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के शासन के सिवाय और कोई चारा ही नहीं था।

मुख्य विरोधी दल के नेता, श्री टी० बी० थामस भी राजप्रमुख से मिले थे और उनसे कहा था कि वह मंत्रिमण्डल बनाने के लिये तैयार थे, किन्तु उस के दो दिन बाद उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की। इसी तरह साम्यवादी दल का प्रश्न समाप्त हो जाता है। श्री थानु पिल्ले से भी पूछा गया था कि क्या वह मंत्रिमण्डल बना सकेंगे। श्री पिल्ले बहुत से कांग्रेसियों के घर गये और उन से पूछा कि क्या वे उनका समर्थन करेंगे। अन्त में उन्होंने राजप्रमुख से जा कर कहा कि उन्हें ५९ व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त था। ये ५९ व्यक्ति कौन थे साम्यवादी २७, उन का अपना दल १५, आर० एस० पी० ९, के० एस० पी० ३ और कांग्रेसी ४। किन्तु उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि राजप्रमुख श्री थानु पिल्ले के दावे पर विश्वास नहीं कर सकते थे। बाद की घटनाओं से यही सिद्ध होता है। उन चार कांग्रेसियों के नाम ये थे : श्री त्यागंय्या, श्री शर्मा डा० ए० आर० मेनन, और श्री ओ० आर० चुमार। श्री शर्मा ने कहा था कि उनका ख्याल था कि एक सर्वदलीय मंत्रिमण्डल बनाया जा रहा था, इसलिये उन्होंने समर्थन देने का प्रस्ताव किया था। स्पष्ट है कि वह श्री थानु पिल्ले को समर्थन देने के लिये तैयार नहीं थे। श्री चुमार का कहना यह था कि वह केवल राष्ट्रपति के शासन से बचने के लिये किसी अन्य दल का समर्थन करना चाहते थे और इस समय प्रजासमाजवादी दल ही एक ऐसा दल था। वह केवल इस दल को परखना चाहते थे। के० एस० पी० ने, जिस के तीन सदस्य थे स्पष्ट कह दिया था कि वह श्री थानु पिल्ले का समर्थन करने के लिये तैयार नहीं थे। केवल एक कांग्रेसी सदस्य श्री ए० आर० मेनन ने कहा था कि वह उन्हें समर्थन देने के लिये तैयार थे। श्री एम० पी० मेनन ने एक वक्तव्य में कहा था कि वह किन्हीं शर्तों पर अपना समर्थन दे सकते थे। श्री नारायण पोट्टी के अपहरण आदि की कहानी बिल्कुल बनावटी है। वह इस बात को सिद्ध कर चुके थे कि वह प्रजा समाजवादी दल का समर्थन करने के लिये तैयार नहीं थे। इन परिस्थितियों में श्री थानु पिल्ले का बहुमत कहां रह जाता है ? उन के द्वारा कोई स्थायी मंत्रिमण्डल बनाये जाने की बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं थी। मुझे श्री अशोक मेहता के टसुवे बहाने पर बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि वह बार-बार यही रोना रोते हैं कि प्रजा समाजवादी दल था फिर भी श्री थानु पिल्ले को मंत्रिमण्डल नहीं बनाने दिया गया।

मेरा निवेदन है कि उस समय जो परिस्थितियां थी, उन में त्रावनकोर-कोचीन में किसी स्थायी मंत्रिमण्डल के बनने की कोई आशा नहीं थी। राजप्रमुख ने सब प्रकार के प्रयत्न कर के यह अनुमान कर लिया था।

एक आरोप यह भी लगाया गया है कि राष्ट्रपति का शासन राज्य सभा के चुनावों में सफलता प्राप्त करने के लिये जारी किया गया था। उस समय दलों की स्थिति देखते हुए, कांग्रेस के उम्मेदवार के लिये राज्य सभा के चुनाव लड़ना खतरे से खाली नहीं था; क्योंकि यदि अवधि बढ़ाई जानी थी तो साम्यवादी दल के सचिव का सफल होना अनिवार्य था। श्री एम० एम० गोविन्दन नायर सब से अधिक मत प्राप्त कर के सफल हुए और अगला स्थान कांग्रेस के महासचिव ने जीता। अतः उक्त आरोप में कुछ भी सचाई नहीं है। हमारा संविधान एक लिखित संविधान है। अनुच्छेद ३५६ के अधीन राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। श्री गोपालन का यह कहना उचित नहीं है कि इस अनुच्छेद के भाग (ग) के अधीन कार्यवाही की जा सकती थी। मैं कहता हूँ कि भाग (क) और (ख) पहले आते हैं और उन के बाद ही भाग (ग) का प्रश्न उठता है।

इस स्थिति में हम ब्रिटेन की परम्परा नहीं अपना सकते। आंध्र में भी जब ऐसी ही स्थिति थी तो इस विषय पर काफी चर्चा की गई थी।

त्रावनकोर-कोचीन के राजप्रमुख ने जो कार्यवाही की है वह न्यायोचित है और प्रजातांत्रिक परम्पराओं के अनुसार है।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालना आवश्यक समझता हूँ। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने जिन शब्दों में मेरे राज्य का वर्णन किया है उनको दृष्टि में रखते हुए उनका कृतज्ञ हूँ। हमारे राज्य में शिक्षितों की प्रतिशतता सब से अधिक है और बड़े-बड़े प्रतिष्ठित पुरुष भी वहाँ पैदा हुए हैं। ऐसे शिक्षित राज्यों में राष्ट्रपति का शासन होना कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। वहाँ पर उथल-पुथल प्रायः होती रहती है। अब तक छः बार वहाँ के मंत्रिमण्डल बदल चुके हैं। इन सब बातों से वहाँ की सरकार में एक अस्थायी वातावरण फैला हुआ है। उदाहरण के लिये, वहाँ के इस वर्ष के बजट को ही लीजिये। प्रति वर्ष वहाँ का बजट त्रिवेन्द्रम् में छपता है किन्तु इस वर्ष वहाँ का प्रेस उसे समय पर छापने को तत्पर नहीं था। वहाँ पर किसी को यह भी न बताया गया कि निकट भविष्य में ही मंत्रिमण्डल बदलने वाला है। अन्त में वित्त विभाग के कर्मचारियों को विवश हो कर समस्त बजट, सरकारी प्रेस, मद्रास में छपाना पड़ा। इस से अधिक शोचनीय कार्य और क्या हो सकता है ?

†**एक माननीय सदस्य :** रहस्योद्घाटन।

†**श्री ए० एम० थामस :** जब मैं एक गम्भीर विषय पर बोल रहा हूँ तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सूनें।

मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रपति के शासन से वहाँ की स्थिति में सुधार हो सकेगा। वहाँ की आर्थिक दशा ठीक न होने के कारण ही वहाँ इतनी गड़बड़ होती है। मुझे यह जान कर बड़ी खुशी हुई है कि जो परामर्शदाता वहाँ भेजे गये हैं उन्होंने बताया है कि शिक्षित बेकारी की समस्या दूर करने को प्राथमिकता दी जायगी। त्रावनकोर-कोचीन में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है अतः सरकार को इस राज्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

चाहे श्री अशोक मेहता या श्री गोपालन कुछ भी कहें, वहाँ के व्यक्ति राष्ट्रपति के शासन का स्वागत करते हैं क्योंकि वे राजनैतिक दलों की टक्करों से तंग आ गये हैं। इस राजनैतिक अवसरवादिता को दूर करने के लिये राष्ट्रपति का शासन सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसके साथ मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि वहाँ की स्थिति पेप्सू अथवा आंध्र जैसी नहीं है। यदि वहाँ की समस्याओं को हल नहीं किया गया तो जनता में असन्तोष फैल जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ए० एम० थामस]

वहाँ की विधान-सभा में अनेक भूमि-विधेयक अभी विचाराधीन हैं। वे शीघ्र से शीघ्र संसद् द्वारा पारित किये जाने चाहिये। इस विषय में गृह-कार्य मंत्री को त्रावनकोर-कोचीन तथा मलाबार के प्रतिनिधि सदस्यों से आवश्यक परामर्श करना चाहिये।

१ अक्तूबर को वहाँ नये राज्य का जन्म होने वाला है; अतः मलाबार के सदस्यों से राय लेना भी वांछनीय है। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ और अपने संशोधन के लिये भी सभा से सिफारिश करता हूँ जिस में यह कहा गया है कि इन स्थितियों में राजप्रमुख द्वारा केवल यही एक उचित कार्यवाही की जा सकती थी।

†**श्री एस० के० पाटिल** (बम्बई नगर—दक्षिण) : मैं इस संकल्प के पक्ष में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि साम्यवादी और प्रजा-समाजवादी नेता क्या कह रहे हैं। वे कहते हैं कि वहाँ राष्ट्रपति का शासन नहीं होना चाहिये।

श्री गोपालन कहते हैं कि २ अक्तूबर को वहाँ नया राज्य बनने वाला है और मलाबार से उन के दल के अनेक व्यक्ति आने वाले हैं जो नये केरल राज्य की विधान-सभा में बहुसंख्या में होंगे। क्या इस का हम यह अर्थ निकालें कि उस दिन की प्रतीक्षा में अभी से सारा काम चौपट कर दिया जाय और जो खेल तमाशा वहाँ चल रहा है उसे चलने दिया जाय ?

हमें यह बताया गया है कि कांग्रेस ने अपनी इज्जत बचाने के लिये वहाँ राष्ट्रपति का शासन लागू किया है किन्तु पिछले चार वर्षों में क्या स्थिति थी ? विरोधी दलों को सरकार बनाने के अवसर दिये गये थे किन्तु उनकी सरकारें असफल सिद्ध हुई। मैं उस राज्य का निवासी नहीं हूँ फिर भी मुझे ज्ञात है कि वहाँ की सरकार कैसे अजीब तरीके से चल रही है। प्रति वर्ष वहाँ नई सरकार स्थापित करने की कोशिश की जाती है। हम फ्रांस की सी दशा भारत में नहीं करना चाहते। हमारे देश की और उन देशों की उन्नत स्थिति में बहुत अन्तर है।

प्रजातंत्र का उद्देश्य दो दलीय प्रणाली का विकास करना होता है किन्तु भारत की जनसंख्या ३७ करोड़ है और अनेक राजनैतिक दल यहाँ काम कर रहे हैं। संविधान बनाते समय इस प्रश्न पर भली भांति विचार किया गया था कि अब से कम से कम २५ वर्ष तक देश के किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि किसी राज्य में कोई भी दल बहुसंख्या में न होने के कारण सरकार न बना सके। ऐसी दशा के लिये ही अनुच्छेद ३५६ का उपबन्ध किया गया है। त्रावनकोर-कोचीन राज्य में जैसी स्थिति पैदा हो गई उस में राष्ट्रपति के शासन के अलावा और कोई चारा न था। ११८ सदस्यों की सभा में, प्रजासमाजवादी दल के सदस्यों की संख्या पन्द्रह सोलह होने पर भी वे वहाँ सरकार बनाना चाहते थे। यह एक आश्चर्य की बात है। ऐसी अजीब बात मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। ऐसा प्रयास प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है। मैं तो समझता हूँ कि इतनी कम संख्या के दल को किसी विधान-सभा में राजनैतिक दल ही नहीं समझा जाना चाहिये। इस पर भी कांग्रेस ने उन्हें एक बार सरकार बनाने का अवसर दिया था। श्री थानु पिल्ले कहते हैं कि वहाँ ५९ सदस्य एक ओर हैं किन्तु उन में से अनेक तो ऐसे हैं जो यह कहेंगे कि हमें ज़बर्दस्ती उस ओर मिला लिया गया है और यदि ५९ व्यक्ति हों भी तो उन से काम नहीं चल सकता। आजकल प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जिधर का पलड़ा भारी होता है उधर अनेक व्यक्ति अपने दल को छोड़ कर चले जाते हैं। मेरे विचार से तो किसी भी व्यक्ति को अपना दल तब तक नहीं बदलना चाहिये जब तक वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में जा कर दुबारा निर्वाचन न हो जाय। कोई व्यक्ति यदि किसी दल के टिकट पर जनता द्वारा निर्वाचित किया गया है और बाद में वह अपने दल को छोड़ देता है तो वह अपने स्वार्थ के लिये सारी जनता को धोखा देता

†मूल अंग्रेजी में

है। हमें ऐसी परम्परा स्थापित करनी चाहियें जो आने वाली पीढ़ियां भी यथावत् अपनाती चली जायें। अतः मेरे कहने का अभिप्राय: यह है कि भविष्य में त्रावनकोर-कोचीन में चाहे कोई भी दल अपनी सरकार बनाने वाला हो, इस समय तो यही आवश्यक है कि वहाँ राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाय। हम वहाँ की जनता को ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ सकते कि आये दिन नई-नई सरकारें अपना रूप दिखाती रहें।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मैं अपने पूर्ववक्ता के कथन का समर्थन करता हूँ जिन्होंने कहा है कि त्रावनकोर-कोचीन की जनता राष्ट्रपति के शासन का स्वागत करेगी। वहां के लोग पिछले चार वर्षों से इन विभिन्न दलों के कारनामें देख रहे हैं और अब वे इन से ऊब गये हैं। अन्त में मैं इस संकल्प का समर्थन करता हुआ फिर यही कहता हूँ कि त्रावनकोर-कोचीन में अपना शासन लागू कर के राष्ट्रपति ने बहुत बुद्धिमत्ता से काम लिया है और उनकी घोषणा का अनुमोदन करना सभा का कर्त्तव्य है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब श्री नेत्तूर पी० दामोदरन बोलेंगे।

†**कुमारी एनी मैस्करीन** (त्रिवेन्द्रम्) : श्रीमान् औचित्य प्रश्न के हेतु मैं यह जानना चाहती हूँ कि उस राज्य के प्रतिनिधियों को बोलने का अवसर क्यों नहीं दिया जाता है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। हम उसका भी ध्यान रखते हैं। श्री दामोदरन अपना भाषण आरम्भ करेंगे।

†**श्री वेलायुधन** : वे उस राज्य के नहीं हैं।

†**श्री नेत्तूर पी० दामोदरन** (टेल्लिचेरी) : त्रावनकोर-कोचीन राज्य में प्रजातंत्रीय सरकार के कार्य का अनुभव सन्तोषजनक नहीं रहा है। वहाँ की ९९ प्रतिशत जनता को राज्य में राष्ट्रपति का शासन जारी हो जाने से प्रसन्नता हुई है और उन लोगों ने मुक्ति की सांस ली है। वहां की जनता को आशा है कि राष्ट्रपति के शासन के फलस्वरूप वहां की स्थिति में स्थायित्व आयेगा।

श्री ए० के० गोपालन ने यह कहा है कि आगामी २ अक्तूबर को केरल राज्य बनने पर साम्यवादी और प्रजा-समाजवादी वहां एक स्थायी राज्य बना सकेंगे, मुझे मद्रास विधान-सभा में मालाबार के सदस्यों के भाग्य पर दया आती है जो आगामी दो अक्तूबर से एक प्रकार से अनाथ हो जायेंगे और कहीं के न रहेंगे। वस्तुत: मुझे उनके भाग्य पर दुःख होता है। किन्तु यह त्रावनकोर-कोचीन के कुछ राजनैतिक नेताओं के ही कुचालों और निर्लज्ज कार्यों का ही परिणाम है। कुछ भी हो ऐसी आपातकालीन स्थिति में सिवा इसके और कोई चारा भी नहीं था। श्री ए० के० गोपालन ने यह कहा है कि राष्ट्रपति को कम से कम १ अक्तूबर तक प्रतीक्षा करनी चाहिये थी और यह देखना चाहिये था कि क्या साम्यवादियों की अध्यक्षता में अथवा साम्यवादियों के समाजवादी दल के सहयोग से वहां स्थायी सरकार बन सकती है। मैं श्री ए० के० गोपालन की इस बात को चुनौती दे सकता हूँ। इस सम्बन्ध में मैं आपको प्रत्येक दल के आंकड़े दे सकता हूँ। मद्रास विधान-सभा में मालाबार के सदस्यों की संख्या इस समय केवल ३० है, जिनमें से ११ प्रजा-समाजवादी दल के और ९ साम्यवादी दल के हैं। जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री ए० एम० थामस ने कहा है, मद्रास विधान-सभा में प्रजा-समाजवादी दल के नेता त्रावनकोर-कोचीन के प्रजा-समाजवादी दल के कार्यों से सन्तुष्ट नहीं हैं और वे उसको सहयोग नहीं देना चाहते। केरल में प्रजा-समाजवादी दल के मालाबार सब से बड़े नेता श्री केलप्पन, साम्यवादियों से किसी प्रकार का गठबन्धन

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नेत्तूर पी० दामोदरन]

करने को तैयार नहीं हैं। वहां पांच मुस्लिम लीगी सदस्य हैं। मेरे विचार से साम्यवादी दल या प्रजा-समाजवादी दल उनके सहयोग पर भी भरोसा नहीं कर सकता है, इस प्रकार वहां साम्यवादी स्थायी सरकार बनाने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। मालाबार का त्रावनकोर-कोचीन से एकीकरण का यह नतीजा हो सकता है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य की राजनीति की अस्थिरता प्रस्तावित केरल राज्य में भी आ जायेगी और यह भी एक उलझनपूर्ण राज्य हो जायेगा।

मैं सभा का ध्यान त्रावनकोर-कोचीन की राजनीति में साम्प्रदायिकता के प्रभाव की ओर भी दिलाना चाहता हूँ। श्री ए० के० गोपालन ने कहा है कि साम्प्रदायिक नेताओं ने वहां कांग्रेस की शरण ली और वे कांग्रेस के टिकट पर राज्य विधान-सभा के सदस्य चुन लिये गये। वस्तुतः यह एक दुखद सत्य है; मैं इससे सहमत हूँ निर्वाचित हो जाने के बाद ये लोग कभी-कभी अपने सम्प्रदाय के लाभ को देखते हुए एक दल को छोड़ कर दूसरे में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस दल की पिछली पराजय का एक कारण यह भी था। लेकिन इन सम्प्रदायवादियों को केवल कांग्रेस ने ही टिकट नहीं दिये अपितु प्रजा-समाजवादी दल ने भी ऐसा ही किया। इस सम्बन्ध में मैं दिल्ली के एक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित सम्पादकीय टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें यह संकेत किया गया है कि त्रावनकोर-कोचीन में अस्थिरता का एक कारण यह भी है कि प्रजा-समाजवादी दल ने बिना किसी सिद्धान्त के आधार पर दूसरे लोगों के साथ गठबन्धन किया। मैं मानता हूँ कि साम्यवादी दल सबसे कम साम्प्रदायिक है; लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह साम्प्रदायिकता से मुक्त है। इसको भी अपनी शक्ति केरल के इम्पावा व हरिजन सम्प्रदाय से प्राप्त होती है। प्रजा-समाजवादी दल को नायर सम्प्रदाय से बल मिलता है कांग्रेस में सभी सम्प्रदाय हैं। इसलिये जितने शीघ्र हम साम्प्रदायिकता को वहां की राजनीति से हटा सकेंगे उतना ही यह प्रस्तावित केरल राज्य और समूचे भारत के हित में अच्छा होगा।

त्रावनकोर-कोचीन में मालाबार के एकीकरण से वहां की राजनीति में एक अन्य सम्प्रदाय के भी आने की आशंका है। भारत में मालाबार ही एक ऐसा भाग है जहां अब भी मुस्लिम लीग कार्य कर रही है। मालाबार के त्रावनकोर-कीचीन में मिल जाने से इस सम्प्रदाय का प्रभाव राजनीति पर पड़ने की सम्भावना है। अतः जब तक इसका उपचार नहीं किया जायेगा, तब तक प्रस्तावित केरल राज्य की राजनीति में स्थिरता नहीं आ सकती है।

मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करना चाहता हूँ कि उक्त परिस्थितयों में राष्ट्रपति का शासन अनिवार्य था और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे वहाँ की स्थिति में सुधार होगा और यह प्रस्तावित केरल राज्य के हित में अच्छा होगा।

श्री अशोक मेहता ने 'मातृ-भूमि' में प्रकाशित एक संवाद का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा है। यह कांग्रेसी पत्र नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय पत्र है। अगले दिन ही त्रिवेन्द्रम के संवाददाता ने यह संवाद भेजा था कि पहिले दिन का प्रकाशित यह सम्वाद कि नारायण पोट्टी विधान-सभा के एक सदस्य को ढूंढने के लिये त्रावनकर-कोचीन के मुख्य मंत्री के निवास स्थान की तलाशी ली गई, ग़लत है।

श्री मेहता ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने हर तरह का गठबन्धन किया। लेकिन ये सभी गठबन्धन प्रजा-समाजवादी दल के गठबन्धनों से कहीं अच्छे थे। निस्संदेह भाषा के मामले में त्रावनकोर तामिलनाड कांग्रेस व कांग्रेस में मतभेद हो गया लेकिन वे बाद में कांग्रेस विधान-सभा दल में सम्मिलित हो गये। लेकिन प्रजा-समाजवादी दल ने अपनी पहिली सरकार भी कांग्रेस के भरोसे पर बनाई थी और जब कांग्रेस ने अपना हाथ खींच लिया तो वे लुढ़क पड़े। अब वे साम्यवादियों के सहारे खड़े होने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए। इस पर भी वे कांग्रेस पर गठबन्धन करने का आरोप लगा रहे हैं।

इसलिये त्रावनकोर-कोचीन में अच्छी और स्थायी सरकार बनाने के लिये एक ही मार्ग बाकी रह गया है। वह है राष्ट्रपति का शासन लागू करना। मेरे विचार से इससे राज्य की स्थिति में सुधार होगा और प्रस्तावित केरल राज्य में स्थायी सरकार बनने की संभावना बढ़ेगी।

†**कुमारी एनी मैस्करीन :** अपने ही राज्य के सम्बन्ध में बोलने के लिये आपने जो मुझे अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ।

त्रावनकोर-कोचीन के राजनीतिक लोक तन्त्र-शासन के विकास की कार्यवाही से पिछले २५ वर्षों से निकट का सम्बन्ध होने के कारण, मुझे वहां की जनता की भावनाओं तथा आकांक्षाओं का पूरा-पूरा अनुभव है। त्रावनकोर-कोचीन राज्य के राजधानी-नगर की प्रतिनिधि होने के कारण मैं अच्छी प्रकार से जानती हूँ कि वहां की जनता क्या चाहती है। वैसे तो मेरा किसी पार्टी विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है तो भी एक लम्बे अरसे तक मैं कांग्रेस से सम्बद्ध रही हूँ और वहाँ के मन्त्रिमंडल में भी रही हूँ। इसीलिये मैं जनता की आवाज़ को आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। जहाँ तक इस संकल्प का सम्बन्ध है, सारी जनता का यही मत है कि सरकार ने वहां राष्ट्रपति का शासन स्थापित करके बहुत अच्छा काम किया है। इससे उन्हें न्याय और शान्ति प्राप्त करने का एक सुअवसर मिलेगा।

१९४९ में भी जब मैं वहाँ के मंत्रिमंडल में थी, मैं ने त्रावनकोर-कोचीन में राष्ट्रपति के शासन की स्थापना के लिये प्रार्थना की थी। आज भी जब वहां पर राष्ट्रपति का शासन स्थापित किया गया है मैं सरकार को बधाई देती हूँ। मैं यह बधाई वहां की जनता की ओर से दे रही हूँ। वहां की जनता ने इसके बारे में मुझे कई बार कहा था और इसीलिये मैं राष्ट्रपति के शासन के लिये समाचार पत्रों में अनेकों लेख प्रकाशित कराती रही। मुझे अपार हर्ष है कि सरकार ने हमारी भावनाओं का मान किया है और राष्ट्रपति का शासन स्थापित कर दिया है।

वहां की राजनीतिक उथल-पुथल को रोकने के लिये इससे पहले भी कई अवसर आये थे। इससे पहले भी दो बार सामान्य निर्वाचन हो चुके हैं, परन्तु फिर भी समस्या सुलझ न सकी और किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो सका। इसे सुलझाने के लिये इस समय जो कार्यवाही की गई है उसके लिये मैं सरकार को बधाई देती हूँ और गृह-मंत्री से प्रार्थना करती हूँ कि वहां के राज्य को एक न्यायपूर्ण राज्य बनाया जाये, और वहां की सभी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया जाये। वहां पर शतप्रतिशत साक्षरता होने के बावजूद भी सदैव राजनैतिक उथल-पुथल होते रहते हैं।

इस राजनैतिक संकट का वास्तविक कारण है साम्प्रदायिकता। कांग्रेस सरकार साम्प्रदायिकता को दूर करने में असमर्थ रही है; केवल इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार के मंत्री स्वयंमेव इस साम्प्रदायिकता को फैलाने का प्रयत्न करते रहे हैं। जब प्रजासमाजवादी दल की सरकार स्थापित हुई तो पहले ६ मास तक तो उन्होंने न्यायपूर्ण शासन चलाया, परन्तु उसके उपरान्त उनमें भी वही बुराई आ गई। उसके बाद कांग्रेस सरकार फिर बनी, परन्तु वह भी उस पुरानी बुराई से अलग न रह सकी। स्वार्थपूर्ति और भ्रष्टाचार के उदाहरण मिलने लगे।

मैं चाहती हूँ कि गृह-मंत्री उस स्थान पर जायें और जाकर देखें कि वह राज्य कितनी अधिक उन्नति कर सकता है। वहां के खनिज प्रधान क्षेत्रों में विकास की बहुत गुंजाइश है। वहां पर औद्योगीकरण के लिये बहुत अधिक क्षेत्र है। यद्यपि वहां पर कुछ एक उद्योग चलाये गए हैं तथापि उन्हें सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा है। मैंने स्वयं देखा है कि मिट्टी का सामान समुद्र में तथा झीलों में फेंका गया क्योंकि वह ठीक नहीं बना था। इस तरह लाखों रुपयों की मशीनें जंग से खराब हो रही हैं, उनका सदुपयोग करने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर अल्मीनियम तथा प्लाईवुड आदि

†मूल अंग्रेजी में

[कुमारी एनी मैस्करीन]

अनेकों वस्तुएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा वहां पर अनेकों उद्योग विकसित किये जा सकते हैं। परन्तु इन बातों की ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। प्रशासक जनता की पुकार नहीं सुनते थे। अब राष्ट्रपति के शासन से हमें पर्याप्त शासन सुधार की आशा है।

इसलिये राष्ट्रपति के शासन को स्थापित करने के लिये मैं आपको बधाई देता हूँ। परन्तु इसके साथ ही मैं वहां की प्रतिनिधि होने के कारण गृह मंत्री से प्रार्थना करती हूँ कि वहां की जनता के साथ न्याय किया जाये और उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने का प्रयत्न किया जाये।

†**श्री कामत** : गृह-कार्य मंत्री ने अपने संकल्प को प्रस्तुत करते समय कहा कि हम सभा के सदस्य राष्ट्र के सर्वोत्तम व्यक्ति हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता है और जिन्हें त्रावनकोर-कोचीन का प्रशासन निर्भयता से सौंपा जा सकता है।

डा० अम्बेडकर की आशंका जो उन्होंने ४ अगस्त, १९४९ को व्यक्त की थी दुर्भाग्य से सत्य प्रमाणित हुई। मेरे माननीय मित्र श्री अशोक मेहता ने उनमें से कुछ बातों का जिक्र किया जो कि उन्होंने संविधान सभा में इस सम्बन्ध में कही थीं। परन्तु जो बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी वह यह थी: उन्होंने कहा था कि मैं यह नहीं कह सकता कि इन अनुच्छेदों के दुरुपयोग की सम्भावना नहीं है। उन्होंने आगे कहा था कि हमें यह आशा करनी चाहिये कि इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जायेगी। संविधान लागू होने के ६ वर्ष से भी कम समय में इन आपातकालीन अधिकारों का चार से अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है। यद्यपि पहले असवरों पर राष्ट्रपति के अधिकार लेने की घोषणा के दो-तीन महीने पश्चात ही सामन्य चुनाव हो गये थे लेकिन इस बार ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। वहां की जनता को देश के अगले सामान्य चुनावों तक प्रतीक्षा करनी होगी। श्री ए० के० गोपालन ने यह कहा था कि राज्य विधान सभा को समाप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यदि ऐसा न किया जाता तो नये केरल राज्य बनने पर इसी सरकार को निमंत्रित किया जा सकता था और तब तक यही सरकार संविधान के उपबन्धों के अधीन कायम रहती। किन्तु यह बात सरकार के दुर्भावनापूर्ण कार्य के कारण असम्भव हो गई है। राष्ट्रपति को नेक सलाह नहीं दी गई। जो सलाह दी गई वह सलाह प्रशासक दल के ही हित में थी, प्रजातन्त्र के हित में नहीं थी।

त्रावनकोर-कोचीन की सरकार को, दल के सदस्यों की इच्छानुसार भी नहीं बदलने दिया गया। छः असहयोगी सदस्यों ने यह कहा था कि वे एक दलीय सरकार का समर्थन करने को प्रस्तुत हैं किन्तु उसका नेता बदल दिया जाय; किन्तु सरकार ने उन पर अपनी पसन्द का नेता थोप दिया, दल के पसन्द की कोई परवाह नहीं की। इस प्रकार सरकार ने स्वयं प्रजातन्त्र की अवहेलना का अपराध किया।

यह एक अजीब बात है कि आज संसद् को भारत के एक सर्वाधिक शिक्षित राज्य में प्रजातन्त्र को समाप्त करने के संकल्प का समर्थन करने के लिये बुलाया गया है।

कांग्रेस दल ने दो वर्ष पहले भी यही किया था और अब जबकि सामान्य चुनाव होने वाले हैं, राष्ट्रपति का शासन लागू करने का तात्पर्य है कांग्रेस शासन लाग् करना।

श्री एस० के० पाटिल ने कुछ मनोरंजक बातें कहीं। उन्होंने राजनैतिक और सार्वजनिक क्षेत्र में अच्छी परम्पराओं की स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सदस्य को एक दल से दूसरे दल में जाने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिये। क्या स्वयं कांग्रेस ने हमारे दल के एक

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य को बहका-फुसला कर वहां का मुख्य मंत्री नहीं बनाया, और तत्पश्चात् उसे टरका दिया ? श्री पाटिल ने संकल्प का समर्थन किया है और कहा है कि यह बड़ी अद्भुत बात है कि प्रजा समाजवादी दल, जिसके वहां केवल १९ या १५ सदस्य हैं, सरकार बनाये। मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि प्रजासमाजवादी दल ने, जिसके उस समय भी राज्य विधान सभा में १९ सदस्य थे, सरकार बनाने में कोई उत्सुकता नहीं दिखलाई। हमने अपने संकल्प में भी यह बात स्पष्ट कर दी थी कि हम यदि सरकार चाहे तो उत्तरदायित्व लेने को तैयार हैं। लेकिन अब सरकार ने त्रावनकोर-कोचीन के सम्बन्ध में अपना रवैया बदल दिया है।

गृह-कार्य मंत्री ने यह कह कर सभा को भटकाने का प्रयत्न किया है कि यदि वहां प्रजा समाजवादी या किसी अन्य दल की सरकार बनती तो वह उसी दिन समाप्त हो जाती जिस दिन वहां की सभा में राज्यपुनर्गठन विधेयक रखा जाता। वे जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन विधेयक पर कोई मत नहीं लिया जाता है। विधान सभा को विधेयक पर केवल अपना मत अभिव्यक्त करना होता है और ये मत संसद् को भेज दिये जाते हैं जहां इस विधेयक पर विवाद करते समय उनको ध्यान में रखा जाता है।

इसलिये मेरा यह सुझाव है कि राष्ट्रपति की समस्त अधिकारों को लेने की उद्घोषणा अप्रजातन्त्रीय, अनुचित और संविधान की भावना के नितांत विपरीत है। मैं आपका ध्यान उद्घोषणा के एक दो उपबन्धों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि संविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल हैं। संविधान के अनुच्छेद ३५७ में यह उपबन्ध है कि संसद् राष्ट्रपति को राज्य के विधान मंडल की विधि बनाने की शक्ति देने के लिये सक्षम होगी। परन्तु उद्घोषणा में कहा गया है कि यह शक्ति संसद्, राष्ट्रपति अथवा किसी दूसरे प्राधिकारी के पास रहेगी। क्या इसका यह तात्पर्य है कि हम अपने अधिकारों को त्याग रहे हैं ? राष्ट्रपति को यह नहीं कहना चाहिये कि उसके पास अधिकार है, यह संसद् की इच्छा के ऊपर निर्भर है कि वह अधिकार दे अथवा न दे।

मैंने संविधान सभा में इस अनुच्छेद पर चर्चा के समय कहा था कि यह हमारे इतिहास में एक अशुभ दिन है, ईश्वर भारत की रक्षा करे। आज गृह-कार्य मंत्री तथा उसके पूर्वाधिकारियों ने इन संकल्पों को प्रस्तुत करके यह सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार इस उपबन्ध का दुरुपयोग किया जा सकता है।

अन्त में, मैं प्रशासकीय दल में प्रजातन्त्रीय भावना तथा संघीय भावना के अभाव का जिक्र करूंगा। यदि प्रशासकीय दल यह चाहता है कि सारे भारत के सभी राज्यों में एक ही दल की सरकार हो तो उसे निकट भविष्य में निराशा होगी। जान पड़ता है कि हमारी सह-अस्तित्व की नीति केवल विदेशों के लिये है अपने देश में प्रयोग करने के लिये नहीं।

मैं सभा को यह चेतावनी देता हूं कि प्रशासकीय दल ने आपातकालीन उपबन्धों का स्वार्थ के लिये बहुत दुरुपयोग किया है, यदि मैं एक रूपक का प्रयोग कहूं तो हमारे देश में कांग्रेस की वेदी पर प्रजातन्त्र की हत्या की जा रही है, लेकिन वास्तव में इससे प्रजातन्त्र की हत्या नहीं हो सकती वह शीघ्र ही अपनी कब्र से उठ खड़ा होगा। ऐसा जान पड़ता है कि कांग्रेस, प्रजातन्त्रवाद का विकास करना तब तक नहीं सीखेगी, जब तक कि वह कुछ दिन विरोधी दल के रूप में काम करना न सीख ले। यदि तीन या चार दल एक साथ काम करें तो क्या हर्ज है; प्रजातन्त्र की कार्यप्रणाली को निश्चित करना कांग्रेस का ही ठेका नहीं है। कुछ भी हो जनता देखेगी कि हमारे देश में प्रजातन्त्र अवश्य विकसित होगा।

†**श्री अच्युतन** (क्रेंगनूर) : राष्ट्रपति का शासन पहले पेप्सू में स्थापित हुआ, फिर आन्ध्र में और अब हमारी बारी आई है। हमारे राज्य की तो एक अलग ही कहानी है।

त्रावनकोर-कोचीन में १९४८ से १९५१ तक तीन बार मंत्रिमण्डल बदल चुके हैं। कभी श्री पट्टम थानु पिल्ले ने, कभी श्री नारायण पिल्ले ने और कभी श्री केशवन् ने मंत्रिमंडल बनाया; परन्तु सरकार कभी भी स्थिर नहीं रही।

सामान्य निर्वाचन के उपरान्त भी उस राज्य में कभी भी किसी भी दल की बहुसंख्या नहीं रही। कांग्रस की बहुसंख्या नहीं थी, तो भी लोकतंत्र शासन की स्थापना करने के लिये हमने टी० टी० एन० सी० (त्रावनकोर तामिलनाद कांग्रेस) पार्टी की सहायता से वहां पर सरकार बनायी, परन्तु एक वर्ष के शासन के बाद टी० टी० एन० सी० पार्टी ने हमारा साथ छोड़ दिया और कांग्रेस सरकार समाप्त हो गई। इसीलिये १९५४ में फिर निर्वाचन हुए, तो भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, और हमने शासन में भाग न लेने का निर्णय किया। तब श्री पट्टम थानु पिल्ले के नेतृत्व में प्रजा समाजवादी दल ने अपनी सरकार बनाई। लोहिया ग्रुप श्री पिल्ले का सदा विरोध करता रहा फिर भी वह सरकार एक वर्ष तक चलती रही। तो इस प्रकार से इस अत्यन्त अस्थिर तथा डावांडोल सरकार को कांग्रेस कहां तक सहायता दे सकती थी ? प्रजा समाजवादी दल की सरकार समाप्त हुई और फिर कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली जो कि १० मार्च तक चलती रही।

तो इस प्रकार से त्रावनकोर-कोचीन की अस्थिर राजनीतिक अवस्था हमें चेतावनी देती है कि कहीं यहां की स्थिति भी फ्रांस के समान न बन जाये। श्री पिल्ले का यह कथन है कि वहां पर फिर से नये चुनाव होने चाहियें, परन्तु मैं इससे सहमत नहीं क्योंकि केवल ८ मास बाद ही तो सामान्य निर्वाचन होने वाले हैं। इसलिये हमें अपना ध्यान इन बातों की ओर से हटा कर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन राज्य के विकास की ओर लगाना चाहिये। अतः राष्ट्रपति ने अपना शासन स्थापित करके त्रावनकोर-कोचीन के लोगों को सचेत कर दिया है, उन्हें सावधान कर दिया है।

श्री अशोक मेहता फ्रांस का बड़े जोरदार शब्दों में समर्थन कर रहे थे। क्या हम भी अपने राज्य को फ्रांस के समान बनाना चाहते हैं, जिसमें हर दो मास बाद सरकार बदल जाती है ? प्रजा समाजवादी नेता छोटी-छोटी बातों पर, राज्य पुनर्गठन समस्या आदि छोटी-छोटी समस्याओं पर, ही लड़ने के लिये तैयार हो जाते हैं। क्या वे इन्हीं बातों के आधार एक स्थिर राज्य स्थापित कर सकते हैं ?

श्री गोपालन ने हम पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाया है, परन्तु क्या साम्यवादी दल में साम्प्रदायिकता नहीं है ? वह भी तो सभी के साथ समान व्यवहार नहीं कर रहा है। वह नायर लोगों के साथ पक्षपात करता है। क्या राज्य-सभा, क्या लोक-सभा सभी में नायर ही भरे पड़े हैं। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि वही दल जो भ्रातृत्व, एकत्व और स्वातन्त्रय की बातें करता है उसी में साम्प्रदायिकता भरी पड़ी है।

त्रावनकोर और कोचीन के एकीकरण के बाद दोनों ही राज्यों में असन्तोष तथा भ्रांति की लहर-सी छा गई थी। दोनों ही राज्य ये समझते थे कि दूसरे राज्य के साथ पक्षपात किया जा रहा है। इसलिये आपका कर्तव्य है कि आप इस बात का प्रयत्न करें कि दोनों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाये। अब मालाबार भी हमारे साथ आ रहा है इसलिये हमने उनके अधिकारों की भी देखभाल करनी है। केन्द्रीय सरकार इस बात का ध्यान रखे कि उन्हें उसी प्रकार के अधिकार दिये जायें और उनकी मांगें पूरी हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य विधान मण्डल में द्वितीय पंचवर्षीय योजना और राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा की जा चुकी है। अब सलाहकार का सर्व प्रथम कर्तव्य है कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने का प्रयत्न करें। राष्ट्रपति के शासन से हम एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की आशा करते हैं।

त्रावनकोर-कोचीन विधान मंडल में उत्पन्न इतने भेद भाव, लड़ाई झगड़े और वैर विरोध को देखते हुए कोई भी दल अब सरकार बनाने का साहस नहीं करता। इसीलिये गृह-कार्य मंत्रालय और राज प्रमुख की बुद्धिमत्ता और जनता की इच्छा को देखते हुए वहां राष्ट्रपति का जो शासन स्थापित किया गया है मैं उसे एक उपयुक्त उपाय समझता हूँ। यह शासन हमें भावी निर्वाचनों और शासन स्थापित करने के बारे में सचेत कर देगा।

†**श्री वेलायुधन** : मुझे इस बात का महान् दुःख है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य में राष्ट्रपति का शासन स्थापित कर दिया गया है। इस शासन का समर्थन करने वाले अन्य सदस्यों के भाषण सुन कर मुझे कोई अधिक आश्चर्य नहीं हुआ; आश्चर्य तो मुझे श्री थामस तथा श्री अच्युतन के इस कथन से हुआ है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य में विद्यमान साम्प्रदायिकता ही इस शासन की स्थापना के लिये जिम्मेदार है।

परन्तु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि वहां पर साम्प्रदायिकता फैलाने का जिम्मेदार कौन है? जो लोग इस समय साम्प्रदायिकता का आरोप लगा रहे हैं वास्तव में वे तथा अन्य अवसरवादी व्यक्ति इसे फैलाने के लिये जिम्मेदार हैं। मैं वहां के १४,००,००० हरिजनों का प्रतिनिधि हूँ, और वहां के राजनीतिक जीवन से भी पूर्णरूपेण परिचित हूँ अतः मैं जानता हूँ कि वहां पर चारों ओर साम्प्रदायिकता फैली हुई है, और इस तथ्य को हर कोई स्वीकार करता है। वहां पर नायर लोगों का बोल बाला है। पिछले दिनों, श्री गोविन्द मेनन, जो कि एक नायर हैं, वहां पर सत्तारूढ़ थे। कांग्रेस के महामंत्री भी नायर हैं। तो इस प्रकार से वे लोग जो कांग्रेस के लिये झूठे आंसू बहाते हैं और साम्प्रदायिकता के विरुद्ध भाषण देते हैं, वे स्वयं ही सब से अधिक साम्प्रदायिक हैं। अतः वहां पर चारों ओर साम्प्रदायिकता फैली हुई है। संभवतः इसीलिये वहां पर राष्ट्रपति का शासन घोषित कर दिया गया है। परन्तु अब प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार के शासन से स्थिति सुधर जायेगी। इससे पूर्व भी मैंने १९५०, १९५१, १९५२ और १९५३ में सरकारी सदस्यों को चेतावनी दी थी परन्तु किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तो आज फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह शासन वहां पर जनप्रिय नहीं है, इसे कांग्रेस के लोग भी पसन्द नहीं करते। यह सत्य है कि वहां के लोग नेहरू जी का आदर करते हैं, और इसलिये उनकी इस घोषणा को कुछ सीमा तक स्वीकार करते हैं, परन्तु सच्चे जी से नहीं करते। मैंने कांग्रेसी नेताओं को सचेत किया है और प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री को भी बताया है कि वहां की समस्या को किसी भिन्न प्रकार से हल करना होगा। और वह हल राष्ट्रपति का शासन स्थापित करना नहीं है, उसके लिये एक लोकतन्त्रात्मक उपाय अपनाना होगा। यही इसका एक मात्र समाधान है।

मैं समझता हूँ कि हमें वहां की विधान सभा का विघटन नहीं करना चाहिये था। वामपक्षी लोगों को ही शासन चलाने का अवसर दे दिया जाना चाहिये था। मेरी राय में वे इन साम्प्रदायिक और भ्रष्टाचार में परिलिप्त कांग्रेस जनों से अच्छा काम करते। वहां पर तो ऐसे अवसरवादी व्यक्ति हैं जो कि केवल अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपनी स्वार्थपूर्ति करना चाहते हैं। वहां की कांग्रेस पार्टी ने ही कई आरोप लगाये थे। तो इस प्रकार से वहां पर भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता का बोल बाला है और इसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। और अब उस

†मूल अंग्रेजी मे

[श्री वेलायुधन]

शासन का भार केन्द्रीय सरकार के कंधों पर डाल दिया गया है। मैं इस प्रकार के प्रबन्ध का समर्थन नहीं करता ।

उस राज्य में कांग्रेस के इतने भारी विरोध होने का कारण यह है कि जब हम डा० सी० पी० रामस्वामी अय्यर जैसे व्यक्ति के निरंकुश शासन से स्वतन्त्र होने के लिये प्रयत्न कर रहे थे, उस समय कांग्रेसी नेता हमारे विरुद्ध उनकी सहायता कर रहे थे। इसीलिये तो वहां की जनता कांग्रेस के विरुद्ध है। अतः यदि वहां पर प्रजातन्त्र राज्य स्थापित करना है तो गृह-कार्य मंत्री को इन सभी बातों को अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिये। जहां तक इस घोषणा का सम्बन्ध है मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि वहां के लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, वे इसे वहां पर कदापि नहीं चलने देंगे।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : उपाध्यक्ष महोदय। चूंकि आज यह पहला अवसर है जबकि आपके पीठासीन रहते हुए मैं बोल रहा हूँ, इसलिये मैं आपको इस उच्च पद की प्राप्ति के लिये बधाई देने की अनुमति चाहता हूँ। सभापति के रूप में आपने कार्यवाही का जैसा कुशल संचालन किया था उससे आप की योग्यता प्रकट हो गई थी और उससे इस बात की गारंटी मिलती है कि आपके संचालन में लोक-सभा में अच्छी परम्परायें जारी रहेंगी।

श्रीमान्! इस संकल्प पर अनेक सदस्यों ने भाषण दिये। मुझे खुशी है कि अन्तिम वक्ता को छोड़कर त्रावणकोर-कोचीन के सभी वक्ताओं ने इस का समर्थन किया है। सदस्यों ने संकल्प का केवल स्वयं ही समर्थन नहीं किया है, अपितु उनमें से कुछ ने यह भी घोषित किया है कि उनके विचार से त्रावणकोर-कोचीन की ९० प्रतिशत जनता ने इस घोषणा का समर्थन किया है और अब जो शासन प्रारम्भ होने वाला है उसको वे हर तरह से सफल और समृद्ध बनाना चाहती हैं। मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ और आशा करता हूँ कि वहां के अधिकारी भी उनका सहयोग और सहायता चाहेंगे।

मैं एक बात अवश्य स्पष्ट कर दूँ। चाहे राजनीति हो अथवा प्रजातन्त्र हो, हम सबका एक परम कर्त्तव्य है और वह यह देखना है कि जनसाधारण को अपना उचित भाग मिल जाय और किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक षडयन्त्र अथवा महत्त्वाकांक्षाओं के खेल की वस्तु न बनाया जाय। इसलिये हम चाहे जो कुछ भी करें, हमें जनता के हितों और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिये और यह देखना चाहिये कि वे पूर्ण हो सकें। हम अन्य किसी भी विचार से उस पथ से नहीं डिगेंगे।

साम्यवादी दल के नेता ने अपने भाषण के प्रारम्भ में षड़यन्त्र की बात कही जो संभवतः उनकी मूल भावना के अनुकूल ही है। मेरी अपेक्षा वह षड़यन्त्रकारी और गुप्त तरीकों के सम्बन्ध में बोलने की अधिक योग्यता रखते हैं, परन्तु इस मामले में उनका निशाना गलत लगा मालूम होता है। घोषणा का अक्तूबर में होने वाली घटनाओं से सम्बन्ध जोड़ना ठीक नहीं था। क्या वास्तव में उनके कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस दल के छः सदस्यों ने दल से इसलिये त्यागपत्र दिया कि वहां संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाय और राजप्रमुख त्रावणकोर-कोचीन के साम्यवादी दल के नेता और फिर प्रजा समाजवादी दल के नेता को आमंत्रित करके तथा १० या १२ दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद यही सिफारिश करें? क्या वास्तव में उनके कहने का तात्पर्य यह है कि यह सब इसलिये किया गया कि नवनिर्मित केरल राज्य में अक्तूबर मास में साम्यवादियों द्वारा शक्ति प्राप्त किये जाने की सम्भावना न रहे? इस से अधिक भद्दी और काल्पनिक कोई बात नहीं हो सकती।

मैं समझता हूँ कि श्री गोपालन लोक-सभा के बाहर इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके यह महसूस करेंगे कि यह तर्क उन्हें शोभा नहीं देता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यह कहा गया कि कांग्रेस दल वहां अपनी शक्ति बनाये रखने के लिये प्रयत्नशील है । श्री अशोक मेहता जैसे व्यक्ति के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूरे जोश के साथ भाषण दिया और 'पाइरेसी' (लूट-मार) और पार्टिज़नशिप ('पक्षपात') आदि शब्दों का प्रयोग किया । कुछ देर के लिये तो मैं भी हताश हो गया परन्तु फिर मैंने देखा कि वह लोक-सभा में कठोर शब्दों का प्रयोग करने के आदी हैं । गत वर्ष उन्होंने स्वयं साम्यवादियों के लिये कहा था कि वह प्रजातन्त्र हत्यारों के हाथ में शक्ति नहीं देना चाहते । उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि साम्यवादी प्रजातन्त्र के हत्यारे हैं और हम उन्हें जान बूझ कर शक्ति नहीं सौंपेंगे । परन्तु बाद में उन्होंने खेद प्रकट किया ।

†**श्री अशोक मेहता** : अब सभा-नेता के अनुसार वे बदल गये हैं।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : जैसे भी हो, अब उन्होंने उनको अपने समान ही मान लिया है। कम से कम हमारे लिये भी आशा है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तब आपको भी उनका विश्वासपात्र बनने के लिये बदल जाना चाहिये। यदि आप अपने ही सिद्धान्तों पर दृढ़ रहे तो वह आपको पसंद नहीं करेंगे ।

†**श्री ए० के० गोपालन** : साम्यवादी वहां नहीं थे। प्रजा समाजवादी दल मंत्रिमण्डल बना रहा था, साम्यवादी उसकी सहायता कर रहे थे।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : वास्तव में यह ऐसा मामला था कि प्रयत्न तो दोनों ही दल कर रहे थे परन्तु उसमें सफलता नहीं मिली ।

†**श्री ए० के० गोपालन** : हमने कांग्रेस और टी० टी० एन० सी० (त्रावणकोर-तामिलनाड कांग्रेस) से शिक्षा ली ।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : आपको बाद में और भी शिक्षायें मिलेंगी। मैं देख रहा हूँ मत-परिवर्तन का क्रम तेजी से चल रहा है और मैं कह सकता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जबकि आप अपनी समस्त मान्यताओं को छोड़कर कांग्रेस में सम्मिलित हो जायेंगे।

परन्तु श्री अशोक मेहता ने अपने शब्दों का प्रयोग किया और मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि साम्यवादियों के सम्बन्ध में ऐसा कहने के पश्चात् अब उन्हें ऐसा धक्का कैसे लगा कि उन्होंने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया क्योंकि साम्यवादी, प्रजा समाजवादी दल और कुछ अन्य दल त्रावनकोर-कोचीन में एक मिली-जुली सरकार बनाने के लिये मेल नहीं कर सके। मुझे वास्तव में बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कहने के पश्चात् भी उन्होंने यह सब किया।

फिर, उन्होंने सिद्धान्तों की बात की। मैं उन्हें एक अच्छा आदमी मानता हूं और उनमें विश्वास रखता हूं परन्तु मुझे उस बात की याद है कि प्रजा समाजवादी दल ने अपनी नीति सम्बन्धी घोषणा में बड़े जोर-शोर और गम्भीरता के साथ यह कहा था कि वह किसी भी राज्य में सरकार नहीं बनाएगा जब तक कि उसका बहुमत न हो। किसी भी तरह से यह नहीं सोचा जा सकता था कि वह सरकार बनाना स्वीकार कर लेगा जबकि किसी भी राज्य में दल की शक्ति सबसे अधिक नहीं होगी। दल की कार्यकारिणी ने यह घोषणा बहुत विचार-विमर्श के बाद की थी जिसमें अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। अब ऐसी हालत में जबकि त्रावनकोर-कोचीन में प्रजा समाजवादी दल, दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित मूल सिद्धान्तों की उपेक्षा कर रहा था,

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित जी० बी० पन्त]

कांग्रेस पर पक्षपात का आरोप लगाना और यह कहना कि हम कार्य-साधकता के विचार से अथवा अन्यथा कार्य करते हैं, यद्यपि जो कुछ भी हमने किया है वह जनता के कल्याण के लिये हमारी घोषित नीति से असंगत नहीं है, कुछ विचित्र-सा लगता है।

फिर, श्री अशोक मेहता ने कहा कि उनकी इच्छा है कि हम लोगों को विरोधी दल की स्थिति का आभास होना चाहिये था। वह नहीं जानते कि हम आज जो यहां बैठे हुये हैं बहुत समय तक विरोधी दल का कार्य कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें सरकारी बेन्चों पर बैठने का अवसर मिलता। तब उन्हें मालूम होता कि विरोधी दल के लोग किस तरह सरकार को बदनाम करते हैं और सरकार के अच्छे कार्यों की भी प्रशंसा नहीं करते चाहे वे कितने ही अच्छे उद्देश्य, ईमानदारी और सच्चाई से किए जायं। तब उन्हें इस सबका कुछ आभास होगा। उन्हें ऐसा अवसर कब मिलेगा, मैं नहीं जानता। परन्तु मैं आशा करता हं कि जब ऐसा अवसर आएगा तो वह उसके अनुभव से शुद्ध हो जायेंगे।

जहां तक विवाद के वास्तविक प्रश्न का सम्बन्ध है, वह बहुत साधारण है। यह कहा गया है कि त्रावनकोर-कोचीन में जो विभिन्न घटनायें हो रही हैं उनके सम्बन्ध में यह रवैया कांग्रेस दल ने अपने दलगत विचारों के कारण ही अपनाया है। यह कहा गया कि हम यहां केवल अपने दल को बढ़ावा देने और अन्य हर व्यक्ति को दबा देने के लिये बैठे हुए हैं। परन्तु श्री अशोक मेहता यह भूल गये कि त्रावनकोर-कोचीन में उनके दल के १९ ही सदस्य थे और यद्यपि कांग्रेस के सदस्यों की संख्या ५० थी, फिर भी हमने प्रजासमाजवादी दल को मंत्रिमंडल बनाने और सब मंत्री अपने ही पक्ष के रखने की अनुमति दे दी थी।

हमने उनका समर्थन किया और एक साल तक उन्हें अपना पूर्ण सहयोग दिया। क्या इससे यह मालूम होता है कि हमने अन्य लोगों के अधिकारों को हड़पने का प्रयत्न किया? क्या उससे किसी भी तरह यह अर्थ निकाला जा सकता है कि हम केवल कांग्रेस दल की परवाह करते हैं? क्या यह इस तथ्य का पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि हम ऐसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न होने देना चाहते जिसके परिणाम-स्वरूप राष्ट्रपति शासन लागू किया जाय और इसके लिये ऐसे व्यक्तियों की सहायता भी कर सकते हैं जो प्रजातान्त्रिक मापदण्ड के अनुसार किसी राज्य में एक दल भी नहीं माने जा सकते? जब ये सब तथ्य हमारे सामने हैं तो हमारे ऊपर किसी प्रकार के पक्षपात का आरोप लगाना अत्यन्त अनुचित है।

हम त्रावनकोर-कोचीन की स्थिति का अवलोकन करेंगे। जिस समय श्री गोविन्द मेनन ने त्याग पत्र दिया उस समय कांग्रेस दल में, त्रावनकोर-तामिलनाड कांग्रेस (टी० टी० एन० सी०) को मिलाकर, ५४ सदस्य थे। जिन सदस्यों ने कांग्रेस दल से त्यागपत्र दिये थे उनकी संख्या ६ थी। साम्यवादी दल के २७, प्रजा समाजवादी दल के १५, क्रांतिकारी समाजवादी दल के ९, केरल समाजवादी दल के ३ तथा ३ स्वतन्त्र सदस्य थे। अब वह दल, जिसकी संख्या लगभग ५० थी, इसलिये अलग हो गया क्योंकि उसका पूर्ण बहुमत नहीं रह गया था। फिर, यह कहा गया है कि उस समय कांग्रेस के ५६ सदस्य थे और उनकी सदस्य-संख्या ६० थी। परन्तु माननीय सदस्य यह भूल गए कि ५६ के ठोस दल और ५ से लेकर १० तक दलों के समूह में, जिसमें प्रत्येक के ३ या ८ या १० सदस्य हों, अन्तर है। वे दल एक साथ क्यों नहीं मिल गए और उन्होंने एक गुट क्यों नहीं बनाया जब कि कांग्रेस सरकार चला रही थी? स्पष्टतः ऐसा इसलिये नहीं हुआ कि उनके सिद्धान्त भिन्न थे। वे विरोध में भी एकमत नहीं हो सके। तो फिर यह आशा कैसे की जा सकती थी जो दल विरोध के मामले में भी एका नहीं कर सके वे ५७ की छोटी सी सदस्य संख्या से मिलकर कार्य कर सकेंगे। उनकी संख्या बढ़कर ५८ अथवा ४९ हो सकती थी। परन्तु उससे मालूम होता है कि किस तरह की कार्यवाही चल रही थी। पहले तो

आप ५० व्यक्तियों के नाम देने की स्थिति में भी नहीं थे, फिर बाद में जैसे-तैसे करके आपने एक आदमी और अपनी ओर मिला लिया—केवल उसके हस्ताक्षर भर प्राप्त करने के लिये। फिर आधीरात के समय आपने एक आदमी को और अपने पक्ष में कर लिया, इस तरह की कार्यवाही की गई। फिर भी आप 'लूट-मार' (पाइरेसी) अपहरण, फरारी आदि की बात करते हैं जबकि इस प्रकार की 'लूट-मार (पाइरेसी) का क्रम जारी है। फिर मैं कहता हूं कि इसका विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वयं उसमें 'लूट-मार' (पाइरेसी) का पुट है। इसलिये जब हम लाखों आदमियों के मामलों के सम्बन्ध में कार्य करते हैं तो हम उन्हें थोड़े से व्यक्तियों की बेवकूफियों का शिकार नहीं बनने दे सकते। जनता के हित सर्वोच्च समझे जाने चाहियें और उन्हें अन्य प्रत्येक बात की अपेक्षा अग्रिमता मिलनी चाहिये।

मुझे याद है, नहीं मुझे उस बात की याद हो आती है, जो कि आन्ध्र के प्रजा समाजवादी दल नेता ने आन्ध्र में कांग्रेस दल की रामामूर्ति प्रतिवेदन पर प्रस्ताव पर एक वोट से हार पर कही थी। उस समय आन्ध्र में भी ऐसे दल थे। जैसे कि केरल में हमारे ६ या ७ दल हैं, वैसे ही आन्ध्र में थे। तब प्रजा समाजवादी दल के नेता ने कहा था :

"इसका विकल्प या तो उत्तराधिकारी सरकार है या दुबारा चुनाव। उत्तराधिकारी सरकार आन्ध्र के राजनैतिक जीवन के स्थायित्व में सुधार नहीं कर सकती। आन्ध्र के राजनैतिक जीवन में शांति और ऐक्य की परिस्थितियां लाने के लिये बेमेल राजनैतिक समूहों और तत्वों को समाप्त किया जाना चाहिये और इसकी बहुत समय से आवश्यकता रही है। अच्छा शासन राज्य की एक आवश्यकता है और मिले-जुले बहुमत से सरकार बनाने के प्रत्येक प्रयत्न को हतोत्साहित किया जाना चाहिये।"

ये शब्द कहने वाले के ही हैं, मैं तो उन्हें दुहरा भर रहा हूं।

इसलिये जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के शब्द उद्धृत करते हैं जिसकी बात अधिकृत मानी जा सकती है तो मैं समझता हूं कि हमारा आधार दुर्बल नहीं हो सकता।

फिर, संविधान के सम्बन्ध में कुछ निर्देश किए गये और यह कहा गया कि कांग्रेस दल प्रजा-तन्त्र के नष्ट करने के लिये दृढ़ निश्चित है। श्री कामत दिन में भी स्वप्न देखा करते हैं, परन्तु मैं पूछता हूं कि इस संविधान के लिये कौन जिम्मेदार है, उसे किसने बनाया, यह उपबन्ध किसने किया ?

मैं चाहता हूं कि चूंकि उसके निर्माताओं में से एक आप भी हैं इसलिये उसका गलत अर्थ न लगायें।

जब यह संविधान बनाया गया था यह बात निश्चित तौर से रखी गई थी क्योंकि हमारे देश में अनेकों राज्य थे। प्रत्येक राज्य में विकास की भिन्न अवस्था थी। राजनैतिक और प्रशासकीय कारणों से कभी कभी कठिन अवसर, आपातकाल उत्पन्न हो सकते हैं और ऐसी कठिनाइयों का सामना करने के लिये उपबन्ध करना आवश्यक था। ऐसी आपत्तियों का सामना करने के लिये अनुच्छेद ३५६ में यह उपबन्ध किया गया था। यह कहा गया था कि संविधान के इस उपबन्ध का प्रयोग तभी किया जा सकेगा जब जनता में गलीकूचों में युद्ध हो रहा हो, मकान जलायें जायें और कहीं भी शांति और व्यवस्था न रह गई हो और हर चीज़ छिन्न-भिन्न हो गई हो। हम यह उपबन्ध इसलिये करना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति भविष्य में पैदा न हो सके। अतएव जहां कहीं संवैधानिक दृष्टि से काम बिगड़ जाता है उस समय इस उपबन्ध से काम लिया जा सकता है।

[पंडित जी० बी० पन्त]

मेरे मित्रों ने बताया है ५७ एक उचित संख्या है। जहां तक गणित का प्रश्न है, ५७ तो ११८ के आधे से कम है। ५७ की संख्या ६१ से कम रह जाती है किन्तु थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि संख्या केवल ५० होती, तो क्या होता ? सरकार उस समय कैसे काम चलाती ?

†**श्री कामत** : यह एक भविष्य का प्रश्न है।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : चाहे भविष्य का ही सही। मैं इस पर विचार करने के लिये सदस्यों से आग्रह करता हूँ क्योंकि वे जिन्हें वास्तविकतायें समझे बैठे हैं वे भी अभी पूर्णरूपेण काल्पनिक हैं।

श्री कामत का कहना है कि जहां तक राज्य के पुनर्गठन का प्रश्न है, मैंने सभा को सही सूचना नहीं दी है क्योंकि त्रावनकोर-कोचीन के बारे में साम्यवादियों और प्रजा समाजवादियों के मत बिल्कुल भिन्न थे। वे एक संवैधानिक पंडित और भूतपूर्व संविधान सभा के सदस्य होते हुए भी यह कहते हैं कि ऐसे विषयों पर कोई मतदान नहीं किया जा सकता।

†**श्री कामत** : मैं विश्वास-प्रस्ताव पर मतदान के लिये नहीं कहता। अनुच्छेद ३ मौजूद है।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : मुझे ऐसा लगता है मानो मुझे फिर अपनी प्रारम्भिक राजनीति आप से सीखनी पड़ेगी। आपकी बातें मुझे अजीब सी लगती हैं।

हम से यह कहा गया है कि यह सब कार्य जबर्दस्ती त्रावनकोर-कोचीन के ऊपर थोप दिया है। क्या ऐसी बात सच कही जा सकती है ? वहां के राजप्रमुख ने साम्यवादी दल को बुलाया था। हमारा किसी से द्वेष नहीं है। यह कहना सरासर झूठ है कि हम साम्यवादियों को दूर रखना चाहते थे। साम्यवादियों की बहुसंख्या होते हुए भी उन्होंने अपनी सरकार बनाने में असमर्थता प्रकट की। प्रजा समाजवादियों की अपेक्षा उनकी संख्या दुगनी थी। चाहे प्रजासमाजवादी उनकी सहायता करते या वे प्रजा समाजवादियों की सहायता करते, उनकी स्थिति वैसी ही रह सकती थी किन्तु प्रजा समाजवादियों के सहयोग के बिना वे सरकार कैसे बना सकते थे ? इसी से यह स्पष्ट होता है कि उन दोनों के बीच में मतभेद है।

†**श्री कामत** : आपको तो टी० टी० एन० सी० का सहयोग मिलता है।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : यदि आप वहां होते तो आपको टी० टी० एन० सी० की सहायता अवश्य मिलती किन्तु आप तो मध्य प्रदेश में रहते हैं। आप वहां रहते तो वहां का काम बहुत आसान हो जाता।

हां, तो मेरे कहने का अभिप्राय: यह है कि साम्यवादियों को प्रजासमाजवादियों का सहयोग प्राप्त न था। साम्यवादियों को इसका कोई दु:ख नहीं है कि नई केबीनेट नहीं बन सकी। वे तो कहते हैं कि आगामी अक्तूबर तक उनकी संख्या इतनी बढ़ जायगी कि वे औरों पर हावी हो जायेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकेगा। अभी तो उनकी संख्या ३४ में केवल ८ है यदि ८ और भी जोड़ दिये जायें तब भी उनकी स्थिति में अधिक अन्तर न आयेगा।

मेरे विचार से वे व्यर्थ ही किसी भ्रम में पड़कर प्रयत्न कर रहे हैं। वे अपनी ही समस्याओं में उलझे रहते हैं और वस्तुस्थिति के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण नहीं रखते।

दस बारह दिन तक राज प्रमुख को ऐसा कोई व्यक्ति न मिला जिसे वे मुख्य मंत्री नियुक्त कर सकते। दिन और रात, साम्यवादियों की मोटरें अस्सी-नब्बे मील की रफ्तार से दौड़ती रहीं, फिर भी जिस दिन प्रतिवेदन दिया गया अर्थात् २१ मार्च तक, वे अपनी संख्या पर्याप्त

†मूल अंग्रेजी में

रूप में न बता सके। राजप्रमुख ने विवश हो कर राष्ट्रपति को सूचित किया और हम ने, जो सभा और जनता के सन्मुख उत्तरदायी हैं, इस कार्य का प्रबन्ध करना अपना कर्त्तव्य समझा ताकि त्रावनकोर-कोचीन की जनता प्रजातांत्रिक शासन के लाभ और सुविधाओं का उपयोग कर सके। मैं समझता हूं कि इस कार्य में प्रत्येक व्यक्ति की सद्भावना और समर्थन होना चाहिये। हम सबको मिलकर वहां के लोगों के हित के लिये अपनी शक्ति लगा देनी चाहिये और ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि इस नई सरकार को सफलता मिले।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

गृह-कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प में–

"assuming to himself all the functions of the Government of" ["सरकार के सभी कार्यों को अपने हाथ में लेने"] के स्थान पर "in relation to the state of" ["के राज्य के सम्बन्ध में"] शब्द रखे जायें।

संकल्प का सम्बन्ध उद्घोषणा पर हमारी स्वीकृति से है। संकल्प में कहा गया है "त्रावनकोर-कोचीन की सरकार के सभी कृत्यों को अपने हाथ में लेकर", वास्तव में उद्घोषणा का सम्बन्ध न केवल सरकार के कृत्यों को अपने हाथ में लेने से है बल्कि विधान मंडल की सत्ता को और कुछ प्रासंगिक उपबन्धों को इस लोक-सभा को प्रत्यायोजन करना है। मेरे विचार में सबसे अच्छी बात यह होगी कि " की सरकार के सभी कृत्यों को अपने हाथ में लेकर" शब्दों को हटा दिया जाये और उनके स्थान पर "के राज्य के सम्बन्ध में" शब्द रखे जायें। उससे बात सरल और स्पष्ट हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अन्य संशोधनों को मैं मतदान के लिये रखता हूं और फिर संशोधित संकल्प को लोक-सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कामत का संशोधन संख्या ३ तथा श्री वेलायुधन का संशोधन संख्या ६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

श्री ए० एम० थामस द्वारा संशोधन संख्या ५ तथा ७ लोक-सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संकल्प को, संशोधित रूप में मतदान के लिये रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अधीन २३ मार्च, १९५६ को त्रावणकोर-कोचीन राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ : पक्ष में १००, विपक्ष में २५।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लेखानुदानों की मांगें---त्रावणकोर-कोचीन

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक लेखानुदानों के लिए मांगों का सम्बन्ध है, मैं उन्हें मतदान के लिये रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य की संचित निधि में से कार्य सूची के तीसरे स्तम्भ में दिखाई गई राशियों से अनधिक राशियां राष्ट्रपति को मांग संख्या १ से ४२ तक के सम्बन्ध में, जो

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

[अध्यक्ष महोदय]

दूसरे स्तम्भ में दिखाई गई हैं उन भारों के लिये दी जाय जिनका भुगतान ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जायगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(त्रावनकोर-कोचीन के सम्बन्ध में अनुदानों के लिये जो मांगें लोक-सभा द्वारा स्वीकृत हुईं वे नीचे दी जाती हैं—सम्पादक)

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
१	कृषि आयकर तथा विक्री कर	२,३५,०००
२	भू-राजस्व	१०,८७,०००
३	उत्पादन शुल्क	४,३६,०००
४	स्टाम्प	७०,०००
५	वन	२३,५२,०००
६	पंजीयन ...	३,६८,०००
७	मोटर गाड़ी अधिनियम	१,७६,०००
८	सिंचाई	४,६०,०००
९	राज्य के प्रमुख, मंत्रियों का सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालय ...	८,२५,०००
१०	राज्य विधान मंडल	६७,०००
११	निर्वाचन ...	१,२०,०००
१२	जिला प्रशासन तथा प्रकीर्ण	७,४४,०००
१३	न्याय-व्यवस्था	१२,३२,०००
१४	बन्दी गृह ...	२,३४,०००
१५	पुलिस	२८,१६,०००
१६	वैज्ञानिक विभाग ...	९२,०००
१७	शिक्षा ...	१,७७,३२,०००
१८	चिकित्सा ...	४३,५३,०००
१९	लोक स्वास्थ्य	१३,१९,०००
२०	कृषि	१४,२८,०००
२१	ग्राम्य विकास	१४,६३,०००
२२	शालिहोत्र	३,०८,०००
२३	सहकारिता	२,८५,०००
२४	उद्योग	४६,७३,०००
२५	श्रम तथा प्रकीर्ण ...	१०,०६,०००
२६	असैनिक निर्माण कार्य ...	६९,९०,०००
२७	विद्युत्	२०,२४,०००
२८	निवृत्ति वेतन ...	२१,७५,०००
२९	लेखन सामग्री तथा प्रकाशन ...	७,३७,०००
३०	प्रकीर्ण	६,८८,०००

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
३१	सामुदायिक विकास परयोजनायें	२९,५३,०००
३२	परिवहन योजनायें	४२,५९,०००
३३	सिंचाई (वाणिज्यिक) पर पूंजी व्यय	१२,९५,०००
३४	सिंचाई (अवाणिज्यिक) पर पूंजी व्यय	२५,९८,०००
३५	कृषि सुधारों पर पूंजी व्यय	२१,०००
३६	औद्योगिक विकास पर पूंजी व्यय	२४,९९,०००
३७	असैनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी व्यय	७३,३०,०००
३८	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी व्यय ...	८३,२४,०००
३९	राजस्व लेखे के क्षेत्र से बाहिर के अन्य कार्यों का पूंजी लेखा	१३,१९,०००
४०	परिवहन योजनाओं पर पूंजी व्यय ...	५,८३,०००
४१	सरकारी व्यापार की राज्य योजनाओं पर पूंजी व्यय ...	१४,१४,०००
४२	ऋण तथा अग्रिम धन	४३,८२,०००

†**श्री ए० के० गोपालन** (कन्नूर) : आय व्ययक पर कोई वाद-विवाद नहीं हुआ है इसलिये आप इस पर वाद-विवाद के लिये कितना समय देंगे।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : हम कुछ आश्वासन चाहते हैं; हम इस प्रक्रम पर बाधा नहीं डालना चाहते। हम इस पर पूर्णतः विचार प्रकट कर सकें इस सम्बन्ध में हमें इस आय व्ययक पर वाद-विवाद का अवसर मिलना चाहिय।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं पहले बता चुका हूँ कि अगले महीने के तीसरे सप्ताह में हमें वाद-विवाद का पर्याप्त अवसर मिलेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : त्रावनकोर-कोचीन राज्य के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को आय व्ययक पर ब्योरेवार वाद-विवाद का पर्याप्त अवसर होगा। यह केवल लेखानुदान है। ये मांगें स्वीकृत की जाती हैं।

---

*त्रावणकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के एक भाग के लिये त्रावनकोर-कोचीन राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों को निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित* करता हूँ और प्रस्ताव** करता हूँ कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के एक भाग के लिये त्रावनकोर-कोचीन राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

खंड १, २ तथा ३ अनुसूची अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :–

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : लोक-सभा की कार्यवाही स्थगित होने से पूर्व मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ ।

त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५६, जिसे अब लोक-सभा पारित कर चुकी है, एक धन विधेयक है । संविधान के अधीन राज्य-सभा को विधेयक की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की कालावधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोक-सभा को लौटाना होगा । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, राज्य-सभा का सत्र नहीं हो रहा है और यदि तुरन्त ही राज्य-सभा को विधेयक भेज दिया जाये तो २३ अप्रैल, १९५६ को राज्य-सभा का सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व ही चौदह दिन की कालावधि बीत जायेगी । इसलिये मैं सचिव को यह निदेश दे रहा हूँ कि वह १६ अप्रैल, १९५६ तक यह विधेयक राज्य-सभा के पास न भेजें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, ३१ मार्च, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत का सूचना पत्र, असाधारण, भाग २ उपभाग १ दिनांक २९-३-५६ में प्रकाशित । पृष्ठ संख्या

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित तथा प्रस्तुत किया गया ।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २९ मार्च, १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १५७३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप धारा (३) के अधीन विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ का संशोधन करते हुए अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ७१६, दिनांक २४ मार्च, १९५६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई ।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १५७३

श्री के० एन० वल्लाथरास ने पूर्वी पाकिस्तान से बृहद संख्या में हिन्दुओं के प्रव्रजन की ओर ध्यान दिलाया ।

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) ने इस सम्बन्ध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया और सभा-पटल पर एक विवरण रखा ।

सभा का कार्य १५७४

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) ने २९ मार्च, १९५६ की कार्य-सूची में कतिपय आवश्यक कार्यों के शामिल किये जाने के अन्तराय स्वरूप, सामान्य आय-व्ययक, १९५६-५७ के सम्बन्ध में कतिपय मंत्रालयों से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों की चर्चा के लिये कार्यक्रम की तारीखों में कुछ परिवर्तन सम्बन्धी एक वक्तव्य दिया ।

अनुदानों की मांगें १५७४-१६०५

वैदेशिक कार्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा जारी रही । मांगों की पूरी राशि स्वीकृत हुई ।

सरकारी संकल्प स्वीकृत १६०५-३१

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) ने त्रावनकोर-कोचीन के बारे में २३ मार्च, १९५६ को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के विषय में संकल्प प्रस्तुत किया ।

चर्चा समाप्त हुई । लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ तथा संकल्प, संशोधित रूप में, २५ के विरुद्ध १०० मतों से स्वीकृत किया गया ।

लेखानुदानों की मांगें---त्रावनकोर-कोचीन १६३१-३३

१९५६-५७ के लिये त्रावनकोर-कोचीन सम्बन्धी लेखानुदानों की मांगों की पूरी राशि स्वीकृत हुई ।

विधेयक पारित

त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पुरःस्थापित किया गया, उस पर विचार हुआ और उसको पारित किया गया ।

शनिवार, ३१ मार्च, १९५६ के लिये कार्यावलि १६३३-३४

पुनर्वास मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा ।

M104LSD—190—26-10-57